

मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिस्ट्री)
द्वितीय सेमेस्टर

आधुनिक उत्तराखण्ड में अर्थव्यवस्था

अध्ययन मण्डल

अध्यक्ष,

कुलपति,

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन मण्डल के सदस्यों के नाम

1. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
2. प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद बहुगुणा, इतिहास विभाग एवं संस्कृति विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. प्रोफेसर शन्तन सिंह नेगी, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गढ़वाल
4. प्रोफेसर वी.डी.एस. नेगी, इतिहास विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा
5. डॉ. मदन मोहन जोशी, समन्वयक इतिहास विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पाठ्यक्रम समन्वयक

डॉ. मदन मोहन जोशी

इकाई लेखन- डॉ. अमितेन्द्र सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, प. दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ

इकाई एक-	मानवीय संसाधन एवं जनसंख्या
इकाई दो-	गरीबी और बेरोजगारी
इकाई तीन -	क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास
इकाई चार -	प्राकृतिक संसाधन
इकाई पांच -	उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं
इकाई छह -	पर्यटन उद्योग एवं पर्यावरण
इकाई सात -	ग्रामोद्योग का विकास एवं प्रमुख समस्याएँ
इकाई आठ -	औद्योगिक संरचना एवं औद्योगिक नीति

आई.एस.बी.एन. :

कॉपीराइट : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष :

Published by : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल-263139

Printed at :

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिनियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इकाई एक : उत्तराखण्ड : मानवीय संसाधन एवं जनसंख्या

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 जनसंख्या एवंमानवीय संसाधन
- 1.4 जनांककीय विशेषताएँ
 - 1.4.1 जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरण
 - 1.4.2 उत्तराखण्ड में ग्रामीण-शहरी जनसंख्या
 - 1.4.3 उत्तराखण्ड में जनसंख्याधार्मिक वितरण
 - 1.4.3 उत्तराखण्ड में लिंगानुपात
 - 1.4.5 उत्तराखण्ड में जनसंख्या घनत्व
 - 1.4.6 उत्तराखण्ड में साक्षरता दर
 - 1.4.7 उत्तराखण्ड में जन्म दर, मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर
- 1.5 जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में सम्बन्ध
- 1.6 जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव
- 1.7 आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव
- 1.8 जनसंख्या नीति
- 1.9 सारांश
- 1.10 शब्दावली
- 1.11 अभ्यास प्रश्न व उत्तर
- 1.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.13 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 1.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्ड में समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह आठवीं इकाई है। इससे पहले की इकाई में आप प्रदेश की सामाजिक विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

एक देश में मानवीय संसाधन अर्थात् उपलब्ध जनसंख्या उस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करती है। प्रस्तुत इकाई में उत्तराखण्ड की जनसंख्या संरचना, जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख लक्षण, जनाधिक्य की समस्या/उपाय तथा जनसंख्या का आर्थिक विकास से सम्बन्ध, जनसंख्या नीति आदि बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप उत्तराखण्ड में जनसंख्या संरचना, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, इसकी समस्याओं, उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के विकास में जनसंख्या के महत्व को समझ सकेंगे तथा इसका विश्लेषण कर सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- जनसंख्या मानवीय संसाधन के रूप में आर्थिक विकास का मुख्य घटक है इसे समझा सकेंगे।
- बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड जनसंख्या का आकार तथा वितरण की स्वरूप क्या है।
- बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या हैं।
- बता सकेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं एवं इसके नियन्त्रण के क्या उपाय हैं।
- समझा सकेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास हेतु मानवीय संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं।

1.3 जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन

आप जानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक व मानवीय दोनों संसाधन बहुत जरूरी हैं। प्राकृतिक संसाधनों के विषय में आप ग्यारहवीं इकाई में अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है : प्रथम, प्राकृतिक संसाधन एवं द्वितीय, मानवीय संसाधन। वास्तविक रूप में आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान मानवीय संसाधन अर्थात् वहाँ उपलब्ध जनसंख्या का ही होता है। जनसंख्या के विकास के स बिना आर्थिक उन्नति और विकास की गाड़ी नहीं चल सकती है। प्राकृतिक साधन , पूँजी, संगठन एवं तकनीक आदि को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए मानवीय साधन की ही आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति से भौतिक साधनों का विदोहन करते हुए नवप्रवर्तनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को विकसित करता है और इस प्रकार आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। स्पष्टतः जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं वरन् साध्य भी है और विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करती है।

मानवीय संसाधन की उपलब्धता की जानकारी करते समय केवल संख्या ही नहीं बल्कि उनके शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की दशा, दक्षता व उत्पादकता को भी ध्यान में रखना होता है। उन्नत मानवीय संसाधन (मानवीय पूँजी) आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लानेमें बहुत सहायक होता है। परन्तु वर्तमान समय में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या गम्भीरतम समस्याओं में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है।

अब आपको उत्तराखण्ड की जनसंख्या की जनांककीय विशेषताओं के बारे में बताया जायेगा।

1.4 जनांककीय विशेषताएँ

आप जानते हैं कि हमारे देश में जनांककीय विशेषताओं को जानने के लिए प्रत्येक दस वर्ष बाद भारत सरकार द्वारा जनगणना की जाती है। देश की चौदहवीं एवं आजाद भारत की सातवीं जनगणना मार्च, 2011 में सम्पन्न की जा चुकी है एवं भारत के महा रजिस्ट्रार एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 को देश स्तर पर तथा निदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2011 को राज्य के जिलेवार अनन्तिम जनसंख्या आँकड़ों को जारी किया गया। जिनकी विश्लेषण जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरण, ग्रामीण-शहरी जनसंख्या, जनसंख्या धार्मिक वितरण, राज्य में लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर और जन्म दर, मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर के रूप में किया जा रहा है।

1.4.1 जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरण

आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हुई तो वर्ष 1991 के आँकड़ों के आधार पर राज्य की जनसंख्या 71,13,483 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या (84,64,21,039) का 0.84 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 84,89,349 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या (1,02,87,37,436) का 0.83 प्रतिशत थी। परन्तु वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनन्तिम परिणामों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 1,01,16,752 हो गयी जो भारत की कुल जनसंख्या (1,21,01,93,422) का 0.84 प्रतिशत है। यह जानने योग्य तथ्य है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखण्ड के 20वें (सारणी 8.1) स्थान में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सारणी 8.1 – सम्पूर्ण भारत एवं उत्तराखण्ड की जनसंख्या का आकार

	1991	2001	2011	कुल जनसंख्या का प्रतिशत			2011 तथा 2011 में स्थान
				1991	2001	2011	
उत्तराखण्ड	71,13,483	84,89,349	1,01,16,752	0.84	0.83	0.84	20
सम्पूर्ण भारत	84,64,21,039	1,02,87,37,436	1,21,01,93,422	100	100	100	

स्रोत—Census of India 1991, 2001, 2011

सारणी 8.2 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुई जनगणनाओं के आधार पर सम्पूर्ण भारत से तुलना करते हुए उत्तराखण्ड की जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दरों को व्यक्त किया गया है।

सारणी 8.2 – सम्पूर्ण भारत एवं उत्तराखण्ड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दरें (प्रतिशत में)

दशक	सम्पूर्ण भारत	दशक में परिवर्तन	उत्तराखण्ड	दशक में परिवर्तन
1951—1961	21.64		22.57	

1961-1971	24.8	+3.16	24.42	+1.85
1971-1981	24.66	-0.14	27.45	+3.03
1981-1991	23.87	-0.79	23.13	-4.32
1991-2001	21.54	-2.33	20.41	-2.74
2001-2011	17.64	-3.9	19.17	-1.24

स्रोत:-Census of India 2011

सारणी 8.2 से यह तो आप स्पष्ट कर ही सकते हैं कि राज्य सृजन के पश्चात् उत्तराखण्ड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर भारत की औसत दर से भी अधिक है। जबकि यह 1961-71, 1981-91 एवं 1991-2001 में सम्पूर्ण भारत से कम रही। उत्तराखण्ड राज्य में दशकीय गिरावट सर्वाधिक 1981-1991 के दशक में (-4.32 प्रतिशत) थी जो 1991-2001 के दशक में (-2.74 प्रतिशत), 2001-2011 के दशक में (-1.24 प्रतिशत) रही। सारणी 8.3 से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दशक 2001-2011 में उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.77 प्रतिशत) दशक 1991-2001 में दर (1.87 प्रतिशत) की तुलना में कम रही। परन्तु यह गिरावट सम्पूर्ण भारत से कम रही। जहाँ दशक 2001-2011 में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.64 प्रतिशत) दशक 1991-2001 में दर (1.97 प्रतिशत) थी।

**सारणी 8.3- सम्पूर्ण भारत व उत्तराखण्ड की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दरें
(दशक 1991-2001 व 2001-2011 के दौरान)**

अवधि	औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)	
	भारत	उत्तराखण्ड
दशक 1991-2001	1.97	1.87
दशक 2001-2011	1.64	1.77

स्रोत:-Census of India 1991,2011

उत्तराखण्ड में दो मैदानी (हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर), दो पर्वतीय-मैदानी (देहरादून, नैनीताल) व शेष नौ जिले पर्वतीय हैं। प्रदेश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में निवास करती है। सभी 9 पर्वतीय जिलों में रहने वाली जनसंख्या का प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में तथा 2001 की तुलना में 2011 में कम हो रही है जो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन को दर्शाता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे -भौतिक अद्योसंरचना का विकसित न होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यन्त कठिन व विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, भू-स्खलन व भू-क्षरण की समस्या में लगातार वृद्धि होना, अच्छे रोजगार व व्यवसाय के अवसर का समाप्त होना, कृषि की लाभदेयता का समाप्त होना व कुटीर ग्राम उद्योगों का समाप्त होना, स्वास्थ्य व चिकित्सा, यातायात, पेयजल आदि सुविधाओं का बहुत कम होना। प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय व मैदानी जिलों में जनसंख्या वितरण को जानने के लिए सारणी 8.4 व 8.5 में प्रदेश में जिलेवार जनसंख्या वितरण व वृद्धि दरों को दर्शाया गया है।

सारणी 8.4—उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या वितरण (वर्ष 1991, 2001 व 2011)

जिला	1991	2001	2011
अल्मोड़ा	610500	632866	622506
बागेश्वर	226200	247163	259898
चम्पावत	190900	1282143	1696694
पिथौरागढ़	416647	462289	483439
नैनीताल	574800	762909	954605
पौड़ी गढ़वाल	670800	697078	687271
टिहरी गढ़वाल	520214	604747	618931
रूद्रप्रयाग	200493	227439	242285
चमोली	520214	604747	618931
उत्तरकाशी	239709	295013	330086
छेहरादून	1025679	1282143	1696694
ऊधमसिंह नगर	924900	1235614	1648902
हरिद्वार	1124500	1447187	1890422
उत्तराखण्ड	7113483	8489349	10086292

स्रोत—Census of India 1991, 2001, 2011

सारणी 8.5—उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या का प्रतिशत एवं स्थान क्रम (वर्ष 2001 व 2011)

थजला	वर्ष 2001			वर्ष 2011		
	व्यक्ति	कुल प्रतिशत	से स्थान क्रम	व्यक्ति	कुल प्रतिशत	से स्थान क्रम
हरिद्वार	1447187	17.04	1	1927029	19.05	1
छेहरादून	1282143	15.10	2	1698560	16.79	2
ऊधमसिंह	1235614	14.55	3	1648367	16.29	3

नगर						
नैनीताल	762909	8.99	4	955128	9.44	4
पौड़ी गढ़वाल	697078	8.21	5	686527	6.79	5
अल्मोड़ा	632866	7.45	6	621927	6.15	6
टिहरी गढ़वाल	604747	7.24	7	616409	6.09	7
पिथौरागढ़	462289	5.45	8	485993	4.80	8
चमोली	370359	4.36	9	391114	3.87	9
उत्तरकाशी	295013	3.48	10	329686	3.26	10
बागेश्वर	247163	2.91	11	259840	2.57	11
चम्पावत	224542	2.64	13	259315	2.56	12
रुद्रप्रयाग	227439	2.68	12	236857	2.34	13
उत्तराखण्ड	8489349	100.00		10116752	100.00	

स्रोत—Census of India 2001, 2011

**सारणी 8.6—उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर
(दशक 1991—2001 व 2001—2011)**

जिला	जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर			
	1991—2001	स्थान क्रम	2001—2011	स्थान क्रम
ऊधमसिंह नगर	33.60	1	33.40	1
हरिद्वार	28.70	3	33.16	2
देहरादून	25.00	4	32.48	3
नैनीताल	32.72	2	25.20	4
चम्पावत	17.60	6	15.49	5
उत्तरकाशी	23.07	5	11.75	6
चमोली	13.87	8	05.60	7
पिथौरागढ़	10.95	10	05.13	8
बागेश्वर	09.28	11	05.13	9
रुद्रप्रयाग	13.43	9	04.14	10
टिहरी गढ़वाल	16.24	7	01.93	11

अल्मोड़ा	03.67	13	-01.73	12
पौड़ी गढ़वाल	03.91	12	-01.51	13
उत्तराखण्ड	20.41		19.17	
सम्पूर्ण भारत	21.54		17.64	

स्रोत:-Census of India 1991, 2001, 2011

1.4.2 उत्तराखण्ड में ग्रामीण-शहरी जनसंख्या

ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात उसकी आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। जिस प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या समान होती है, वह प्रदेश सन्तुलित आर्थिक-व्यवस्था वाला प्रदेश माना जाता है। प्रदेश में नगरीय जनसंख्या अधिक होने पर माना जाता है कि उस प्रदेश के निवासियों को अधिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने पर विपरीत स्थिति होती है। जनसंख्या का ग्रामीण तथा शहरी वर्गों में विभाजन, लोगों के निवास-स्थान के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण-शहरी जनसंख्या की गणना हेतु नगर क्षेत्र वे माने गये हैं जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते हैं :

- (1) वे सभी क्षेत्र जहां नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड अथवा अधि सूचित नगरीय क्षेत्र हों,
- (2) वे क्षेत्र जहां- न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का न्यूनतम 75 प्रतिशत गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो तथा जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में वितरण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति को प्रगट करता है। अधिक नगरीय क्षेत्रों का होना एक सीमा तक अधिक प्रगति का सूचक माना जा रहा है। सामान्य रूप से ग्रामों की तुलना में नगरों में बहुत अधिक विकसित बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की अधिक सुविधाएँ तथा रोजगार व व्यवसाय के अधिक अवसर होने के कारण व्यक्ति ग्रामों से नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 69.77 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2001 में 74.41 प्रतिशत अर्थात् 4.66 प्रतिशत कमी तथा नगरीय जनसंख्या वर्ष 2011 कुल जनसंख्या 30.23 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2001 में 25.59 प्रतिशत थी अर्थात् 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सारणी 8.7 में वर्ष 2011 एवं 2001 में उत्तराखण्ड के नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत एवं महिला पुरुष हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।

सारणी 8.7-उत्तराखण्ड में ग्रामीण-शहरी जनसंख्या का वितरण

वर्ष	2011			2001		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
सम्पूर्ण	100,86,292 (100)	51,37,773	49,48,519	84,89,349 (100)	43,25,924	41,63,425
ग्रामीण	70,36,954	35,19,042	35,17,912	63,10,275 (74.33)	31,44,590	31,65,685

	(69.77)					
शहरी	30,49,338 (30.23)	16,18,731	14,30,607	21,79,074 (25.67)	11,81,334	9,97,740
0-6 वर्ष में	2011			2001		
सम्पूर्ण	13,55,814	7,171,199	6,38,615	13,60,032	7,12,949	6,47,083
ग्रामीण	9,90,776	5,21,792	4,68,984	10,72,360	5,59,248	5,13,112
शहरी	3,65,038	1,95,407	1,69,631	2,87,672	1,53,701	1,33,971

स्रोत:—Census of India 2001, 2011

सारणी 8.7 के विश्लेषण से ही पता चलता है कि आयु वर्ग 0-6 की जनसंख्या में वर्ष 2011 में वर्ष 2001 की तुलना में कमी हुई। आयु वर्ग 0-6 की जनसंख्या में वर्ष 2011 में 13,55,814 है जो वर्ष 2001 में 13,60,032 थी अर्थात् 4218 की कमी हुई।

1.4.3 उत्तराखण्ड में जनसंख्या धार्मिक वितरण

उत्तराखण्ड में धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण सारणी 8.8 में किया गया है। धर्म के आधार पर वितरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड में हिन्दुओं की बहुत अधिकता है। जिनकी प्रतिशत संख्या वर्ष 2001 में 84.89 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011 में 82.97 प्रतिशत ही रह गयी। वही मुस्लिम प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई जो 2001 में 11.92 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 13.95 प्रतिशत हो गयी। अर्थात् हिन्दू जनसंख्या में 2001-2011 के दशक में 1.99 प्रतिशत की कमी तथा मुस्लिम जनसंख्या में 2001-2011 के दशक में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001-2011 के दशक में इसाई एवं अन्य व अवर्णित धर्म जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हुई। वही 2001-2011 के दशक में सिक्ख, बौद्ध एवं जैन की जनसंख्या के प्रतिशत में कमी हुई।

सारणी 8.8- वर्ष 2011 के उत्तराखण्ड में धर्म के आधार पर जनसंख्या

धर्म	2011 में कुल संख्या	2011 में प्रतिशत	2001 में प्रतिशत
हिन्दू	8,368,636	82.97	84.96
मुस्लिम	14,06,825	13.95	11.92
इसाई	37,781	0.37	0.32
सिक्ख	236,340	2.34	2.50
बौद्ध	14,926	0.15	0.14
जैन	9,183	0.09	0.11
अन्य व अवर्णित धर्म	12,601	0.13	0.05
समस्त	100.0	100.0	100.0

स्रोत:—Census of India 2001, 2011

1.4.3 उत्तराखण्ड में लिंगानुपात

लिंगानुपात से आपको प्रति हजार पुरुष स्त्रियों की संख्या की जानकारी मिलती है। बदलता लिंगानुपात विवाह व बच्चों की संख्या को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही इससे अनेक प्रकार के सामाजिक व नैतिक परिवर्तन भी होते हैं। सारणी 8.9 में प्रदेश का जिलेवार लिंगानुपात को दर्शाया गया है जिससे आप प्रदेश में लिंगानुपात सम्बन्धी विशेषताओं को जान सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पर्वतीय जिलों में प्रति हजार पुरुष स्त्रियों की संख्या मैदानी जिलों से अधिक है। अल्मोड़ा जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक 1142 है, जबकि हरिद्वार जिले में सबसे कम 889 है। उत्तराखण्ड के लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में एक की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चम्पावत जिलों के लिंगानुपात में कमी दर्ज की गयी। जबकि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जिलों में वृद्धि हुई।

सारणी 8.9—उत्तराखण्ड में जिलेवार लिंगानुपात – वर्ष 2001 व 2011

जिला	स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरुष			
	वर्ष 2001	स्थान क्रम	वर्ष 2011	स्थान क्रम
अल्मोड़ा	1145	1	1142	1
रुद्रप्रयाग	1115	2	1120	2
पौड़ी गढ़वाल	1106	3	1103	3
बागेश्वर	1106	4	1093	4
टिहरी गढ़वाल	1049	5	1078	5
पिथौरागढ़	1031	6	1021	6
चमोली	1016	8	1021	7
चम्पावत	1021	7	981	8
उत्तरकाशी	0941	9	0959	9
नैनीताल	0906	10	0933	10
ऊधमसिंह नगर	0902	11	0919	11
देहरादून	0887	12	0902	12
हरिद्वार	0865	13	0879	13
उत्तराखण्ड	0962		0963	

स्रोत:—Census of India 2001, 2011

1.4.4 उत्तराखण्ड में जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या से है। इसे 'व्यक्ति-भूमि अनुपात' भी कहा जाता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के केन्द्रीयकरण को दर्शाने का प्रमुख सूचक है। जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है। इसके आधार पर क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के संकेन्द्रण की जानकारी प्राप्त होती है। जिन क्षेत्रों में शिक्षा, यातायात, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य व पेय जल आदि की सुविधाएँ अधिक होती हैं तथा रोजगार व व्यापार के अवसर अधिक होते हैं, वहीं पर यह घनत्व अधिक होता है। इसी कारण उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में बहुत कम जन घनत्व मैदानी जिलों में बहुत अधिक जन घनत्व पाया जाता है। सारणी 8.10 में वर्ष 2001 व 2011 में प्रदेश काजिलेवार जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। वर्ष 2011 में हरिद्वार जिले में जन घनत्व सर्वाधिक 817 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तरकाशी जिले में न्यूनतम 41व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

सारणी 8.10—उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या घनत्व – वर्ष 2001 व 2011

जिला	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)				वर्ष 2011 में 2001 की तुलना में वृद्धि
	वर्ष 2001	स्थान क्रम	वर्ष 2011	स्थान क्रम	
हरिद्वार	613	1	817	1	204
ऊधमसिंह नगर	486	2	648	2	162
छेहरादून	415	3	550	3	135
नैनीताल	179	5	225	4	46
अल्मोड़ा	201	4	198	5	03
टिहरी गढ़वाल	166	6	169	6	03
चम्पावत	127	8	147	7	20
पौड़ी गढ़वाल	131	7	129	8	02
रूद्रप्रयाग	115	9	119	9	04
बागेश्वर	110	10	116	10	06
पिथौरागढ़	065	11	069	11	04
चमोली	046	12	049	12	03
उत्तरकाशी	037	13	041	13	04
उत्तराखण्ड	159		189		30

स्रोत:—Census of India 2001, 2011

उत्तराखण्ड के जन घनत्व में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 30व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटरकी बढ़ोत्तरी हुई।वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में जन घनत्व में सर्वाधिक वृद्धिहरिद्वार जिले में204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की हुई। जबकिवर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में जन घनत्व में न्यूनतम वृद्धि पौड़ी गढ़वाल जिले में 02 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की हुई।

1.4.5 उत्तराखण्ड में साक्षरता दर

साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जोकि सात वर्ष से अधिक का हो तथा किसी एक भाषा को पढ़ लिख और बोल सकता हो।साक्षरता दर की सहायता से क्षेत्र विशेष में मानवीय संसाधनों की योग्यता की प्रारम्भिक स्थिति ज्ञान होता है। यह दर जितनी अधिक होती है, क्षेत्र के विकास में उतनी ही सहायता मिलती है।

सारणी 8.11—उत्तराखण्ड में जिलेवार प्रभावी साक्षरता दर – वर्ष 2001 व 2011

जिला	प्रभावी साक्षरता दर (प्रतिशत में)					
	वर्ष 2001			वर्ष 2011		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
देहरादून	78.99	85.87	71.20	85.24	90.32	79.61
नैनीताल	78.36	86.32	69.55	84.85	91.09	78.21
चमोली	75.43	89.66	60.49	83.48	94.18	73.20
पिथौरागढ़	75.95	90.06	62.60	82.93	93.45	72.97
पौड़ी गढ़वाल	77.49	90.91	60.70	82.59	93.18	73.26
रुद्रप्रयाग	73.65	89.81	59.57	82.09	94.97	70.94
अल्मोड़ा	73.64	89.19	60.56	81.06	93.57	70.44
चम्पावत	71.29	87.27	54.18	80.73	92.65	68.81
बागेश्वर	70.42	87.67	56.98	80.69	93.20	69.59
उत्तरकाशी	65.71	83.60	46.70	75.98	89.26	62.23
टिहरी गढ़वाल	66.73	85.33	49.42	75.10	89.91	61.77
हरिद्वार	63.75	73.83	52.09	74.62	82.26	65.96
ऊधमसिंह नगर	64.86	75.22	53.35	74.44	82.48	65.73
उत्तराखण्ड	71.61	83.28	59.63	79.63	88.33	70.70
सम्पूर्ण भारत	64.83	75.26	53.67	74.04	82.14	65.46

स्रोत:—Census of India 2001, 2011

प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 79.63 प्रतिशत (8.01 प्रतिशत की वृद्धि) हो गयी। परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वें स्थान से खिसककर 17वें स्थान पर आ गया है। प्रदेश की साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से अधिक तो है परन्तु प्रदेश की स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में अभी भी कम है। सारणी 2.9 में प्रदेश की जिलेवार पुरुष व महिलाओं की साक्षरता दरों को दर्शाया गया है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक साक्षरता जिला देहरादून (85.25 प्रतिशत), जबकि उधम सिंह नगर जिले में न्यूनतम साक्षरता (74.44 प्रतिशत) दर्ज की गयी है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला देहरादून (79.61 प्रतिशत), जबकि टिहरी गढ़वाल जिले में न्यूनतम साक्षरता (61.77 प्रतिशत) दर्ज की गयी है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला रुद्रप्रयाग (94.97 प्रतिशत), जबकि हरिद्वार जिले में न्यूनतम साक्षरता (82.26 प्रतिशत) दर्ज की गयी है।

1.4.6 उत्तराखण्ड में जन्म दर, मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर

जन्म दर : जन्म दर से अर्थ एक वर्ष में एक हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या से है। इसे निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है :

$$\text{जन्म दर} = \frac{\text{एक वर्ष में जन्मे जीवित शिशुओं की कुल संख्या}}{\text{उस वर्ष में देश की कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

एक देश की जनसंख्या का आकार बहुत हद तक उस देश की जन्म दर एवं मृत्यु दर पर निर्भर करता है। यदि जन्म दर अधिक मृत्यु दर की तुलना में तो जनसंख्या अधिक गति से बढ़ेगी। उत्तराखण्ड में 2009 में यह 19.7 प्रति हजार थी जो 2012 में 18.5 प्रति हजार तथा 2013 में 18.3 प्रति हजार हो गयी। वर्तमान में 2016 (अनुमानित) में 16.5 प्रति हजार है। उत्तराखण्ड में जन्म दर के अधिक होने के कारण हैं— बाल विवाह, निर्धनता, विवाह की अनिवार्यता, संयुक्त परिवार प्रणाली का ह्रास, रूढ़िवादिता, मनोरंजन की सुविधाओं का कम होना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का पूर्ण रूप से सफल न होना आदि।

मृत्यु दर : मृत्यु दर से आशय एक वर्ष में एक हजार जनसंख्या पर मृत्युओं की संख्या से है। इसे निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है :

$$\text{मृत्यु दर} = \frac{\text{एक वर्ष में मृतकों की कुल संख्या}}{\text{उस वर्ष में देश की कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

एक प्रदेश की जनसंख्या को जन्म दर के साथ ही मृत्यु दर पर भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। मृत्यु दर के अधिक होने की स्थिति में देश के लोग अधिक मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु जन्म दर को बढ़ा देते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। विकास प्रक्रिया के कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है। 2009 में यह 6.5 प्रति हजार थी जो 2012 में 6.1 प्रति हजार तथा 2013 में भी 6.1 प्रति हजार हो गयी। वर्तमान में 2016 (अनुमानित) में 5.8 प्रति हजार है। उत्तराखण्ड में मृत्यु दर में कमी के कारण हैं— शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बीमारियों एवं महामारियों में कमी, अन्धविश्वास में कमी, जीवन स्तर का ऊँचा होना, मनोरंजन के साधनों का विस्तार, महिलाओं की स्थिति में सुधार होना आदि।

उत्तराखण्ड में जन्म दर व मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन दरों को सारणी 2.10 की सहायता से देखा जा सकता है।

सारणी 8.12 –उत्तराखण्ड में अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर व मातृत्व मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)

	2009	2012	2013	2016(अनुमानित)
अशोधित जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या)	19.7	18.5	18.2	17.5
अशोधित मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)	6.5	6.1	6.1	5.8
मातृत्व मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)		34	32	25

स्रोत:—Directorate of Economics and Statistics

अभ्यास प्रश्न 1

प्रश्न (क) लघुउत्तरीय

- 1.उत्तराखण्ड की आधी आबादी का संकेन्द्रण कहाँ है।
2. लिंग अनुपात से क्या आशय है ?

प्रश्न (ख)– एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए–

- (1)वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में सर्वाधिकजनसंख्या निवास करती है?
- (2)वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में सबसे कम जनसंख्या निवास करतीहै?
- (3)वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों की जनसंख्या में बढी हुई है ?
- (4)दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर है?
- (5)दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम है?
- (6)दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों की जनसंख्या की वृद्धि दर प्रदेश के जनसंख्या की वृद्धि दर से कम रही है ?
- (7)दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों की जनसंख्या की वृद्धि दर प्रदेश के जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है ?
- (8)दशक 1991–2001 की तुलना में दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के कितने जिलों की जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई है?
- (9)वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक थी ?
- (10)वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी ?
- (11)वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक थे ?

- (12) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) सर्वाधिक है?
- (13) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) सबसे कम है?
- (14) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) प्रदेश में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) से कम है?
- (15) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) प्रदेश में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) से अधिक है?
- (16) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?
- (17) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ?
- (18) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों का जनसंख्या घनत्व प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से कम है ?
- (19) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों का जनसंख्या घनत्व प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से अधिक है ?
- (20) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर सर्वाधिक है?
- (21) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर सबसे कम है?
- (22) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर प्रदेश की साक्षरता दर से कम है ?
- (23) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के कितने जनपदों में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर प्रदेश की साक्षरता दर से अधिक है ?

प्रश्न (ग) – सत्य/असत्य बताइए—

- (1) दशक 1991–2001 की तुलना में दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड के जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई है।
- (2) दशक 2001–11 में उत्तराखण्ड की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम है।
- (3) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दुओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दुओं की संख्या से अधिक है।
- (4) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) में वृद्धि हुई है।
- (5) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) भारत की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या (प्रति हजार पुरुष) की तुलना में कम है।
- (6) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है।
- (7) उत्तराखण्ड का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम है।
- (8) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।
- (9) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से अधिक है।
- (10) वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड में कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से अधिक है।

1.5 जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में सम्बन्ध

आज के इस अति गत्यात्मक विश्व में सभी देश एवं प्रदेश विकसित बनने की आकांक्षा रखते हैं। एक प्रदेश के विकास में वहां के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन अर्थात् जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनमें भी मानवीय संसाधन अर्थात् जनसंख्या अधिक महत्वपूर्ण होती है

क्योंकि यह उपलब्ध जनसंख्या ही है जो अन्य संसाधनों का उपयोग कर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाती है। मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति से भौतिक साधनों का शोषण करता है, नवप्रवर्तनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को विकसित करता है और इस प्रकार आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। रिचर्ड टी. गिल ने भी कहा है कि 'आर्थिक विकास एक यान्त्रिक प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि एक मानवीय उद्यम भी है। इसका प्रतिफल अन्तिम रूप से मानवीय गुणों, उसकी कार्यकुशलता तथा उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।' वास्तव में, जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और यह दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव को दो प्रकार से देखा जा सकता है : प्रथम, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव तथा द्वितीय, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव।

1.6 जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव

जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि जनसंख्या स्थिर गति से बढ़ती है तो यह आर्थिक विकास में सहयोग देती है परन्तु यदि जनसंख्या में तीव्र एवं असन्तुलित वृद्धि होती है तो यह आर्थिक विकास निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है :

- तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पादन वृद्धि का प्रभाव नगण्य हो जाता है।
- जनसंख्या में अधिक वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है।
- अधिक जनसंख्या हेतु अधिक उपभोग पर व्यय करने के कारण बचत एवं विनियोग कम हो जाता है।
- उपभोग पर अधिक व्यय से विकास हेतु आवश्यक पूंजी-निर्माण कम हो जाता है।
- जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी सुविधाओं में कमी आती है।
- जनसंख्या बढ़ने से श्रम-शक्ति में वृद्धि होती है परन्तु रोजगार के अवसर उस अनुपात में न बढ़ पाने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है।
- अति जनसंख्या से अपराध जैसी विभिन्न समस्याओं का उदय होता है।
- जनसंख्या वृद्धि से उत्पादक जनसंख्या पर आश्रितों का भार बढ़ता है।
- अधिक जनसंख्या से होने वाली समस्याओं के कारण कुशल जनसंख्या अन्य देशों में प्रवास कर जाती है।
- जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से कृषि जोतों का आकार छोटा हो जाता है जिससे खेतों की उत्पादकता घटती है।

1.7 आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव

आर्थिक विकास भी जनसंख्या को भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है जो निम्नलिखित हैं :

- आर्थिक विकास होने से जन्मदर में कमी आती है।
- विकास के कारण शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने से मृत्युदर में कमी आती है।
- विकास प्रक्रिया से लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। वे बच्चों को सम्पत्ति न मानकर दायित्व मानने लगते हैं।
- विकास के कारण लोगों की आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार होता है जिससे वे छोटे

- परिवार की ओर आकृषित होते हैं।
- शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं के विकास होने से लड़का एवं लड़की का भेद कम होता है जिससे लोग कम सन्तानोत्पत्ति करते हैं।
- आर्थिक विकास के प्रभाव से जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आती है।

1.8 जनसंख्या नीति

जनसंख्या नीति के माध्यम से जनसंख्या का नियोजन किया जाता है। इस नीति में जनसंख्या के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या नीति के परिमाणात्मक पहलु के अन्तर्गत जनसंख्या के आकार एवं संरचना को राष्ट्रीय साधनों के अनुपात में नियन्त्रित किया जाता है, जबकि गुणात्मक पहलू के अन्तर्गत जनसंख्या के गुणों (जैसे- स्वास्थ्य स्तर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आदि) में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। भारत में जनसंख्या नीति प्रारम्भ स्वतन्त्रता के बाद से ही हो गया था परन्तु पूर्व में जनसंख्या को कोई समस्या नहीं मानने के कारण इस नीति पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण इस ओर अधिक ध्यान दिया गया। चौथी योजना में तो इस नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जबकि पांचवी योजना में आपातकाल के समय 16 अप्रैल, 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसमें राज्य सरकारों को जनसंख्या नियन्त्रण हेतु 'अनिवार्य बन्ध्याकरण' का कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस अनिवार्यता के कारण सरकार का पतन हो गया तथा अगली सरकार ने 1977 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की जिसमें अनिवार्यता के स्थान पर स्वेच्छा के सिद्धान्त को महत्व प्रदान किया गया साथ ही 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' का नाम बदलकर 'परिवार कल्याण कार्यक्रम' कर दिया गया। इसके पश्चात् जून 1981 में भी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में संशोधन किया।

नवीन जनसंख्या नीति : 2000

सरकार ने 15 फरवरी, 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नीति में जनसंख्या के परिमाण को राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप नियन्त्रित करने एवं जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए तीन उद्देश्य निश्चित किये गये :

- तात्कालिक उद्देश्य : पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक उपायों का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- मध्यमकालीन उद्देश्य : कुल प्रजनन दर को सन् 2010 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना।
- दीर्घकालीन उद्देश्य : सन् 2045(अब 2070) तक जनसंख्या ऐसे स्तर पर स्थिर करना जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विस्तार तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल हो।

इस नीति में छोटे परिवार के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रेरक उपायों की घोषणा की गई, जिनमें प्रमुख हैं : छोटे परिवार को बढ़ावा देने वाली पंचायतों एवं जिला परिषदों को केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत करना, गरीबी रेखा से नीचे के उन परिवारों को 5000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देना जिनके केवल दो बच्चे हैं और उन्होंने बन्ध्याकरण करवा लिया है, बाल-विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना, गर्भपात सुविधा योजना को

मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बन्ध्याकरण की सुविधा हेतु सहायता देना आदि। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राज्य जनसंख्या आयोग एवं योजना आयोग में समन्वय प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है।

अभ्यास प्रश्न 2

प्रश्न 01 : निम्नलिखित कथनों में सत्य/असत्य बताइये।

(क) नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी, 2000 को की गई।

(ख) 1976 की जनसंख्या नीति में 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' का नाम बदलकर 'परिवार कल्याण कार्यक्रम' कर दिया गया।

(ग) जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य सन् 2070 तक जनसंख्या को स्थिर अवस्था में लाना है।

1.9 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। जनसंख्या की अधिकता विकास के लिए घातक है तो अनुकूलतम बिन्दु से नीचे रहने पर रुकावट भी है। जनसंख्या आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि राष्ट्रीय साधन तथा जनसंख्या का एक उचित संयोग हो तो तीव्रता से आर्थिक विकास होता है। यदि इस संयोग में असन्तुलन आ जाये अर्थात् जनसंख्या, राष्ट्रीय साधनों की तुलना में तीव्र गति से बढ़े तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ जन्म लेने लगती हैं। अतिशय जनसंख्या के कारण मनुष्य की मूलभूत सुविधाओं (भोजन, वस्त्र एवं आवास) की व्यवस्था सम्बन्धी समस्या, बेरोजगारी एवं प्रदूषण की समस्या, ऊर्जा-संकट, विद्युतीकरण का अभाव, मन्द विकास गति, कानून और व्यवस्था की समस्या, अति-नगरीकरण और नगरों की ओर पलायन की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में भी अधिक जनसंख्या हेतु आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता, कृषि योग्य भूमि में कमी, आवश्यक जल संसाधनों में कमी, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, पर्याप्त रोजगार की अनुपलब्धता, गरीबी और विषमता में वृद्धि, उच्च प्रशिक्षित जनसंख्या की उपलब्धता में कमी, प्रति व्यक्ति आय में कमी, पर्याप्त विकास हेतु आवश्यक पूंजी निर्माण में कमी, आश्रितता-अनुपात में वृद्धि जैसी विभिन्न समस्याएँ आवश्यक रूप से उत्पन्न होंगी। जनगणना, 2011 व इससे पिछली जनगणना, 2001 की सहायता से प्रदेश की अनेक जनांककीय विशेषताओं की विवेचना की गयी है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात, घनत्व व साक्षरता दर को जिलेवार व्यक्त किया गया है। जनसंख्या नीति 2000 के द्वारा तात्कालिक, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्य बनाकर आर्थिक विकास हेतु आवश्यक स्थिर एवं गुणवान जनसंख्या प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या संरचना, इससे जुड़ी कुछ समस्याओं व नीतियों को अच्छी तरह समझ सकेंगे।

1.10 शब्दावली

जनसंख्या घनत्व— प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या।

जन्म दर — जन्म दर से अर्थ एक वर्ष में एक हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या से है। इसे निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है :

एक वर्ष में जन्मे जीवित शिशुओं की कुल संख्या

$$\text{जन्म दर} = \frac{\text{उस वर्ष में देश की कुल जनसंख्या}}{\text{उस वर्ष में देश की कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

उस वर्ष में देश की कुल जनसंख्या

मृत्यु दर – मृत्यु दर से आशय एक वर्ष में एक हजार जनसंख्या पर मृत्युओं की संख्या से है। इसे निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है :

एक वर्ष में मृतकों की कुल संख्या

$$\text{मृत्यु दर} = \frac{\text{एक वर्ष में मृतकों की कुल संख्या}}{\text{उस वर्ष में देश की कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

उस वर्ष में देश की कुल जनसंख्या

कार्यशील जनसंख्या—कुल जनसंख्या में से बाल जनसंख्या (0–14 वर्ष) एवं वृद्ध जनसंख्या (65+ वर्ष) को घटा देने पर जो जनसंख्या शेष रहती है, उसे कार्यशील जनसंख्या अथवा उत्पादक जनसंख्या कहा जाता है।

जनसंख्या-विस्फोट –जनसंख्या-विस्फोट एक ऐसी स्थिति है जिसमें जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती है जिसे थोड़े समय में नियन्त्रित नहीं जा सकता है। भारत में 70 के दशक में यह स्थिति व्याप्त थी।

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

उत्तर(क) : (1) प्रदेश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में निवास करती है।

(2) लिंग अनुपात से आशय एक देश की जनसंख्या में पुरुषों के तुलना में स्त्रियों की संख्या है। इसे स्त्री-पुरुष अनुपात भी कहा जाता है।

(3) उत्तर –(ख) (1) हरिद्वार, (2) रूद्रप्रयाग, (3) 11, (4) ऊधमसिंह नगर, (5) पौड़ी-गढ़वाल, (6) 04, (7) 09, (8) 11, (9) देहरादून, (10) रूद्रप्रयाग, (11) हिन्दू, (12) अल्मोड़ा, (13) हरिद्वार, (14) 05, (15) 08, (16) हरिद्वार, (17) उत्तरकाशी, (18) 05, (19) 08, (20) देहरादून, (21) ऊधमसिंह नगर, (22) 04, (23) 09,

(ग) (1) सत्य, (2) असत्य, (3) सत्य, (4) सत्य, (5) असत्य, (6) सत्य, (7) सत्य, (8) सत्य, (9) असत्य, (10) सत्य,

अभ्यास प्रश्न 2 उत्तर : (क) सत्य, (ख) असत्य, (ग) सत्य।

1.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची व ई-लिंक्स

- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.

- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.
- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2011), सांख्यिकीय डायरी 20015–16, उत्तराखण्ड सरकार

1.13 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा।
2. बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ।
3. पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा।
4. सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।

1.14 निबन्धात्मक प्रश्न

- प्रश्न 1 : उत्तराखण्ड में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ? नवीन जनसंख्या नीति को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न 2 : 'आर्थिक विकास का प्रतिफल अन्तिम रूप से मानवीय गुणों, उसकी कार्यकुशलता तथा उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।' विवेचना कीजिए।
- प्रश्न 3: वर्ष 2001 के साथ वर्ष 2011 की तुलना करते हुए उत्तराखण्ड की जनांककीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न 4: उत्तराखण्ड के पर्वतीय व मैदानी जिलों की जनांककीय विशेषताओं की तुलना कीजिए।
- प्रश्न 5 : 'जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रदेश की आर्थिक प्रगति में बाधक है।' इस कथन की समीक्षा कीजिए।

इकाई दो : उत्तराखण्ड का नियोजन:गरीबी और बेरोजगारी

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 गरीबी का आशय
- 2.4 गरीबी की माप
- 2.5 गरीबी का परिमाण
- 2.6 उत्तराखण्ड में गरीबी के कारण
- 2.7 उत्तराखण्ड में गरीबी का विश्लेषण
- 2.8 उत्तराखण्ड में गरीबी निवारण के उपाय
- 2.9 बेरोजगारी का आशय
- 2.10 बेरोजगारी की प्रकृति
- 2.11 उत्तराखण्ड में बेरोजगारी के कारण
- 2.12 उत्तराखण्ड में बेरोजगारी का विश्लेषण
- 2.13 उत्तराखण्ड में बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव
- 2.14 उत्तराखण्ड में गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम
- 2.15 उत्तराखण्ड में गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन
- 2.16 सारांश
- 2.17 शब्दावली
- 2.18 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.19 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.20 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री
- 2.21 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्डमें समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह नवीं इकाई है। इससे पहले की इकाई उत्तराखण्ड की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन के अध्ययन से आपको उत्तराखण्ड की जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरणके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हुई।

उत्तराखण्ड में गरीबी एवं बेरोजगारी का क्या आशय है? गरीबी एवं बेरोजगारी के क्या कारण हैं? गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम योजना काल में लागू किए गए परन्तु आशानुसार सफलता नहीं प्राप्त हुई। इससे जुड़ी सरकार द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के लिए अपनायी गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को जान सकेंगे। इस सन्दर्भ में किए जाने वाले उपाय एवं नीतियों में परिवर्तन की कैसी आवश्यकता है, प्रस्तुत इकाई में इसकी विस्तार से चर्चा की गयी है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप गरीबी एवं बेरोजगारी आशय एवं परिदृश्य को जान पायेंगे। उत्तराखण्ड में गरीबी एवं बेरोजगारीके लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का वर्णन कर सकेंगे। आप उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के लिए अपनायी गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को जान सकेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप—

- गरीबी एवं बेरोजगारी आशय परिदृश्य एवं परिमाण को जान सकेंगे ।
- गरीबी एवं बेरोजगारीके परिदृश्य का वर्णन कर सकेंगे ।
- गरीबी एवं बेरोजगारीके लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का वर्णन कर सकेंगे ।
- सरकार द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के लिए अपनायी गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को विवेचना कर सकेंगे ।

2.3. गरीबी का आशय

जब समाज का एक भाग न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन के लिए विवश होते हैं तो यह स्थिति गरीबी की स्थिति कहलाती है। विश्व के सभी देशों में गरीबी को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। परन्तु इन सबका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। यद्यपि गरीबी को कई दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। एक दृष्टिकोण में गरीबी को आधारिक सुविधाओं यथा भोजन, आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा से सम्बद्ध कर परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आय के स्तर पर विचार किए बिना यदि किसी परिवार में इस आधारिक सुविधाओं की कमी रहती है तो उस परिवार को गरीब माना जाता है। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यह है, कि इसमें वे भी परिवार गरीबी की सूची में सम्मिलित कर लिए जाते हैं जिनकी आय अधिक है परन्तु अपनी बुनियादी आवश्यकताओं पर व्यय नहीं करते हैं। और दूसरी ओर वे परिवार सम्मिलित नहीं होते हैं जिनकी आय तो नगण्य है परन्तु वे ऋण, पूर्व बचत को कम करके रिश्तेदारों और मित्रों से सहायता

लेकर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक दूसरे दृष्टिकोण में एक परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं का आकलन तथा फिर एक आधार वर्ष की कीमत के आधार पर अपेक्षित आय में रुपांतरित कर दिया जाता है। भारत में इसी दृष्टिकोण के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने गरीबी को निम्न प्रकार परिभाषित किया है—

राउट्री ने गरीबी को परिभाषित करते हुये लिखा है कि “गरीबी जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये किये गये न्यूनतम व्यय से सम्बन्धित है, जिसमें भोजन, कपड़ा, मकान, घर का किराया, ईंधन आदि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत शामिल है।”

दो अध्येताओं, **शाहीन रफी खान** और **डैमियन किल्लेन** ने गरीबी की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है। इनके अनुसार गरीबी भूख है, गरीबी बीमार होना है और डॉक्टर को न दिखा पाने की विवशता है। यह स्कूल में न जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। गरीबी बेरोजगारी व अपने भविष्य के प्रति भय है। यह अपने बच्चे को उस बीमारी से मरते हुये देखने की स्थिति है जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है। गरीबी शक्ति प्रतिनिधित्व और स्वतन्त्रता की हीनता का नाम है।

एस0 महेन्द्र देव ने गरीबी को बहुआयामी तथ्य के संदर्भ में लिया है। इनके अनुसार गरीबी केवल आय व उपभोग के स्तर से ही सम्बन्धित नहीं वरन् स्वास्थ्य व शिक्षा का भी गरीबी की अवधारणा में विचार करना चाहिये।

प्रो0 अर्मत्य सेन के अनुसार, गरीबी निरपेक्ष वंचित की तुलना में सापेक्षिक अभाव को बताती है। सेन का मानना है कि सामान्यतः भुखमरी गरीबी को ही दर्शाती है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यापक रूप में गरीबी होने पर भुखमरी भी गम्भीर अवस्था में हो।

बाईसब्रान्ड के अनुसार गरीबी मुख्यतः अपर्याप्त भोजन, कपड़ा और रहने की समस्या से सम्बन्धित है।

इस प्रकार गरीबी की धारणा एक बहुआयामी तथ्य है। यह केवल आय व उपभोग स्तर से ही सम्बन्धित नहीं वरन् स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व उचित रहन-सहन के स्तर से वंचित रहने की स्थिति से भी सम्बन्धित है।

2.4 गरीबी की माप

गरीबी की माप के लिए सामान्यतः दो प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है:

सापेक्षित प्रतिमान : गरीबी के सापेक्षित माप के अर्न्तगत देश की जनसंख्या की सम्पत्ति उपभोग अथवा आय स्तर के आधार पर विभिन्न क्रमिक वर्गों में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वर्गों को सम्पत्ति, आय, उपभोग के बढ़ते या घटते हुए स्तरों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। तत्पश्चात् उच्चतम 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत निवासियों के अंश से की जाती है। सापेक्षित प्रतिमान के आधार पर प्राप्त जानकारी गरीबी की अपेक्षा आय, सम्पत्ति तथा उपभोग के वितरण में व्याप्त विषमता का बेहतर चित्रण करती है। इसकी सीमा यह है कि इसके द्वारा गरीबी की माप करने पर विकसित देशों में भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी की श्रेणी में आयेगा। यद्यपि उन देशों के गरीबों के रहन सहन का स्तर विकासशील देशों के गरीबों की तुलना में अधिक बेहतर होगा। वस्तुतः यह प्रणाली गरीबी की वास्तविक माप का चित्रण नहीं करके आर्थिक विषमता का चित्रण करती है। यही कारण है कि उत्तराखण्ड में गरीबी की माप इस विधि से नहीं की जाती है।

निरपेक्ष प्रतिमान : गरीबी माप की इस विधि के अर्न्तगत गरीबी की माप के लिए देश में विद्यमान एक न्यूनतम उपभोग स्तर को जीवन यापन की अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम उपभोग स्तर से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। उत्तराखण्ड में इस न्यूनतम उपभोग स्तर को गरीबी रेखा की संज्ञा दी गयी है। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन यापन हेतु अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा को पोषकता की न्यूनतम मात्रा के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भौतिक मात्राओं की कीमत से गुणा करके मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्राप्त मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग व्यय को प्रदर्शित करता है। यही न्यूनतम उपभोग व्यय गरीबी रेखा को व्यक्त करता है। ज्ञातव्य है कि गरीबी की माप के लिए **निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग सर्वप्रथम खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक ब्याएड आर ने 1945** में किया तथा इसके आधार पर गरीबी की माप करने के लिए क्षुधा रेखा की संकल्पना का प्रतिपादन किया। यही संकल्पना विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

उत्तराखण्ड में गरीबी की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का ही प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रतिमान के आधार पर निर्धारित किए गये न्यूनतम उपभोग व्यय को गरीबी रेखा की संज्ञा दी जाती है। इस विधि के माध्यम से गरीबी की माप करने की विधि को हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है।

2.5 गरीबी का परिमाण

गरीबी के परिमाण का अनुमान लगाने के लिये समुचित एवं संतोषजनक आँकड़ों का अभाव है। इसका कारण यह है कि इस देश में आय के वितरण से सम्बन्धित आँकड़ों का प्रायः उचित संकलन नहीं हो पाता। परन्तु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दौर में सर्वेक्षण के आधार पर जनसंख्या के विभिन्न वर्गों द्वारा निजी उपभोग पर व्यय के संतोषजनक आँकड़े उपलब्ध हुये हैं। परन्तु गरीबी की परिभाषा पर मतभेद और अध्ययन की रीतियों के अन्तर के कारण बर्धन, मिन्हास, पी0डी0 ओझा तथा दांडेकर व नीलकंठ रथ आदि अर्थशास्त्री गरीबी की व्यापकता के सम्बन्ध में एक दूसरे से भिन्न निष्कर्षों पर पहुँचे हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) ने गरीबी की स्थिति के आंकलन के लिये 2004-05 के अपने सर्वेक्षण में दो तरह की प्रश्नावली का प्रयोग किया है। जिसमें प्रथम 30 दिन के **यूनीफार्म रिकॉल पीरियड (URP)** उपभोग व्यय व दूसरा 365 दिन के संदर्भ वाले **मिक्स्ट रिकॉल पीरियड (MRP)** पर आधारित था। इन दोनों ही आधारों पर गरीबी अनुपात अलग-अलग आँकलित किया गया है।

योजना आयोग द्वारा आंकलित गरीबों की संख्या को लेकर विवाद बना रहता है। 1993-94 में योजना आयोग ने प्रसिद्ध अर्थविद डी0 टी0 लकड़वाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा योजना आयोग के पूर्व आँकड़ों को अविश्वसनीय बताते हुए गरीबी की माप के लिए वैकल्पिक फार्मूले का उपयोग करने का सुझाव दिया। जिसके अंतर्गत **शहरी गरीबी के आंकलन के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार** बनाया। 11 मार्च 1997 को योजना आयोग की पूर्ण बैठक में गरीबी रेखा की माप के लिए लकड़वाला फार्मूले को स्वीकार कर लिया गया। इस न्यूनतम उपभोग के लिए आवश्यक आय के विषय पर अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। 7वें वित्त आयोग ने एक नयी वर्द्धित गरीबी रेखा की अवधारणा की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इस वर्द्धित गरीबी रेखा के निर्धारण में मासिक वैयक्तिक

उपभोग व्यय में सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, समाज कल्याण आदि पर किए जाने वाले प्रति व्यक्ति मासिक व्यय की राशि भी जोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त हुई धनराशि को वर्द्धित गरीबी रेखा का नाम दिया गया। वर्द्धित गरीबी रेखा पूरे देश के लिए समान नहीं होगा बल्कि इसका निर्धारण प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग होगा। इस कारण योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण के सम्बन्ध एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की जिसमें आहार सम्बन्धी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार "जिनको ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से पोषक शक्ति नहीं प्राप्त होती है उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है।" जो व्यापक गरीबी की स्थिति को बताता है। जिसका विद्यमान होना चिन्ता का विषय है। इसी अवधारणा पर आधारित योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एवं विश्व बैंक द्वारा उपभोग व्यय से सम्बन्धित जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के अनुमापन का प्रयास किया गया।

2.6 उत्तराखण्ड में गरीबी का विश्लेषण

उत्तराखण्ड में गरीबी के विश्लेषण के सन्दर्भ में तेन्दुलकर समिति एवं रंगराजन समिति के आँकड़ें उपलब्ध हैं। तेन्दुलकर समिति के अनुसार कुल गरीबी अनुपात में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 में 6.7 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जो संख्या में 6.3 लाख है। शहरी गरीबी अनुपात में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 में 14.7 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जो संख्या में 4.1 लाख है। ग्रामीण गरीबी अनुपात में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 में 2.7 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जो संख्या में 2.1 लाख है। रंगराजन समिति के अनुसार कुल गरीबी अनुपात में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 में 8.3 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जो संख्या में 8.1 लाख है। शहरी गरीबी अनुपात में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 में 6.9 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जो संख्या में 1.5 लाख है। ग्रामीण गरीबी अनुपात में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 में 9.9 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जो संख्या में 6.7 लाख है।

सारणी 9.1 उत्तराखण्ड में गरीबी का विश्लेषण

वर्ष	गरीबी अनुपात			गरीबी की संख्या लाख में		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
तेन्दुलकर समिति के अनुसार						
2009-10	14.3	25.2	18	10.3	7.5	17.9
2011-12	11.6	10.5	11.3	8.2	3.4	11.6
कमी	2.7	14.7	6.7	2.1	4.1	6.3
रंगराजन समिति के अनुसार						
2009-10	22.5	36.4	26.7	15.6	10.9	26.5
2011-12	12.6	29.5	18.4	8.9	9.4	18.4
कमी	9.9	6.9	8.3	6.7	1.5	8.1

स्रोत—Report of the Expert Group to Review the methodology for measurement of Poverty Govt. of India Planning Commission June 2014.

गरीबी के उक्त आँकड़ों में बड़े विभेद का आधार दोनो समिति का गरीबी रेखा के मध्य पाया गया अन्तर है। तेन्दुलकर समिति के अनुसार शहरी गरीबी रेखा वर्ष 2009-10 रुपया 899 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में रुपया 1082 हो गयी। ग्रामीण गरीबी रेखा वर्ष 2009-10 रुपया 720 से बढ़कर वर्ष

2011-12 में रुपया 880 हो गयी। रंगराजन समितिके अनुसार शहरी गरीबी रेखा वर्ष 2009-10 रुपया 1169.82 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में रुपया 1408.12 हो गयी। ग्रामीण गरीबी रेखा वर्ष 2009-10 रुपया 830.09 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में रुपया 1014.95 हो गयी।

सारणी 9.2 उत्तराखण्ड में गरीबी रेखा

विधि	ग्रामीण		शहरी	
	2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
तेन्दुलकर समिति के अनुसार	720	880	899	1082
रंगराजनसमिति के अनुसार	830.09	1014.95	1169.82	1408.12
अन्तर	110.09	134.95	270.82	326.12

स्रोत—Report of the Expert Group to Review the methodology for measurement of Poverty Govt. of India Planning Commission June 2014.

तेन्दुलकर समिति और रंगराजन समिति के बीचग्रामीण गरीबी रेखा में अन्तर वर्ष 2009-10 रुपया 110.09 का था वह बढ़कर वर्ष 2011-12 में रुपया 134.95 हो गया। तेन्दुलकर समिति और रंगराजन समिति के बीचशहरी गरीबी रेखा में अन्तर वर्ष 2009-10 रुपया 270.82 का था वह बढ़कर वर्ष 2011-12 में रुपया 326.12 हो गया।

2.7 उत्तराखण्ड में गरीबी के कारण

उत्तराखण्ड में योजनाओं में गरीबी को कम करना प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं था। यह कल्पना की गयी कि राष्ट्रीय आय की तीव्र वृद्धि दर पूर्ण रोजगार को कायम करेगी और रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठेगा और गरीबी स्वयं समाप्त हो जायेगी। परन्तु विकास के साथ-साथ गरीबी में कोई विशेष कमी नहीं आयी हैं गरीबी के प्रमुख कारण निम्न हैं—

- ❖ उत्तराखण्ड एक कृषि एवं पर्यटन प्रधान राज्य है। जिसकी कुल कार्यकारी जनसंख्या का दो तिहाई कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों में संलग्न है। जिसके पिछडने का मूल कारण राज्य के कृषक आज भी कृषि के पुराने तरीकों द्वारा ही कृषि कार्य करते हैं, उनके कृषि उपकरण भी परम्परागत ही हैं, साथ ही कृषि के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होना है।
- ❖ उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का विकास प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। हमेशा कोई न कोई प्राकृतिक प्रकोप लगा रहता है। कभी राज्य में विकराल सूखा, तो कभी भूकम्प, तो कभी अतिवृष्टि उसकी फसल को समूल समाप्त कर देती है।
- ❖ विकास की इस प्रक्रिया में राज्य में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा इसी के साथ-साथ गरीबी भी बढ़ती चली गयी है।
- ❖ अल्पविकास और असमानता गरीबी के दोहरे जनक हैं। जिसमें लगातार विस्तार विद्यमान है।

- ❖ **जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर** विकास द्वारा राज्य ने जो कुछ भी अर्जित किया है, उसमें से अधिकांश का उपभोग कर लिया गया है और आर्थिक विकास के लिए बहुत थोड़े से साधन शेष रह गये। जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति औसत आय में भी बहुत कम वृद्धि हुई है।
- ❖ **आर्थिक विकास दर के अपर्याप्त रहने** के कारण गरीबी को समाप्त करने में राज्य विफल रहा है। दसवीं पंचवर्षीय एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति और बारहवीं योजना के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की विकास की दर की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है।
- ❖ **पूँजी निर्माण की कमी** उत्तराखण्ड राज्य में व्याप्त गरीबी के मूल कारणों में से है। पूँजी निर्माण की यह कमी राज्य के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है। पूँजी निर्माण की कमी के अनेक कारण हैं; जैसे— प्रति व्यक्ति न्यून आय, बचत की क्षमता का अभाव, अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं आदि।
- ❖ उत्तराखण्ड राज्य में कुशल श्रम की बहुत कमी रही है। इसका कारण राज्य में तकनीकी शिक्षा का अभाव रहा है, परिणामस्वरूप श्रमिकों की कार्यक्षमता अत्यधिक कम होती है। कार्यक्षमता की कमी का प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है, फलस्वरूप वे गरीबी से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते।
- ❖ **भौतिक एवं सामाजिक अद्योसंरचना** अभाव के कारण आज भी उत्तराखण्ड राज्य के बहुत से गांव, मुख्य नगरों एवं कस्बों से नहीं जुड़ सके हैं। परिणाम स्वरूप गांवों का किसान आज भी अपनी उपज मंडियों एवं बाजारों में नहीं ले जा पाता। अतः उन्हें अपने उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती जिससे ऐसे किसानों में गरीबी सदैव बनी रहती है।
- ❖ उत्तराखण्ड राज्य में जनसंख्या का एक बड़ा भाग **निरक्षर** है। जिसका परिणाम उन्हें अपने शोषण के रूप में भुगतना पड़ता है।
- ❖ उत्तराखण्ड राज्य में आज भी **प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं** का अभाव है। जनसंख्या के उस बड़े भाग को जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे का जीवनयापन कर रहा है, जिसे प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
- ❖ उत्तराखण्ड राज्य में अनेक ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं का प्रचलन है जो इस राज्य के निवासियों को गरीब बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य के लोग विविध त्योहारों, विवाह समारोह, मृत्यु-भोज एवं अन्य ऐसी ही प्रथाओं पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए धन का अपव्यय करते हैं। जिसमें से अधिकांश लोग यह कार्य कर्ज लेकर करते हैं और कर्ज के भुगतान में ही उनका सम्पूर्ण जीवन और आय समाप्त हो जाती है।

2.8 उत्तराखण्ड में गरीबी निवारण के उपाय

गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए उन दशाओं को सुधारना आवश्यक है जिनके कारण गरीबी उत्पन्न होती है। जिस लिए एक बहुपक्षीय कूटनीति बहुत जरूरी है। इसके प्रमुख पक्ष निम्न हैं—

1. आर्थिक विकास दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से सभी क्षेत्रों के मध्य का संतुलन बनाया जाए।

2. कृषि विकास एवं गरीबी के मध्य प्रत्यक्ष सह-सम्बन्ध दिखाई देता है। जिन राज्यों में कृषि क्षेत्र की संवृद्धि दर तेज पायी गई वहाँ गरीबी में कम देखी गई। हरित क्रान्ति का प्रभाव जैसे-जैसे सीमान्त एवं

छोटे कृषकों तक पहुँचा गरीबी में कमी हुई। अतः कृषि विकास की नवीन रणनीति, लघु व सीमान्त कृषकों तथा ऐसे भूमि क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना है, जहाँ भूमि उपज न्यून है।

3. गरीबी के निवारण हेतु ग्रामीण एवं लघु कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण हस्तशिल्प का विकास किया जाना चाहिए। इस हेतु ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए ग्राम स्तर पर लघु कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे तथा इन्हें संसाधन, वित्त व बाजार की समस्त सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। लघु उद्योगों में नवीन शोध को बढ़ावा देकर उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा।

4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी निवारण की अधिक सुस्पष्ट एवं महत्वपूर्ण नीति है। इसके द्वारा उत्पादकता वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या के जीवन-स्तर में सुधार एवं स्वालम्बन युक्त विकास किया जाना सम्भव होगा। जिस परिप्रेक्ष्य में श्रम गहन कृषि विकास, कृषि आधारित लघु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, एवं कार्यक्रमों के निर्माण में ग्राम जन की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा।

5. जन संख्या की तीव्र वृद्धि ने विकास को प्रभावहीन कर दिया। राष्ट्रीय आय में नगण्य वृद्धि हुई। इस हेतु एक प्रभावी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

6. आय एवं धन के वितरण में असमानता को कम करने हेतु तीव्र कदम उठाने चाहिए। प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से वितरण में समानता लाने का प्रयास किया जाए। भूमि एवं शहरी सम्पत्ति की अधिकता सीमा का निर्धारण कर अतिरिक्त को जनकल्याण के कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

7. बचत, निवेश और पूँजी-निर्माण को तीव्र प्रोत्साहन हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बचत को प्रोत्साहन कर उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में छोटी-छोटी बचतों को एकत्रीकरण के साथ ही विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी को भी आकर्षित करना आवश्यक है।

8. आधार भूत आवश्यकताएँ जो गरीबी के मूल कारण से जुड़ी हैं, प्रभावी आय आवश्यक है। इस सन्दर्भ में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, बिजली, आवास एवं विद्युतीकरण के कार्यक्रमों को तीव्रता से लागू कर गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार सम्भव है।

9. क्षेत्रीय असमानता को दूर करने एवं सीमान्त प्रदेशों में प्रेरित प्रवास रूपी कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिए। जैसा कि ब्राजील, चीन, मलेशिया जैसे देशों में महज जनसंख्या प्रदेशों से भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए सीमान्त प्रदेशों में प्रवास को प्रेरित करने का व बसाव की विधि को अपनाया एवं सफलता पायी।

अभ्यास प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में 2011-12(रंगराजन समिति) में प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
2. गरीबी रेखा की पुर्न परिभाषा हेतु की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।
3. गरीबी की माप के लिए सामान्यतः..... का प्रयोग किया जाता है
4. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 जनवरीसे प्रारम्भ हुई थी।
5. निर्धनता रेखा मापने का कैलोरी मापदण्ड द्वारा दिया गया है।
6. उत्तराखण्ड में गरीबी की मापप्रतिमान विधि से की जाती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. गरीबी का परिमाण से क्या आशय है।

.....

.....

.....

.....

2. उत्तराखण्ड में गरीबी के परिमाण का अनुमान किस विधि से करते हैं।

.....

.....

.....

.....

3. सापेक्ष एवं निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं?

.....

.....

.....

.....

4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम की प्रमुख दो विशेषता बताइए।

.....

.....

.....

.....

2.9 बेरोजगारी का आशय

अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो अथवा अल्प विकसित बेरोजगारी एक सामान्य बात है। बेरोजगारी कुशल एवं अकुशल दोनों श्रेणी के श्रमिकों के मध्य पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से देखे तो यह उत्पादन के एक महत्वपूर्ण संसाधन की बर्बादी है। बेरोजगारी ऐसी स्थिति का निर्माण करती है जहाँ व्यक्ति का सर्वाधिक नैतिक पतन हो जाता है।

बेरोजगारी उत्तराखण्ड की एक ज्वलन्त समस्या है जिसकी जड़ गहरी पहुंच चुकी है। आज इसका स्वरूप दीर्घता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। भारत में ही बेकारी नहीं अपितु बेकारी की समस्या विश्वव्यापी है। सामान्यतया जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार और इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है लेकिन कोई कार्य नहीं मिलता जिससे की वह अपनी जीविका का निर्वाहन कर सके तो इस प्रकार की समस्या बेरोजगारी की समस्या कहलाती है। हम बेरोजगार जनसंख्या के उस बड़े भाग को नहीं कहते हैं जो काम के लिए नहीं मिलते जैसे विद्यार्थी बड़े उम्र के व्यक्ति घरेलू कार्यों में लगी महिलायें आदि। जैसा प्रो० पीगू ने कहा है **“एक व्यक्ति तभी ही बेरोजगार कहलाता है। जबकि उसके पास कार्य नहीं हो और वह रोजगार पाने का इच्छुक हो।”**

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रकाशन के मुताबिक बेरोजगार शब्द में वे सब व्यक्ति शामिल किये जाने चाहिये जो एक दिये हुए दिन में काम की तलाश में और रोजगार में नहीं लगे हुए हैं किन्तु यदि कोई रोजगार दिया जाय तो काम में लग सकतें हैं।

समस्या को परिभाषित करने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यकता और साधन के बारे में विस्तृत विवेचन किया जाये। बेरोजगारी के सन्दर्भ में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि रोजगार के अवसरों और रोजगार के साधनों के संख्यात्मक मान में भी बहुत बड़ा अन्तर है यही अन्तर बेरोजगारी चिन्तन के लिए हमें विवश करता है।

बेरोजगारी मूलरूप से गलत आर्थिक नियोजन का परिणाम है। व्यक्ति जहां संसार में एक मुंह के साथ आता है वही श्रम हेतु दो हाथ भी लाता है। जब तक इन हाथों को श्रम के साधन प्राप्त नहीं होते तब तक अर्थव्यवस्था को पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है। गाँधी जी का इस सन्दर्भ में विचार सम्पत्ति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण होना चाहिए समाज में उपस्थित विभिन्न आर्थिक तत्व को नियोजित ढंग से कुटीर और लघु उद्योगों को प्रश्रय देना चाहिए।

बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परन्तु उसे काम नहीं मिलता है।

बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो—

1. कार्य करने के योग्य हो।
2. कार्य करने के इच्छुक हो।
3. वर्तमान मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो।

“ बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं कार्य करने में सक्षम होने पर भी प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पाता।”

उन व्यक्तियों को जो कार्य करने के योग्य नहीं हैं, जैसे— बीमार बूढ़े, बच्चें, विद्यार्थी आदि को बेरोजगारी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जो लोग कार्य करना ही पसन्द नहीं करते हैं, उनकी गणना भी बेरोजगारी में नहीं की जाती है।

2.10 बेरोजगारी की प्रकृति

बेरोजगारी की समस्या ने कई रूप ले लिया हैं, जो निम्नवत है –

- **प्रच्छन्न बेरोजगारी**, बेरोजगारी का वह स्वरूप है जो प्रत्यक्ष रूप में दिखायी नहीं देता और छुपा रहता है भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पायी जाती हैं। जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती के कार्यों से अलग कर दिया जाता है तो उत्पादन में कोई अन्तर नहीं पड़ता हैं। इसका अर्थ यही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उत्पादन में कोई योगदान नहीं दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी के अर्न्तगत आते हैं।
- जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है या पूरा कार्य नहीं मिलता है। तो इसे **अल्प रोजगार** कहते हैं। जैसे एक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक या श्रमिक के रूप में कार्य करता हैं तो इसे अल्प रोजगार कहते हैं ऐसे व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखायी तो देता परन्तु इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं होता है।
- जब व्यक्ति कार्य के योग्य है और वह कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को **खुली बेरोजगारी** कहते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है यहाँ लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं तकनीकी योग्यता प्राप्त है लेकिन उनको काम करने का अवसर नहीं मिल रहा हैं।
- **मौसमी बेरोजगारी** इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ समय में ही होती है भारत में यह कृषि में पायी जाती हैं। जब खेती की जुताई एवं बुआई का मौसम होता है तो कृषि उद्योग में दिन रात कार्य होता है। इसी प्रकार जब कटाई का समय होता है तो फिर कृषि में कार्य होता है। लेकिन बीच के समय में इतना काम नहीं होता है। अतः इस प्रकार के समय में श्रमिकों को काम नहीं मिलता है। इस बेरोजगारी को **मौसमी बेरोजगारी** कहते हैं।
- शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी का ही एक रूप है। इसमें शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी में कुछ व्यक्ति अल्प रोजगार की स्थिति में होते हैं। जिन्हें रोजगार मिला हुआ होता है लेकिन वह उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं होता है। भारत में भी इस प्रकार की बेरोजगारी भी पायी जाती है।

बेरोजगारी का स्वरूप देश के शहरी तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में विद्यमान है। शहरी बेरोजगारी दो प्रकार की है प्रथम शिक्षित लोगो की बेरोजगारी तथा द्वितीय औद्योगिक मजदूरों और शारीरिक श्रम करने वाले लोगो की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी मुख्य रूप से तीन प्रकार की है प्रथम मौसमी बेरोजगारी, द्वितीय प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी और तृतीय प्रत्यक्ष बेरोजगारी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी के तीन परिकल्पनाएँ की जाती है—

- **चिरकालिक बेरोजगारी या सामान्य स्थिति**: यह बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में माप है जो पूरे वर्ष के दौरान बेरोजगार हो। इसी कारण इस बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है।

- **साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी** : इसे भी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर मापन किया जाता है अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान एक घंटे का भी रोजगार नहीं मिला हो।
- **दैनिक स्थिति बेरोजगारी** : इसे व्यक्ति दिनों या व्यक्ति वर्षों के रूप में मापन करते हैं। अर्थात् वे व्यक्ति जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान या एक दिन या कुछ दिन रोजगार प्राप्त न हुआ हो। यह बेरोजगारी की व्यापक माप है। जिसमें सामान्य स्थिति बेरोजगारी और अल्परोजगार दोनों शामिल होते हैं।

2.11 उत्तराखण्ड में बेरोजगारी के कारण

प्रदेश में बेरोजगारी के लिए बहुत से कारण जिम्मेवार होते हैं इन्हें हम आन्तरिक और बाहरी कारणों में बाँट सकते आन्तरिक कारण श्रमिकों के स्वभाव, शारीरिक, मानसिक व नैतिक कमियों से सम्बन्धित होते हैं। प्रायः एक व्यक्ति अपनी इच्छा के बावजूद अपनी शारीरिक मानसिक कमजोरियों दोषपूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि के कारण काम पाने में असमर्थ रहता है। इन परिस्थितियों में बेरोजगारी आन्तरिक कारणों का नतीजा होती है। बेरोजगारी के बाहरी कारण भी बहुत से होते हैं। श्रम बाजार में चक्रीय उतार चढ़ाव हो रहा है। मंदी के दिनों में व्यावसायिक क्रियायें एक न्यूनतम स्तर पर होती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। किन्तु दूसरी ओर तेजी के दौरान व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार होता है और इस समय बेकारी की मात्रा घटने लगती हैं। मंदी और तेजी की ऐसी अवधियों विभिन्न कारणों से होती हैं जिन्हें व्यापार चक्रों के सिद्धान्तों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उद्योग में विवेकीकरण की योजनाओं को अपनाया जाना बेरोजगारी को उत्पन्न करता है। इसके अलावा कुछ व्यवसाय व आर्थिक क्रियायें स्वभाव से मौसमी होती हैं। जैसे बिल्डिंग निर्माण या कृषि। अन्त में आकस्मिक श्रम पद्धति भी जिसके अर्न्तगत श्रमिकों को कुछ कार्यों पर सिर्फ व्यावसायिक व्यवस्था के समय ही स्थाई रूप में लगाया जाता है दूसरे समय ऐसे श्रमिकों के लिए बेकारी पैदा कर दी जाती है।

मोटे तौर से बेरोजगारी के कारणों की व्याख्या के संबंध में तीन सैद्धान्तिक विचारधाराएँ पायी जाती हैं।

- 1 पहली विचारधारा के मुताबिक बेकारी निर्बाध सिद्धान्त अर्थात् स्वतंत्र प्रतियोगिता तथा स्वतंत्र व्यापार से डिग जाने का दण्ड होती है।
- 2 दूसरी विचारधारा के मुताबिक बेकारी व्यापार चक्रों के कारणों की जटिलताओं के कारण पैदा होती है। इसे चक्रीय बेकारी के रूप में देखा जाता है।
- 3 तीसरी विचारधारा के मुताबिक बेकारी प्रभावी मांग की कमी उपभोग पर किये जाने वाले पूँजीगत व्यय की कमी या निवेश की कमी या दोनों ही के कारण पैदा होती है।

बेरोजगारी के दोष बहुत अधिक हैं। राष्ट्र के लिए बेरोजगारी समस्या एक गम्भीर समस्या है क्योंकि खाली मस्तिष्क शैतान का घर हैं। काल मार्क्स के मुताबिक कार्य मानवीय अस्तित्व के लिए मूल शर्त है। व्यापक बेरोजगारी एक ऐसी बुराई है जो गम्भीर आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक खतरों से भरी है। तकलीफ निराशा और असंतोष पैदा करके बेरोजगारी राजनीति और सामाजिक जीवन को कडुवा बनाती है तथा सुरक्षा को ठेस पहुंचाती है। पेट की आग को बुझाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। यदि उनको सही रूप से व्यवसाय नहीं मिलेगा जिससे वह अपने अनुकूल जीवन यापन कर

सके तो निश्चित रूप से ही वह गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित होंगे जिन्हें करना वह स्वयं भी उचित नहीं समझते किन्तु करना पड़ता है क्योंकि मरता क्या न करता।

बेरोजगारी से व्यक्ति में यह भावना आती है कि वह समाज के लिए गैर जरूरी है। वह परिवार में अपने को बोझ समझने लगता है। इसी कारण से वह अपराधी तक बन सकता है। किसी देश में निष्क्रिय मानव व्यक्ति का मतलब उत्पादन एवं आय का उस स्तर से नीचा होना है जिस पर कि वे सभी श्रमिकों को काम पर नहीं लगा सकते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से इस बेरोजगारी का गम्भीर परिणाम व्यक्ति का स्वयं का नुकसान है। इसमें धीरे-धीरे व्यक्ति की कार्य क्षमता ह्रास होता है। उसकी इस शक्ति को यदि उचित रूप में काम में लिया जाये तो यह राष्ट्र के लिए उन्नति समृद्धि एवं सम्पन्नता का साधन बन सकती है।

जिस प्रदेश में बेरोजगारी होती है उस प्रदेश में नयी-नयी सामाजिक समस्याएँ जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, जुआ-बाजी आदि पैदा हो जाती है। जिससे सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है शांति और सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिस पर सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है। वर्तमान आतंकवाद की समस्या भी मंत्री समझ में किसी न किसी रूप में बेरोजगारी का ही एक परिणाम है।

बेरोजगारी की समस्या प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है। क्योंकि बेकार व्यक्ति हर समय राजनीति उखाड़-पछाड़ में लगे रहते हैं। आज राजनीति से जुड़े हुए बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में समाज में अपराधी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि दबाव और शक्ति से कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

प्रदेश में व्याप्त दीर्घस्थायी बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की समस्या के लिए निम्न घटक उत्तरदायी है—जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि दर फलस्वरूप श्रम शक्ति में तीव्र वृद्धि दर—जनांकिकीय दृष्टि से हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि प्रगति और परिवर्तनों के बावजूद हम आर्थिक दृष्टि से ठहरे हुए जान पड़ते हैं। नियोजन काल में राज्य की जनसंख्या तथा इसके फलस्वरूप श्रम-शक्ति कई गुना बढ़ गयी है। बढ़ती हुई श्रम-शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न कराये जाने के कारण बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती गई है।

अनुप्रयुक्त शिक्षा प्रणाली एवं कार्य के प्रति संकुचित दृष्टिकोण—प्रदेश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के कारण शिक्षित युवक नौकरी पाने की इच्छा रखते हुए भी शारीरिक श्रम वाले रोजगार से दूर भागते हैं। सरकार अभी तक शिक्षा प्रणाली को आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं ढाल सकी है परिणामस्वरूप करोड़ों शिक्षित युवक और युवतियाँ रोजगार की तालाश में घूमते-फिर रहे हैं।

कुटीर उद्योगों का पतन—श्रम गहन होने के कारण इन उद्योगों का रोजगार की दृष्टि से विशेष महत्व है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत पूंजी गहन बड़े उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिये जाने के कारण कुटीर और लघु उद्योगों का वांछनीय विकास नहीं हो पाया है। फलतः राज्य में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या निरन्तर गम्भीर होती चली गई है।

कृषि की मानसून पर अधिक निर्भरता एवं सिंचाई साधनों का अभाव—निर्धनता के उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थायित्व तथा घरेलू बाजार के विस्तार की दृष्टि से कृषि के महत्व को जानते हुए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बार-बार स्वीकार

करते हुए भी नियोजन काल में कृषि क्षेत्र को कुल निवेश योग्य साधनों में से उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। फलतः गांवों से शहरों की ओर श्रम शक्ति के पलायन की प्रवृत्ति जोर पकड़ती गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी की समस्या गहन होती चली गई।

उत्पादन साधनों का असमान वितरण— भूमि और पूंजी जैसे उत्पादन साधनों का अत्यधिक असमान वितरण, आर्थिक विषमता और बेरोजगारी की समस्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरादायी है। 20 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या खेतिहर श्रमिकों के रूप में निर्धनता, शोषण, कुपोषण और अल्प रोजगार से ग्रस्त है। उत्तराखण्ड में 70 प्रतिशत किसानों की जोतें अनार्थिक आकार (एक हेक्टेयर से कम) की हैं जिन्हें सम्पूर्ण वर्ष में 5-6 महीने निष्क्रिय रहना पड़ता है। दूसरी ओर बहुत थोड़ी पूंजी वाले इस राज्य में उपलब्ध पूंजी गिने-चुने हाथों में केन्द्रित है। साधन सम्पन्न व्यक्तियों की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण विभिन्न व्यवसायों में श्रम की बचत करने वाल गहन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

अविकसित सामाजिक दशाएं—प्रदेश की दोषपूर्ण सामाजिक संस्थाएं (जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, छुआछूत, बाल-विवाह, प्रदा पथा आदि) बेरोजगारी की समस्या को उग्र बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुई है। जनसाधारण की निरक्षरता, अन्धविश्वास और भाग्यवादिता ने भी युवकों को निष्क्रिय बनाये रखने में सहयोग दिया है। श्रम शक्ति का असन्तुलित व्यावसायिक वितरण, व्यावसायिक शिक्षण एवं शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता, श्रम शक्ति में गतिशीलता का अभाव आदि कारणों ने भी बेरोजगारी और बेरोजगार की समस्या को गम्भीर बना दिया है।

पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव— आज अधिकांश शिक्षा ऐसी दी जाती है कि केवल सैद्धान्तिक ज्ञान तक ही सीमित है और जिसका जीवन में अधिक उपयोग नहीं है। बी0ए0, एम0ए0 करने के बाद भी लड़को को यह भी पता नहीं हो पता है कि अब उसे क्या करना है। तकनीकी शिक्षा के पूर्ण अभाव के कारण वह अपना कोई छोटा-मोटा व्यवसाय भी नहीं कर सकता।

पूंजी निर्माण की धीमी गति— बेरोजगारी में वृद्धि होने के कारण प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम होती जा रही है, परिणामस्वरूप बचत एवं विनियोग की दर में भी कमी हो रही है। इससे पूंजी निर्माण की गति बहुत धीमी हो गयी है जिसका प्रभाव उद्योग, व्यापार एवं अन्य सेवाओं पर पड़ रहा है और उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। इस चक्र के प्रभाव से बेरोजगारी की संख्या में और अधिक वृद्धि हो रही है।

स्वरोजगार के प्रति उपेक्षा—प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने के मूल में यह कारण निहित है कि प्रत्येक युवा अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी की तालाश में जुट जाता है। उसमें स्वयं का व्यवसाय करने की भावना का अभाव रहता है, परिणामस्वरूप बेरोजगारों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है।

बेरोजगारी के खराब असर बराबर बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए विलयम बेवरिज ने लिखा है कि बेरोजगार रखने के स्थान पर लोगों को गड़ढे खुदवाकार वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज्यादा अच्छा है।

सार रूप में हमारे देश की बेरोजगारी का कारण उसकी संरचनात्मक अवस्था में निहित है। जो कृषि के अल्प विकास उद्योगो का असंतुलित विकास सेवा क्षेत्र के संकुचित आकार के श्रम की माँग में है जो और रोजगार के अवसर सीमित कर देते है। लोग विद्यमान मजदूरी दर पर कार्य करने को तत्पर है परन्तु फिर भी कार्य की अनुपलब्धता के कारण वह बेरोजगार है।

2.12 उत्तराखण्ड में बेरोजगारी

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड में प्रतिशत बेरोजगारी दर 4.1 एवं शहरी बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत थी। जो सम्पूर्ण भारत से कम है। (सारणी 9.3)

सारणी 9.3 बेरोजगारी दर(CDS) का विवरण

	ग्रामीण	शहरी
उत्तराखण्ड	4.1	6.8
भारत	8.2	8.3

स्रोत:—राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 2004

उत्तराखण्ड में रोजगार वृद्धि दर की विवेचना सारणी 9.4 में की गयी है। 1994–2000 के मध्य पुरुष के लिए यह -1.44, महिला -0.29 और कुल -2.84 थी। वह 1983–2004 के मध्य पुरुष के लिए यह 0.51, महिला 0.65 और कुल 0.34 थी। वही वर्ष 2004–2014 के सन्दर्भ में अनुमानित रूप से पुरुष के लिए यह 1.45, महिला 1.87 और कुल 1.54 है।

सारणी 9.4 उत्तराखण्ड में रोजगार वृद्धि दर

अवधि	पुरुष	महिला	कुल
1983–88	0.62	0.84	0.36
1988–94	2.83	1.97	3.88
1994–2000	-1.44	-0.29	-2.84
2000–04	3.48	4.65	1.84
1983–2004	0.51	0.65	0.34
2004–14(अनुमानित)	1.45	1.87	1.54

स्रोत:—राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

2011 की जनगणनानुसार उत्तराखण्ड में 3872275 कामगार लगे थे। जिसमें से कुल कृषि कामगारों की संख्या 1888551 है। कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत 51.23 प्रतिशत है। सर्वाधिक कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत बागेश्वर जनपद में 76.12 प्रतिशत है। न्यूनतम कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत देहरादून जनपद में 19.80 प्रतिशत है। पर्वतीय जनपदों में कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत 55.46 प्रतिशत है। मैदानी जनपदों में कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत 41.44 प्रतिशत है।

सारणी 9.5 उत्तराखण्ड में 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य विभाजन

जनपद	कृषक	कृषि श्रमिक	कुल कृषि कामगार	अन्य	कुल कामगार	कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत
अल्मोड़ा	207617	10274	217891	80320	298211	73.07
बागेश्वर	85125	8985	94110	29528	123638	76.12
चम्पावत	59993	4032	64025	35541	99566	64.30
पिथौरागढ़	137332	5432	142764	73726	216490	65.94
नैनीताल	137530	34742	172272	203909	376181	45.79
पौड़ी गढ़वाल	150607	13715	164322	109830	274152	59.94

टिहरी गढ़वाल	187121	8129	195250	85192	280442	69.62
रूद्रप्रयाग	83155	3200	86355	26677	113032	76.40
चमोली	121157	3845	125002	55938	180940	69.08
उत्तरकाशी	117264	4387	121651	35625	157276	77.35
छेहरादून	77176	38195	115371	467397	582768	19.80
पर्वतीय जनपद का योग	1364077	134936	1499013	1203683	2702696	55.46
ऊधमसिंह नगर	122686	165250	287936	303522	591458	48.68
हरिद्वार	93660	103115	196775	381346	578121	34.04
मैदानी जनपद का योग	216346	268365	484711	684868	1169579	41.44
उत्तराखण्ड	1580423	403301	1983724	1888551	3872275	51.23

स्रोत:—जनगणना 2011

2.13 उत्तराखण्ड में बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव

किसी भी प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी चिन्ता का विषय है। बेरोजगारी की इस गम्भीर समस्या ने अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म दिया है जिनका समाधान खोज पाना अत्यधिक कठिन हो गया है। यदि समय रहते बेरोजगारी के समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किये जा सके तो प्रदेश एवं समाज का विघटन अवश्यम्भावी है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव निम्नवत है—

- बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। बिना जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किये बेरोजगारी की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।
- लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों का विकास किया जाना चाहिए।
- उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रधानता वाला राज्य है, जहाँ वर्ष के मात्र छः—सात माह के लिए कृषक और कृषि श्रमिक के पास रोजगार की व्यवस्था रहती है। शेष समय में कृषक और श्रमिक बेरोजगार रहते हैं, अतः इस खाली समय के उपयोग के लिए कृषि से सम्बद्ध सहायक उद्योगों जैसे— दूध का व्यवसाय, मुर्गीपालन, पशुपालन आदि की स्थापना की जानी चाहिए।
- ग्रामों में रोजगार उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए क्योंकि सर्वाधिक बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनायें भी सबसे अधिक हैं।
- रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली स्थापना की जानी चाहिए।
- उद्योगों की पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करना चाहिए।
- आधारिक एवं सामाजिक अद्योसंरचना को मजबूत बनाकर विनियोग को प्रेरित किया जा सकता है जिससे रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी तथा अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विस्तार भी होगा।

- नई तकनीकी का इस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए जिससे उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी आय में वृद्धि होगी प्रेरणा से नवीन उद्योगों की स्थापना होगी। जो रोजगार में वृद्धि लायेगा।

2.14 उत्तराखण्ड में गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के कार्यक्रम

गरीबी एवं बेरोजगारीको समाप्त करने के लिए सरकार अनेक गरीबी एवं बेरोजगारीनिवारक कार्यक्रम चलाये हुए है जिससे लोगो की आय का सृजन हो। इसमें से अधिकांश कार्यक्रम भौतिक सम्पदा के निर्माण जैसे- ग्रामीण आधारिक संरचना के अन्तर्गत सड़क, पीने का पानी की सुविधाओं, सीवरेज आदि से जुड़े है जबकि अन्य को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा व्यापार प्रारम्भ करने हेतु सहायता प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूह भी लोगों के सतत् विकास हेतु प्रयत्नशील है। गरीबी एवं बेरोजगारी निवारक कार्यक्रम निम्न है-

अस्थायी रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रम- जवाहर रोजगार योजना (जे0आर0वाई0), जवाहर समृद्धि योजना, दस लाख कुआं योजना, रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले आनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन0आर0ई0पी0), भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (एन0आर0ई0जी0पी0), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम (2005)।

सतत् रोजगार एवं आय सृजित कार्यक्रम- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयंसिद्धा प्रोजेक्ट, संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण वन प्रबन्धन कमेटी, सूक्ष्म वित्त एवं प्रबन्धन द्वारा लाभार्थी का व्यापक आर्थिक सुधार।

जीविका की लागत कम करने वाले कार्यक्रम - सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वजल धारा (ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की सुनिश्चितता करना), इन्दिरा आवास योजना।

इनमें से मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्न है-

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना- 1 जनवरी 1999 में जवाहर रोजगार योजना में इन्दिरा आवास योजना तथा दस लाख कुआं योजना शामिल कर ली गयी। हाशिम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसका नया नामकरण स्वर्ण जयन्ती ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। इसमें कुछ योजनाएं और शामिल की गईं। जैसे-समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट आपूर्ति कार्यक्रम तथा गंगा कल्याण योजना। वर्तमान में इसका नाम ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को एक निश्चित अवधि में (3 वर्ष की अवधि) में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 30 प्रतिशत को इस योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

योजना में दी जाने वाली धनराशि केन्द्र और राज्य सरकार 90:10 के अनुपात में विभाजित करेंगी। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं-प्रत्येक विकास खण्ड पर चार या पाँच मुख्य ऐसी गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान है जो स्थानीय संसाधनों, शिल्प और विपणन उपलब्धता के अनुरूप हों, ताकि स्वरोजगारी अपने विनियोग से लाभकारी आय प्राप्त कर सकें। ऐसी मुख्य गतिविधियों द्वारा गरीबों को संगठित करके स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना है। एक स्व-सहायता समूह में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित 10-20 व्यक्ति हो सकते हैं तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। लघु सिंचाई योजनाओं, दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी इलाकों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों) में तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। इस स्वयं-सहायता समूह में महिलाओं को वरीयता प्रदान की गई है।

यह योजना एक ऋण एवं सब्सिडी योजना है, जिसमें ऋण एक प्रमुख तथ्य है, जबकि सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के एक समान दर पर होगी, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपये होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत या 10,000 रुपये होगी। स्वयं सहायता समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 1.25 लाख रुपये होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी कार्यान्वयन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम-2005—नरेगा के नाम से प्रसिद्ध यह योजना रोजगार के अन्य कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह मात्र एक योजना नहीं, बल्कि एक कानून है जो रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुलशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। (प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा इसका विभाजन परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा सकता है) राज्यों में कृषि श्रमिक के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है जो 100 रुपये से कम नहीं होगी। योजना के तहत 33 प्रतिशत लाभ भोगी महिलाएं होंगी। रोजगार के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किया जाने का प्रावधान है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मनरेगा के नाम से जानी जाने वाली यह योजना राज्य में 2 मार्च, 2006 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शारीरिक श्रम रोजगार करने के इच्छुक परिवारों को उनकी मांग के आधार पर 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजना प्रथम चरण में राज्य के तीन जनपदों टिहरी, चमोली एवं चम्पावत में संचालित की गयी है। द्वितीय चरण में दो जनपद हरिद्वार और उधमसिंहनगर सम्मिलित किये गये तथा तृतीय चरण में दिनांक 01.04.2008 से राज्य के अन्य आठ जनपदों में योजना संचालित की जा चुकी है। इस योजना द्वारा मानव दिवस सृजित कर श्रमिक परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराया गया।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये बीपीएल योजना— यह योजना सफेद रंग के राशन कार्डधारी 9000/- या उससे कम वार्षिक आय वर्ग के परिवारों हेतु लागू है। इस योजना में ₹0 4.65 प्रति किलो ग्राम की दर से 10.250 किलो गेहूँ एवं ₹0 6.15 प्रति किलो की दर से 24.750 किग्रा0 चावल तथा हरिद्वार में 19.800 किलो गेहूँ एवं 15.200 किग्रा0 चावल कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में इस योजना के कार्ड धरकों की संख्या 307074 है।

निर्धनतम परिवारों हेतु अन्त्योदय अन्न योजना—इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल श्रेणी के निर्धनतम लक्षित 190926 परिवारों का चयन किया गया है। जिन्हें गुलाबी रंग के राशन कार्ड जारी किये गये हैं। इन परिवारों को 2.00 ₹0 प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 10.750 किग्रा0 गेहूँ एवं 3.00 ₹0 प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 24.250 किग्रा0 चावल उपलब्ध कराया जाता है।

इन्दिरा आवास योजना (IAY)— यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका वित्तपोषण केन्द्र एवं राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में किया जाता है। 1999—2000 से प्रारम्भ की गयी इन्दिरा भवन आवास योजना गांवों में गरीबों के लिए मुफ्त में मकानों के निर्माण की प्रमुख योजना है।

शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम— शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) को 1993—94 में शहरी क्षेत्रों में चलाया गया।

बालिका समृद्धि योजना(BSY) को 1997 में बालिकाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के विशेष उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था।

उत्तराखण्ड ग्रामीण स्वरोजगार मिशन—उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान कराने हेतु वर्ष 2006—07 में “उत्तराखण्ड ग्रामीण स्वरोजगार मिशन” नामक अत्यन्त महत्तवाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है।

उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना—उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना वित्तीय वर्ष 2006—07 से राज्य में प्रारम्भ की गयी है। योजना शतप्रतिशत राज्य सेक्टर से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के इच्छुक नव युवक/नवयुवतियों को शासकीय सहायता एवं बैंकों द्वारा वित्तपोषित कराकर विभिन्न क्रियाकलापों में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।।

एकिकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम (ICDS)-1975 में शुरू इस स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है, आँगन वाड़ी, भवनो, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY) जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों की आवश्यक आवश्यकताओं (criticalneeds) को निर्धारित समयावधि में पूरा करना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— 25 दिसम्बर, 2000 को लागू की गयी। 60 हजार करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक हर मौसमी सड़क से जोड़ना है। अब इससे बढ़ाकर 2017 कर दिया गया है। यह एक 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका वित्तपोषण डीजल पर उपकर से होता है।

2.15 उत्तराखण्ड में गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन

योजनाकारों की आरम्भ से ही यह धारणा थी कि आर्थिक विकास प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी जिसका प्रभाव रिसाव द्वारा नीचे तक स्वयं ही पहुँच जायेगा। जिसके साथ प्रगतिशील करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय का कल्याणकारी स्वरूप गरीबी में कमी लायेगा। परन्तु गरीबी निवारण की ष्ठ धारणा सफल न हो सकी। इस सन्दर्भ में गरीबी निवारण कार्यक्रम का पूरा ध्यान अतिरिक्त आय के सृजन पर केन्द्रित रहा है। परिवार कल्याण, पैष्टिक आहार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इन कार्यक्रमों में अपाहिज, बीमार तथा उत्पादक रूप से काम करने के अयोग्य लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। जनसंख्या के लगातार छोटा होता जा रहा है, स्वरोजगार उद्यमों पर या मजदूरों के रोजगार कार्यक्रमों पर निर्भरता सही नहीं है।

वर्ष 1965—66 के बाद नई कृषि क्रान्ति के आने से गुणात्मक परिवर्तन हुआ। अब कृषि उत्पादन में वृद्धि और अधिक भूमि के कारण नहीं बल्कि गहन खेती के कारण होने लगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऐसे परिवर्तन हुए जो गरीबों के लिए हितकर नहीं थे। जैसे मशीनों द्वारा श्रम का प्रतिस्थापन फलस्वरूप रोजगार के अवसर नहीं बढ़ सके। बड़े भूस्वामियों ने छोटे-छोटे काश्तकारों से बटाई खेती लेकर स्वयं कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। बड़े कृषकों की आय बढ़ने एवं मँहगी कृषि आगत से साधन—विहीन सीमांत व छोटे कृषकों की आय घटने से स्थानीय दस्तकारों व कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की माँग गिरी और लोग ज्यादा गरीब हो गए।

जबकि आवश्यकता इस बात पर ध्यान देने की है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे विभिन्न लोगों के आय स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

अभ्यास प्रश्न 2

लघु उत्तरीय प्रश्न—

1. उत्तराखण्ड में बेरोजगारी की प्रकृतिकी विवेचना कीजिए।

.....
.....
.....

2. उत्तराखण्ड में बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लीखिए।

.....
.....
.....

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लीखिए।

.....
.....
.....

4. अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ बताइए।

.....
.....
.....

5. मौसमी बेरोजगारी आशय एवं इसकी प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए।

.....
.....
.....

2.16 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखण्ड की आर्थिक समस्याओं में सर्वाधिक प्रमुख समस्या गरीबी एवं बेरोजगारी है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे विरासत में मिली एक पंगु अर्थव्यवस्था जिसमें गरीबी एवं बेरोजगारीकी जड़े बरगद के वृक्ष के समान पनप चुकी थी। अर्थव्यवस्था को गरीबी एवं बेरोजगारी के जाल से निकाला जाय तथा देश में तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास लाया जाए नियोजन काल में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को चुना। गरीबी की माप के लिए सामान्यतः दो प्रतिमानों सापेक्षित प्रतिमान और निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। 7वें वित्त आयोग ने एक नयी वर्द्धित गरीबी रेखा की अवधारणा की संकल्पना का प्रतिपादन किया। योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण के सम्बन्ध एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की जिसमें आहार सम्बन्धी जरूरतों को

ध्यान में रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार जिनको ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से पोषक शक्ति नहीं प्राप्त होती है उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। बेरोजगारी उत्तराखण्ड की एक ज्वलन्त समस्या है एक व्यक्ति तभी ही बेरोजगार कहलाता है, जबकि उसके पास कार्य नहीं हो और वह रोजगार पाने का इच्छुक हो। गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार अनेक गरीबी एवं बेरोजगारी निवारक कार्यक्रम चलाये हुए है जिससे लोगो की आय का सृजन हो। यद्यपि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर पैदा करने तथा युवाओं की आय में सकारात्मक वृद्धि करने के प्रयास कर रही है। तथापि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को अभी और गम्भीरता से अपने प्रयासों को लागू करना होगा। इस इकाई के अध्ययन से आप आर्थिक समस्याओं में सर्वाधिक प्रमुख समस्या गरीबी एवं बेरोजगारीके कारणों, निवारण के उपाय एवं उसके प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे।

2.17 शब्दावली

माइग्रेशन – एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगना।

अदृश्य बेरोजगारी– खेतों पर से यदि अतिरिक्त लोगों को हटा लिया जाय और उत्पादन में कमी न आये।

कुशलतम प्रयोग– न्यूनतम नुकसान पर अधिकतम इस्तेमाल द्वारा उत्पादन करना।

बीपीएल– गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगो को कहते है।

गरीबी का दुश्चक्र– अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में व्यवधान डालने वाली उन समस्याओं एवं बाधाओं से है जो इन देशों के गरीबी के कारण व परिणाम के रूप में वृत्ताकार आकार में घटित होती रहती है।

प्रति व्यक्ति आय –राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है।

मानव विकास सूचकांक –विकास के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया। इस सूचकांक को जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक योग्यता तथा क्रय शक्ति आधारित प्रति व्यक्ति आय को शामिल करके निर्मित किया गया है एवं वर्तमान समय में यह विकास का महत्वपूर्ण पैमाना है।

महिला सशक्तिकरण –महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं यके आर्थिक सामाजिक उत्थान के साथ-साथ राजनैतिक चेतना के ऐसे विकास है जहां महिला समाज के हर क्षेत्र में स्वतन्त्रता तथा समाना पूर्वक योगदान कर सके एवं प्रत्येक स्तर पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके।

ग्रामीण विकास –ग्रामीण स्तर पर सभी को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराते हुये ग्रामीण जीवन स्तर सुधार करने की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास कहते है।

क्रय शक्ति– खरीदने की क्षमता को कहते है।

2.18 अभ्यास प्रश्न के उत्तर

18.4 2. प्रो0 रंगराजन समिति 3. कैलोरी मानक 4.1999 5. योजना आयोग 6. निरपेक्ष प्रतिमान

2.19 सन्दर्भ-सूची

1. मामोरिया, चतुर्भुज, भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन, आगरा।
2. दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चंद एण्ड कं0 लि0, नई दिल्ली।

3. Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.
4. Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.
5. Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
6. Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.
7. Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
8. Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.

2.20 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2016), सांख्यिकीय डायरी 2015-16, उत्तराखण्ड सरकार
- आर्थिक सर्वेक्षण(विभिन्न अंक), वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कुरुक्षेत्र (विभिन्न अंक), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- योजना (विभिन्न अंक) योजना आयोग, नई दिल्ली।
- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा।
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ।
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा।
- सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।

2.21 निबन्धात्मक प्रश्न

1. गरीबी का अर्थ अथवा धारणा को स्पष्ट करते हुए उत्तराखण्डमें गरीबी के अनुमानों की विवेचना कीजिए।
2. गरीबी के निराकरण हेतु उत्तराखण्डसरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं को संक्षेप में लिखिए।
3. बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की व्याख्या कीजिए तथा उत्तराखण्ड में इसके निदान के उपाय बताइए।
4. किसी प्रदेश के अविकसित रहने के लिए बेरोजगारी किस रूप में जिम्मेदार है? क्या इस दिशा में मानवीय नियोजन प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 क्षेत्रीय असमानता : अर्थ एवं स्वरूप
- 3.4 उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति
- 3.5 क्षेत्रीय असमानता के कारण
- 3.6 क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय
- 3.7 जनजातीय विकास: अर्थ
- 3.8 उत्तराखण्ड में जनजातियां
- 3.9 उत्तराखण्ड में जिलेवार जनजातियों की संख्या
- 3.10 उत्तराखण्ड में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम
- 3.11 सारांश
- 3.12 शब्दावली
- 3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.15 सहायक उपयोगी सामग्री
- 3.16 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्ड में समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह दसवीं इकाई है। इससे पहले की इकाईयों से आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन और गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं।

उत्तराखण्ड की नियोजित व्यवस्था में विकास की दौड़ में पर्वतीय क्षेत्र और वहां के लोग पिछड़ गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गयी हैं। वर्तमान इकाई में आप उत्तराखण्ड में बढ़ती क्षेत्रीय असमानता के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानता एक प्रमुख आर्थिक समस्या के रूप में विद्यमान है। यहाँ आगे क्षेत्रीय असमानता का आशय उसे जुड़े कारणों, समस्याओं एवं नीतियों का उल्लेख भी किया गया है। उत्तराखण्ड में विद्यमान जनजातियों का विश्लेषण करने के साथ ही उत्तराखण्ड में जनजातीय विकास के कार्यक्रमों की भी व्याख्या प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद क्षेत्रीय असमानता को सामान्य दृष्टि से समझा सकेंगे। आप यह भी समझा सकेंगे कि क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण एवं इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता का विश्लेषण कर सकेंगे हैं और इससे दूर करने के उपाय और उपलब्धियाँ को जान सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप क्षेत्रीय असमानताओं का सम्यक विश्लेषण कर सकेंगे तथा जनजातीय विकास के महत्व को समझा सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप—

- उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की प्रकृति को जान सकेंगे।
- उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में बढ़ती क्षेत्रीय असमानता का वर्णन कर सकेंगे।
- उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानताएं के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का वर्णन कर सकेंगे।
- उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उपाय और उपलब्धियाँ को जान सकेंगे।
- उत्तराखण्ड में विद्यमान जनजातियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- उत्तराखण्ड में जनजातीय विकास के कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान कर सकेंगे।

3.3 क्षेत्रीय असमानता: अर्थ एवं स्वरूप

किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास केवल सकल घरेलू आय एवं उत्पादन में वृद्धि में ही निहित नहीं, वरन् उसका एक महत्वपूर्ण पहलू आय एवं उत्पादन का न्यायोचित वितरण भी है। वितरण का स्वरूप कैसा है, व्यक्तिगत एवं प्रादेशिक वितरण की स्थिति कैसी है, वितरण में समानता है अथवा असमानता और विषमता का आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव है? इन कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का सम्बन्ध धन व सम्पत्ति के वितरण से है जिसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आय तथा सम्पत्ति के असमान वितरण से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस परिस्थितियों से है जिसमें कि कुछ लोगों का आय, औसत आय से बहुत अधिक तथा अधिकांश लोगों की आय, औसत आय से बहुत कम होती है। आय तथा सम्पत्ति के असमान वितरण की समस्या का सम्बन्ध मुख्य रूप से व्यक्तिगत आय के वितरण में

विषमताओं से होता है । इससे अभिप्राय यह है कि कुछ व्यक्तियों की आय बहुत अधिक है जबकि अधिकतर लोगों की आय बहुत कम है ।

किसी भी राष्ट्र में आय और धन के वितरण का इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है । जब तक आय का वितरण वैयक्तिक एवं प्रादेशिक स्तर पर समान रहता है तो आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, समृद्धि बढ़ती है और राजनीतिक शान्ति के साथ-साथ सामाजिक सद्भावना बनी रहती है, व्यक्तिगत कुशलता एवं प्रेरणा बढ़ती है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, गरीबी और अमीरी की घृणा नहीं पनपती और सर्वत्र शान्ति एवं सौहार्द पनपता है ।

इसके विपरीत समाज में धन एवं आय का असमान वितरण और प्रदेश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं से अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं । प्रदेश में आय तथा धन की वैयक्तिक एवं प्रादेशिक वितरण जितना विषम एवं असमान होगा उतनी ही आर्थिक विकास की गति धीमी होगी, समाज में वर्ग-संघर्ष और तनाव से राजनीतिक शान्ति एवं सुदृढ़ता को खतरा होगा। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि किसी भी भाग में गरीबी विश्व समृद्धि को सबसे बड़ा खतरा है । आर्थिक क्षेत्र में विषमताएं आर्थिक शोषण को बढ़ावा देती हैं । अमीरों से गरीबों का द्वेष क्रान्ति को बुलावा देता है । गरीबी में नीचा जीवन-स्तर उत्पादन क्षमता को कम करके उन्हें अधिक गरीब बनाता है जबकि दूसरी ओर विलासिता में डूबे धनी लोग देश के आर्थिक साधनों को कम उपयोगी क्षेत्रों में ले जाकर सामाजिक कल्याण में कमी करते हैं ।

भारत में आर्थिक असमानता निरन्तर बढ़ती जा रही है । भारत में आय के वितरण की जांच करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम प्रो. पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति के अतिरिक्त नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तथा कई अर्थशास्त्रियों जैसे लाइडल, ओझा और भट्ट, रानाडिवे, अहमद, भट्टाचार्य आदि ने आय के वितरण के सम्बन्ध में जांच की है । भारत में कई प्रकार की आर्थिक असमानतायें पाई जाती हैं । इनमें से निम्नलिखित प्रकार की असमानतायें अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

1. परिसम्पत्ति की असमानता
2. आय तथा उपभोग की असमानता
3. क्षेत्रीय असमानता

यदि किसी देश में तुलनात्मक रूप से अत्यधिक विकसित राज्यों एवं पिछड़े राज्यों और आर्थिक रूप से बहुत सम्पन्नक्षेत्रों या राज्यों तथा बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों या राज्यों का सहअस्तित्व हो तो उस स्थिति को क्षेत्रीय असंतुलन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण- के लिए किसी प्रदेश में अधिक उद्योग होते हैं तो किसी प्रदेश में इनकी संख्या काफी कम। इसी प्रकार किसी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं तो किसी प्रदेश में काफी कम। इसी को हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। क्षेत्रीय असमानता अन्तर्राज्यीय भी हो सकता है अथवा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य भी असमानता हो सकता है। उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक संरचना एवं विकास नीतियों के कारण बड़े विस्तार रूप में क्षेत्रीय असमानता लगातार बढ़ती चली गई।

उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्रीय असमानता के मुख्यतः दो कारण हैं—

- प्राकृतिक कारण
- मानव निर्मित कारण

क्षेत्रीय असमानता प्राकृतिक साधनों के असमान वितरण से हो सकता है तथा मानव निर्मित कारण द्वारा भी होता है। जब संसाधनों और तकनीकी की सीमितता के कारण प्रत्येक राज्य या देश की अर्थव्यवस्था को अपने विभिन्न क्षेत्रों के मध्य प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना पड़ता है। जिसके नीतिपरक प्रबन्ध के सही दृष्टिकोण न होने के कारण कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे निकल जाते हैं तो कुछ क्षेत्र पिछड़े जाते हैं। जिससे क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न होना प्रारम्भ हो जाती है। यदि दीर्घकाल तक इन क्षेत्रों पर ध्यान न दिया जायें तो आर्थिक असमानताओं के साथ-साथ सामाजिक असमानताएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संतुलित प्रादेशिक विकास करना होता है। संतुलित प्रादेशिक विकास का यह अर्थ नहीं कि राज्य का प्रत्येक क्षेत्र सामान्य रूप से आत्मनिर्भर हो और न ही इसका यह अर्थ है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र सामान्य रूप से औद्योगिकरण का स्तर हो या राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का आर्थिक ढाँचा एक जैसा हो; बल्कि इसका अर्थ है कि आर्थिक रूप से जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक उद्योगों का राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दूर-दूर तक फैलाव करना है। जिससे अन्ततः पिछड़े क्षेत्रों के लोगों का जीवन-स्तर बढ़ा कर उन्नत क्षेत्रों के लोगों के जीवन-स्तर के समान हो जाए, चाहे ऐसा कृषि उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के माध्यम से सम्मिलित रूप से किया जाये।

सम्पूर्ण भारत की तरह उत्तराखण्ड में भी अनेक प्रकार की आर्थिक-सामाजिक असमानताएं पायी जाती हैं उसमें प्राकृतिक कारण मुख्य रूप से भूमिका निर्वाहन कर रहा है। भौगोलिक असमानताओं के कारण उत्तराखण्ड को पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों के रूप में विभाजित किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जिलों के मध्य असमानताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। उत्तराखण्ड के तेरह जिलों में से चार जिलो- हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर पूर्ण मैदानी हैं तथा नैनीताल, देहरादून, का अधिकांश भाग मैदानी है सामाजिक एवं आर्थिक सूचकांकों पर ये चार जिले अन्य जिलों की तुलना में अधिक विकसित और सम्पन्न हैं। प्रदेश के विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान अवसर तथा जीवन की गुणवत्ता स्तर भी असमान है। इन सामाजिक समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया जा सकता है। लम्बे समय से इन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव एवं शोषणपूर्ण व्यवहार होता रहा है। जिसका कारण पहाड़ों में प्राप्त होने वाली जीवन की मूलभूत सुविधाएं कुछ वर्ग लोगो तक ही सिमट कर रह गयी है।

क्षेत्रीय असंतुलन का मूल्यांकन निम्न सूचको के आधार पर करते हैं।

- शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनपदवार वितरण के आधार पर।
- जनपदवार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्यीय घरेलू उत्पाद के आधार पर।
- कृषि क्षेत्र में असंतुलन के आधार पर असमानता।
- जनसंख्या का घनत्व एवं साक्षरता के अनुपात के आधार पर असमानता।
- आधारीक रचना सम्बन्धी असमानताएं।
- मानवीय विकास सम्बन्धी असमानताएं।
- औद्योगिक असंतुलन के आधार पर असमानता।

3.4. उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति

उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में 11 जनपद पूर्णतः पर्वतीय जनपद हैं तथा 02 जनपद देहरादून एवं नैनीताल ऐसे पर्वतीय जनपद हैं जिनमें पर्याप्त मैदानी भाग है। उत्तराखण्ड राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 64 से 72 प्रतिशत भागीदारी 04 जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल

सम्मिलित रूप से हैं। आँकड़े यह दर्शाते हैं कि अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें इन जनपदों में होने के कारण इन जनपदों में विकास उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पूर्व से ही था तथा उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण होने के बाद इन जनपदों में विकास काफी तेज गति से हुआ। पर्वतीय जनपद इन चारों जनपदों को छोड़कर, अनेक भौगोलिक एवं प्राकृतिक समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। जैसे पानी, आपदाभूस्सखलन, बादल का फटना तथा पलायन आदि। पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, इन आपदाओं के कारण समग्र रूप से विकसित नहीं हो पा रही है। जिसके कारण मैदानी जनपदों एवं पर्वतीय जनपदों के आर्थिक विकास में एक गहरी खाई पैदा हो गयी है। जनपदों की क्षेत्रीय असमानता मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक है—जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान।

सारणी 10.1 जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)

जनपद	सकल घरेलू उत्पाद (रूपये लाख)									
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13Q	2013-14A
उत्तरकाशी	66086	73924	83439	86268	92736	99094	99906	105024	109852	117503
चमोली	104775	109904	127543	144002	154849	170459	169630	179987	188048	201593
रुद्रप्रयाग	47104	50623	58075	61545	66972	73964	88367	97631	102631	109688
टिहरी गढवाल	153996	172321	185065	195168	214033	239639	280183	309116	32459	348318
देहरादून	454099	517661	589585	688835	794634	884699	1030027	1124403	1189291	1263305
पौड़ी गढवाल	161172	179515	206330	229354	257788	287693	323822	352663	371710	394634
पिथौरागढ	109860	117754	129622	143443	155670	174645	204089	206693	216236	230889
बागेश्वर	50958	53886	65379	63986	68342	74915	84476	92489	97046	103539
अल्मोडा	155814	159268	182356	196846	211673	240782	263541	282013	295468	314961
चम्पावत	54640	61670	63538	69012	82953	91690	85609	95216	100241	106768
नैनीताल	251385	303385	330069	392388	440068	500579	554990	613358	649436	686671
ऊधमसिंह नगर	369866	466808	563629	705393	811993	904055	1114152	1237231	1312778	1372021
हरिद्वार	498812	560047	641373	824813	931830	1038600	1267896	1392217	1472031	1542826
उत्तराखण्ड	2478567	2826766	3226003	3801453	4283541	4780814	5566689	6088041	6429308	6792716

सारणी 10.1 के अनुसार अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल के सकल घरेलू उत्पाद संदर्भित वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसी क्रम में उच्च रहे हैं। इन जिलों का सम्मिलित रूप से कुल सकल घरेलू उत्पाद संदर्भित वर्षों में राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 64 से 72 प्रतिशत है। जिला रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत जो नवीन पर्वतीय जिले हैं, के सकल घरेलू उत्पाद संदर्भित वर्षों में अन्य जिलों के अपेक्षाकृत निम्न रहे हैं। इन जिलों का सम्मिलित रूप से कुल सकल घरेलू उत्पाद राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 से 6 प्रतिशत है। अन्य 6 जनपदों यथा उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी गढवाल, पिथौरागढ, अल्मोडा का सम्मिलित रूप से कुल सकल घरेलू उत्पाद राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 23 से 30 प्रतिशत है।

उक्त के अतिरिक्त आर्थिक विषमता मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक प्रति व्यक्ति आय है। उत्तराखण्ड राज्य की जनपदवार प्रति व्यक्ति आय आधार वर्ष 2004-05 के आधार पर निम्न है: सारणी 10.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 के उपरोक्त आँकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य संज्ञान में आते हैं

कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल की प्रति व्यक्ति आय राज्य की प्रति व्यक्ति आय से अधिक तथा जनपद उत्तरकाशी में न्यूनतम हैं।

सारणी 10.2 जनपदवार प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भाव पर)

जनपद	प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)										वर्ष 2013-14 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में रैंकिंग
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13Q	2013-14A	
उत्तरकाशी	19070	21515	26204	27412	32990	37947	42079	47755	52574	59791	13
चमोली	24219	25898	33638	39557	46660	54247	62269	69543	78371	90173	6
रुद्रप्रयाग	18411	20443	25129	27763	32529	38861	47459	55495	61561	69401	12
टिहरी गढ़वाल	22212	28091	30002	33035	38684	46379	59496	88282	75249	85156	8
छेहरादून	29961	35486	42104	50887	61546	72465	89282	101315	109675	122804	2
पौड़ी गढ़वाल	20679	24481	30259	35254	42454	50838	62354	72228	79904	91708	5
पिथौरागढ़	20770	23435	27528	32198	37839	46008	56458	63045	69994	79981	9
बागेश्वर	18212	20069	25958	26843	31297	37254	46194	54360	60646	68730	11
अल्मोडा	22150	23857	29152	32740	39358	49405	59000	67701	75474	86699	7
चम्पावत	21335	24834	28866	31047	40481	47252	49793	57990	64165	72922	10
नैनीताल	27498	34317	39082	47214	55593	66098	76950	89102	95227	105960	4
ऊधमसिंह नगर	24136	31835	38751	49333	58249	67647	85541	100058	195087	115543	3
हरिद्वार	28074	32945	38397	50848	59428	67597	88980	103836	110115	122172	1
उत्तराखण्ड	24726	29423	35111	42619	50674	59584	73619	85372	92191	103349	

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण यह स्पष्ट होता है कि जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोडा के अवस्थापना विकास किये जाने की आवश्यकता है। इन जनपदों का अवस्थापना विकास किये जाने पर ही यहा के लोगों का रोजगार के तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन को रोका जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य का लगभग 67 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र से अच्छादित है। उत्तराखण्ड के ग्रामीणों ने इन वन क्षेत्रों को संरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वन क्षेत्रों का संरक्षण कर पर्यावरण के ह्रास में कमी आयी है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तराखण्ड में 3872275 कामगार लगे थे। जिसमें से कुल कृषि कामगारों की संख्या 1888551 है। कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत 51.23 प्रतिशत है। सर्वाधिक कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत बागेश्वर जनपद में 76.12 प्रतिशत है। न्यूनतम कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत देहरादून जनपद में 19.80 प्रतिशत है। पर्वतीय जनपदों में कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत 55.46 प्रतिशत है। मैदानी जनपदों में कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत 41.44 प्रतिशत है।

सारणी 10.3उत्तराखण्ड में 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य विभाजन

जनपद	कृषक	कृषि श्रमिक	कुल कृषि कामगार	अन्य	कुल कामगार	कृषि कामगारों का कुल कामगारों से प्रतिशत
अल्मोड़ा	207617	10274	217891	80320	298211	73.07
बागेश्वर	85125	8985	94110	29528	123638	76.12
चम्पावत	59993	4032	64025	35541	99566	64.30
पिथौरागढ़	137332	5432	142764	73726	216490	65.94
नैनीताल	137530	34742	172272	203909	376181	45.79
पौड़ी गढ़वाल	150607	13715	164322	109830	274152	59.94
टिहरी गढ़वाल	187121	8129	195250	85192	280442	69.62
रूद्रप्रयाग	83155	3200	86355	26677	113032	76.40
चमोली	121157	3845	125002	55938	180940	69.08
उत्तरकाशी	117264	4387	121651	35625	157276	77.35
देहरादून	77176	38195	115371	467397	582768	19.80
पर्वतीय जनपद का योग	1364077	134936	1499013	1203683	2702696	55.46
ऊधमसिंह नगर	122686	165250	287936	303522	591458	48.68
हरिद्वार	93660	103115	196775	381346	578121	34.04
मैदानी जनपद का योग	216346	268365	484711	684868	1169579	41.44
उत्तराखण्ड	1580423	403301	1983724	1888551	3872275	51.23

स्रोत:—जनगणना 2011

सारणी 10.3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पर्वतीय जनपदों में जनपद नैनीताल एवं देहरादून जो कि आंशिक मैदानी है को छोड़कर शेष जनपदों में लगभग 60 प्रतिशत से भी अधिक कर्मकर कृषि कार्यों से जीविका अर्जन करते हैं। जिनमें जनपद उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा में उक्त आंकड़ा 73 प्रतिशत से भी अधिक है। समस्त पर्वतीय जनपदों में कृषि कर्मकर लगभग समस्त कर्मकरों का आधे से भी अधिक (55.46 प्रतिशत) है। मैदानी जनपदों में उक्त औसत काफी कम (41.44प्रतिशत) है। जनपद नैनीताल, देहरादून, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार को छोड़कर शेष जनपदों में कृषि श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है। मैदानी जनपदों तथा आंशिक मैदानी जनपद नैनीताल तथा देहरादून में ही कृषि श्रमिक अपेक्षाकृत बेहतर संख्या में दृष्टिगोचर होते हैं। हालांकि जनपद नैनीताल तथा देहरादून में कृषकों के सापेक्ष उनकी संख्या काफी कम है। कृषि जोत के सन्दर्भ में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के मध्य निम्नवत असमान विवरण मिलता है—

1. प्रदेश में कुल 4.52 लाख हे. क्षेत्रफल खेती के लिए उपलब्ध नहीं है जिसमें से 3.59 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.93 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
2. परती भूमि के अतिरिक्त अकृष्य भूमि 8.97 लाख हे. है जिसमें से 8.78 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र एवं 0.19 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
3. प्रदेश में कुल 1.44 लाख हे. क्षेत्रफल परती रहा जिसमें से 1.10 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.34 लाख हे. मैदानी है। वर्तमान परती भूमि के अन्तर्गत 0.57 लाख हे. भूमि रही जिसमें से 0.44 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 0.13 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है।
4. प्रदेश का वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 7.00 लाख हे. रहा जिसमें से 3.91 लाख हे. (55.86प्रतिशत) पर्वतीय क्षेत्र में एवं 3.09 लाख हे. (44.14 प्रतिशत) मैदानी क्षेत्र में है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 3.97 लाख हे. रहा जिसमें से 2.11 लाख हे. (53.15प्रतिशत) पर्वतीय क्षेत्र में तथा 1.86 लाख हे. (46.85प्रतिशत) मैदानी है।
5. प्रदेश में 3.31 लाख हे. वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल है जो कि बोये गये क्षेत्रफल का (47.30%) है। वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल में से 0.41 लाख हे. (12.39प्रतिशत) पर्वतीय क्षेत्र में तथा 2.90 लाख हे. (87.61प्रतिशत) मैदानी क्षेत्र में है।
6. प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल 10.97 लाख हे. रहा जिसमें से 5.96 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 5.01 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है। राज्य में कुल बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत खरीफ का कुल बोया गया क्षेत्रफल 6.38 लाख हे. है, जिसमें से 3.70 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.68 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। रबी में कुल बोया गया क्षेत्रफल 4.25 लाख हे. है, जिसमें से 2.26 लाख हे. पर्वतीय एवं 1.99 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में जायद का कुल बोया गया क्षेत्रफल 0.33 लाख हे0 है।
7. प्रदेश में कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 5.42 लाख हे. रहा जिसमें से 0.77 लाख हे. पर्वतीय क्षेत्र में तथा 4.65 लाख हे. मैदानी क्षेत्र में है। राज्य में कुल बोये गये सिंचित क्षेत्रफल के अन्तर्गत खरीफ का कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 2.81 लाख हे. है, जिसमें से 0.40 लाख हे. पर्वतीय एवं 2.41 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। रबी में कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 2.31 लाख हे. है, जिसमें से 0.37 लाख हे. पर्वतीय एवं 1.94 लाख हे. मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में जायद का कुल बोया गया सिंचित क्षेत्रफल 0.32 लाख हे0 है।
8. प्रदेश की फसल सघनता 156.65 प्रतिशत रही। पर्वतीय क्षेत्र की फसल सघनता 152.80 प्रतिशत एवं मैदानी क्षेत्र की फसल सघनता 161.49 प्रतिशत रही।

3.5. क्षेत्रीय असमानता के कारण

आर्थिक सुधारों से पहले उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के विकास की दर औसतन 3.5 प्रतिशत थी, जो 2015-16 में बढ़कर 7.65 प्रतिशत हो गयी। स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था निम्न विकास की दर से उच्च विकास की दर के स्तर पर पहुँच गयी। विकास का सर्वाधिक लाभ मैदानी क्षेत्रों को प्राप्त हुआ। जबकि संरचनात्मक समस्याओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का विकास की दौड़ में पीछे छूट गये। उत्तराखण्ड में पाई जाने वाली क्षेत्रीय असमानता का प्रारम्भिक मुख्य कारण जमींदारी प्रथा के फलस्वरूप भूमि के स्वामित्व में विद्यमान असमानता है। स्वतन्त्रता से पूर्व उत्तराखण्ड में जमींदारी प्रथा पाई जाती थी। इसके फलस्वरूप भू-स्वामित्व में भारी असमानता पाई जाती थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई परन्तु भूमि के स्वामित्व की असमानता में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। इस समय प्रदेश के मैदानी संभाग की जनसंख्या के पास कृषि कार्य योग्य भूमि का 56 प्रतिशत भाग है तथा पर्वतीय संभाग की जनसंख्या के पास केवल 14 प्रतिशत भाग है। भूमि के स्वामित्व में

पाई जाने वाली असमानता पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली आय की असमानता का मुख्य कारण है । पर्वतीय क्षेत्र में भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा छोटे किसानों की आय बहुत कम है । वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं । इसके विपरीत मैदानी क्षेत्र के किसानों की आय बहुत अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है । इन किसानों के पास पूंजी अधिक होती है इसलिए ये ट्रैक्टर, ट्यूबवैल, रासायनिक खाद, उत्तम बीज आदि का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करते हैं । इससे इनकी आय में और अधिक वृद्धि हो जाती है । इसके विपरीतपर्वतीय क्षेत्र के छोटे किसान पूंजी के अभाव में अपने खेतों से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते। वे पिछड़े तथा निर्धन रह जाते हैं । इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में भूस्वामित्व की असमानता के कारण आय तथा सम्पत्ति की असमानता में वृद्धि होती है ।

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताओं के कई कारण है । वैयक्तिक आय में भिन्नता, योग्यता, अवसर कुशलता एवं सम्पत्ति स्वामित्व पर निर्भरता प्रमुख हैं,इसके अतिरिक्त कई अन्य कारणों से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी हैं, उनमें से प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

- इन क्षेत्रों के विकास की प्रमुख बाधा हिमालय की अपनी भौगोलिक स्थिति है। आयताकार उत्तराखण्ड की भू-गर्भीय संरचना और धरातलीय विन्यास में विभिन्न प्रकार की विविधता पायी जाती है। उच्च हिमालय का पर्वतीय भाग, जो 4800 से 6000 मीटर तक ऊँचा है, सदैव हिमाच्छादित रहता है। उत्तराखण्ड में वर्षा में विभिन्नता, प्राकृतिक वनस्पति एवं जैव विविधता में भिन्नता के कारण क्षेत्रीय एवं मानवीय क्रिया-क्लापों में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है।
- उत्तराखण्ड नदियों का जाल बिछा होने के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में पीने का पानी एवं कृषि कार्य हेतु सिंचाई एक समस्या का निराकरण नहीं हो सका है।
- उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में जनसंख्या घनत्व पूरे देश की तुलना में सर्वाधिक निम्नतम है। 80 प्रतिशत से भी अधिक ऐसे पर्वतीय गांव है जिनकी जनसंख्या 500 से भी कम है और पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 0.5 प्रतिशत से भी कम ऐसे गांव है जिनकी जनसंख्या 200 से अधिक है।
- पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में कम जनसंख्या का जो अधिक फैलाव है; के विकास हेतु न्यूनतम स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार एवं उद्यम, वित्तीय संस्थाओं की कमी है। जिसके कारण इनके आर्थिक और सामाजिक विकास की गति में भी कमी आयी है।
- पर्वतीय क्षेत्र में बिखरी और छोटी बस्तियों के समक्ष सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना की दृढ़ चुनौतियां है। गांव एवं कृषि क्षेत्र न केवल बिखरें है बल्कि सड़क और बाजार से भी दूर है।
- सड़कों की कमी और परिवहन एवं संचार सुविधाओं की कमी इस समस्या को अधिक गम्भीर बना देती है। वर्तमान समय में परिवहन कठिन एवं महंगा है।
- पर्वतीय क्षेत्र की अद्यो संरचनात्मक समस्या, मशीनीकरण और आदान आधारित कृषि मार्ग में बाधा है। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत जो नकद फसलें होती है, परिवहन और लेन-देन की लागत अधिक होने के कारण छोटे किसानों के लिए लाभकारी नहीं रह जाती है।

इन पिछड़े क्षेत्रों में नकद फसलों के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो उनके लिए वित्तीय सुविधा के अभाव के कारण दुर्लभ है।

- वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन किसानों की सुरक्षा एवं विकास हेतु ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं, वह पर्याप्त नहीं है। खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। अधिकांश खेती योग्य भूमि का जीवन-निर्वाह योग्य कृषि में प्रयुक्त होती है। कृषि का अलाभकारी होना, रोजगार के अवसरों को सीमित कर देता है। यही कारण है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों के युवा अन्य शहरों की ओर रोजगार हेतु पलायन हो रहा है। अपने परिवारों के पोषण हेतु मनीआर्डर भेजते हैं। जिसके कारण ही उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को **मनीआर्डर अर्थव्यवस्था** भी कहते हैं।

3.6. क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं, पर उत्तराखण्ड में प्रजातान्त्रिक मिश्रित अर्थव्यवस्था में काला धन, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, रिश्तखोरी, प्रशासनिक अकुशलता, गरीबी निवारण की असफलता तथा राजनीतिक इच्छा-शक्ति के अभाव में क्षेत्रीय असमानता घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय असमानता के कारणों को जब तक प्रभावी ढंग से नियन्त्रित नहीं किया जाता, क्षेत्रीय समानता की कल्पना एक राजनीतिक नारा बनकर रह जायेगी।

- उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता एवं गरीबी मिटाने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अधिक अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी योजना द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। पलायन पर रोक लगे इस हेतु मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 100 दिन के रोजगार की गारन्टी प्रदान की गई। जिसे दीर्घकालीन रूप में और बढ़ाने की आवश्यकता है।
- सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास करने की नीति को अपनाया है। इस क्षेत्र के विकास के मुख्य उद्देश्य पलायन पर रोक एवं आय तथा सम्पत्ति की असमानता को कम करना है।
- उत्तराखण्ड के ग्रामीण हिमालय क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नियोजन की दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी जिससे इन क्षेत्रों की समस्याओं का स्थनीय रूप निराकरण हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम उन क्षेत्रों का विकास करना होगा जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ हो। बागवानी तथा पर्यटन दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ है।
- उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए जनकल्याण कार्यक्रमों में निरन्तर वृद्धि की है ताकि गरीबों का आर्थिक स्तर ऊपर उठे। इस दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता, अनुदान, बेकारी भत्ता, चिकित्सा सुविधायें, न्यायिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा, 20-सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आय एवं रोजगार में वृद्धि महत्वपूर्ण है, किन्तु कुल व्यय जनसंख्या को देखते हुए नगण्य है, अतः स्थिति में विशेषकर सुधार नहीं हुआ है।
- आधुनिक संरचना में सिंचाई, विद्युत, सड़क आदि का विकास इन पर्वतीय पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। आर्थिक आधारिक संरचना के अन्तर्गत सड़क और परिवहन व्यवस्था, विद्युत, सिंचाई, बाजार तंत्र और वित्तीय संस्थाओं का विकास सुदृढ़ता के साथ होना चाहिए। पहाड़ पर रेल से जाने की कल्पना को साकार रूप देने की दिशा में तीव्रता

से प्रयास होना चाहिए। विभिन्न पर्वतों को आपस में जोड़ते हुए रोपवें बनाये जाने चाहिए जिससे किसानों की अपने खेतों, विभिन्न गांवों और मण्डियों तक पहुँच आसानी से हो जायेगी। परिवहन, ऊर्जा और तकनीकी संसाधनों का विकास पर्यावरण के हितों और हिमालय क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए आधारीक एवं सामाजिक संरचना का विकास किया जाना चाहिए।

- लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने की नीति को अपनाया गया है। इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने में सहायता प्राप्त होगी, सम्भावना है। इस नीति के फलस्वरूप बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दिया जा सकेगा। इस प्रकार निर्धन लोगों की आय में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानता कम होगी। कुटीर उद्योगों के विकास के फलस्वरूप निम्न आय वाले लोगों को अपनी आय में वृद्धि करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- भारी वर्षा के कारण छोटी सिंचाई परियोजनाओं हेतु टैंक तथा जलाशय बनाये जाने चाहिए। हिमालय की नदियां एवं जलप्रपात जल विद्युत परियोजनाओं के असीमित अवसर प्रदान करते हैं।
- बागवानी का विकास इन पर्वतीय क्षेत्रों हेतु अत्यन्त उपयोगी है। इन क्षेत्रों की जलवायु फलों, फूलों और सब्जियों जैसे बागवानी उत्पादों की उत्पादकता एवं उनकी विविधता के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यहाँ तक कि यह पर्वतीय क्षेत्र बे-मौसम की सब्जियों के उत्पादन के अत्यन्त योग्य है, जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक मांग होती है। विशेषकर दिल्ली, नोएडा और मेरठ के जैसे बड़े शहरों में फलों एवं सब्जियों की बढ़ती मांग का सापेक्षिक तुलनात्मक लाभ लिया जा सकता है।
- उत्तराखण्ड में पर्यटन का विकास अभी आंशिक रूप से ही हुआ है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास अतिरिक्त आय एवं रोजगार का स्रोत बन सकता है। पर्यटन की विभिन्न प्रकारों के रूप में विकसित किया जा सकता है। जैसे—
 - अवकाश पर्यटन।
 - धार्मिक पर्यटन, अवकाश पर्यटन,
 - पर्यावरण एवं वन्य जीवन आधारित पर्यटन।
 - साहसिक पर्यटन।
 - धार्मिक यात्राएं आधारित पर्यटन।
 - मेंलें व त्यौहार।
- विभिन्न पर्यटन एजेन्सियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश के दूर आयोजित करने हेतु छूट देकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साक्षरता दर का अधिक होना भी इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यन्त लाभकारी होगा।
- मानव विकास हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण अदिगम की गुणवत्ता परक उपादेयता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- सोलह वर्षीय राज्य उत्तराखण्ड विकास का एक पड़ाव पार कर चुका है परन्तु सन्तुलित विकास हेतु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

अभ्यास प्रश्न 1

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. क्षेत्रीय असमानता आशय क्या है ?

.....
.....
.....
.....

2. उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....
.....
.....
.....

3. उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता के कारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

.....
.....
.....
.....

4. उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपायो की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

.....
.....
.....
.....

3.7 जनजातीय विकास का आशय

भारत में जनजातियों की परिकल्पना मुख्य रूप से वृहत भारतीय समाज से उनके भौगोलिक और सामाजिक अलगाव के रूप में की जाती है और इसमें उनके सामाजिक रूपांतरण के चरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही वजह है कि सामाजिक रूपांतरण के विभिन्न स्तरों पर समूहों और समुदायों का एक विस्तृत दायरा जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस तथ्य को देखते हुए कि जनजातियां बृहत्तर भारतीय समाज से पृथक रहती रही हैं, अपने परिवार के प्रदेश पर शासन में उनकी स्वायत्तता है। उनका भूमि, वन और अन्य ससाधनों पर नियंत्रण है और वे स्वयं के कानूनों, परंपराओं और रीति-रिवाजों से शासित हैं। औपनिवेशिक शासन के उद्भव ने जनजातियों और गैर-जनजातियों को एकल राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत खड़ा किया। उन्होंने इसके लिए युद्ध, फतह और कब्जा करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। इसके बाद नये और एक समान नागरिक तथा आपराधिक कानूनों की शुरुआत हुई और साथ ही एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा कायम हुआ जो जनजातीय परंपरा और लाकोचार से भिन्न था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी, 1950 को संविधान के तहत राज्य व्यवस्था को चलाए जाने की घोषणा से पूर्व संविधान के उद्देश्य और भारतीय समाज में दलितों और आदिवासियों के हालात के अंतर्विरोधों पर एक टिप्पणी की थी। उनके अनुसार, यह संविधान जहां देश वेफ प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देता है वहीं भारतीय समाज में दलित और आदिवासी समेत पिछड़ी जातियां सदियों से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गहरे असमानता का जीवन जी रहे हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों की तादाद 7.5 प्रतिशत के आसपास आंकी जाती है। संवैधानिक अनुसूचित जातियों आदेश 1950 के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों के समूह में कुल 1,108 जातियां और अनुसूचित जनजातियों में 744 समूहों की पहचान की गई थी। सरकारी आंकड़ों के

अनुसार इनमें से 426 जनजातियां ही मान्य हैं। यह 200 से अधिक 'डी-नोटीफायड' आदिवासी हैं यह एक बड़ा सवाल है।

जनजातियों को विशिष्ट समुदाय के सदस्य के नाते कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ऐसे अधिकारों में अन्य बातों के अलावा, सांविधिक मान्यता (अनुच्छेद 342); संसद और राज्य विधानमंडलों में समानप्रातिक प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 330 और 332); विशेष क्षेत्रों में सामान्य नागरिकों के मुक्त रूप से घूमने-फिरने या बसने अथवा संपत्ति अर्जित करने पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 19 (5)); जनजातीय भाषाओं, बोलियों और संस्कृति आदि का संरक्षण (अनुच्छेद 29), जैसे प्रावधान शामिल हैं। संविधान में एक ऐसा खंड भी शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य, जनजातीय समुदायों के लिए सामान्य आरक्षण के प्रावधान (अनुच्छेद 14 (4)) और विशेष रूप से, नौकरियों और नियुक्तियों में उनके लिए आरक्षण (अनुच्छेद 16 (4)) की व्यवस्था कर सकते हैं। संविधान में एक ऐसा निर्देशक सिद्धांत भी है जिसके अनुसार जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से प्रोत्साहित (अनुच्छेद 46) किया जाना चाहिए। इसके अलावा संविधान (अनुच्छेद 244 और 244 (क)) की पांचवीं और छठी अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं। जिनमें राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था कर सकता है।

3.8 उत्तराखण्ड में जनजातियां

उत्तराखण्ड सामान्य रूप में कुमाऊंनी और गढ़वाली समाज में बंटा दिखाई देता है। लेकिन समाज के इन दो परतों के बीच अनेक संस्कृतियां फल-फूल रही हैं। ये भाषा, बोली, रहन-सहन, कद-काठी, विधी व्यवस्था आदि में एक दूसरे से काफी अलग हैं। राज्य की ये जनजातियों का गैर-जनजातियों के सम्पर्क में आने के बाद भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परम्परा और रीति-रिवाज को बनाए हुए हैं। साथ ही सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समूह सामाजिक-आर्थिक स्तर पर पिछड़ेपन के बावजूद आज भी समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाये हुए हैं। उत्तराखण्ड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों का विवरण निम्न है-

1. **जौनसारी जनजाति**- यह जनजाति उत्तराखण्ड व गढ़वाल की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। यह मुख्य रूप से भाबर क्षेत्र में रहते हैं। यह देहरादून का चकराता, त्यूनी, लाखांमडल एवं कालसी ब्लॉक एवं उत्तरकाशी के परगनेकाना क्षेत्र और टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में भी निवास करते हैं।
2. **थारू जनजाति**- थारू उत्तराखण्ड की दूसरी व कुमाऊं का प्रमुख जनजातीय समूह है। यह जनजाति उत्तराखण्ड के अलावा उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में भी निवास करती है। उत्तराखण्ड में यह जनजाति नैनीताल से लेकर टनकपुर, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज तक फैली है।
3. **बुक्सार जनजाति**- यह उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजाति है। नैनीताल के जिले के विभिन्न विकास खण्डों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। देहरादून के डोईवाला, सहसपुर तथा विकास नगर खण्डों, पौड़ी गढ़वाल के दुगडा विकास खण्ड, ऊधमसिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर, रामनगर तथा गदरपुर विकास खण्डों में निवास करती है। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं, उसे बोक्सार कहते हैं।
4. **भोटिया जनजाति**- इस जनजाति को अलग-अलग क्षेत्रों में भूट, भोट, भोटा आदि नामों से जाना जाता है। यह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं चमोली जनपदों में रहते हैं।

5. **खस जनजाति**— इस जनजाति का नामकरण खस नामक पहाड़ से हुआ है। देहरादून मसूरी के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करते हैं।
6. **राजी जनजाति**— इस जनजाति को बनरौत के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, कनाली छीना एवं डिडीहाट विकास खण्ड के सात गाँवों एवं चंपावत के एक गाँव व कुछ संख्या में नैनीताल जिले में निवास करती है। उत्तराखण्ड में इस जनजाति के मात्र 130 परिवार हैं।

उल्लेखनीय है कि बुक्सा एवं राजी जनजातियों सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में रखा गया है।

3.9 उत्तराखण्ड में जिलेवार जनजातियों की संख्या

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 2.9 प्रतिशत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जौनसारी है, जबकि सबसे कमजनसंख्या वाली जनजाति राजी है। राज्य विधानसभा में इनके लिए दोक्षेत्र (चकराता एवं खटीमा) आरक्षित है। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया है।

सारणी 10.4 जिलावार अनुसूचित जनजाति की स्थिति

जिला	2001		2011	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उत्तरकाशी	2,685	0.91	3,512	1.06
चमोली	10,484	2.83	12,260	3.13
रूद्रप्रयाग	186	0.08	386	1.60
टिहरी गढ़वाल	691	0.11	875	0.14
छेहरादून	99,329	7.78	1,11,663	6.58
गढ़वाल	1,594	0.23	2,215	0.32
पिथौरागढ़	19,279	4.17	19,535	4.04
बागेश्वर	1,943	0.78	1,982	0.76
अल्मोड़ा	878	0.14	1,281	0.20
चम्पावत	740	0.33	1,339	0.51
नैनीताल	4,961	0.65	7,495	0.78
ऊधमसिंह नगर	1,10,220	8.92	1,23,037	7.46
हरिद्वार	3,139	0.22	6,323	0.33

स्रोत: जनगणना 2001-2011

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों का विवरण सारणी 10.4 में व्यक्त किया गया है। संख्या रूप में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या ऊधम सिंह नगर (1,23,037) में एवं सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या रूद्रप्रयाग (386) जिले में निवास करती है। प्रतिशत रूप में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या ऊधम सिंह नगर (7.46) में एवं सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या टिहरी (0.14) जिले में निवास करती है।

3.10 उत्तराखण्ड में जनजातियों में साक्षरता की स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों की औसत साक्षरता दर 73.9 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर 62.5 प्रतिशत एवं पुरुष साक्षरता दर 83.8 प्रतिशत है। जिलेवार साक्षरता दर का विवरण सारणी 10.5 में दिया गया है।

सारणी 10.5 जिलावार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता का विवरण

जिला	औसत साक्षरता प्रतिशत	पुरुष साक्षरता प्रतिशत	महिला साक्षरता प्रतिशत
उत्तरकाशी	76.8	91.2	64.5
चमोली	85.7	95.3	76.8
रूद्रप्रयाग	86.3	89.4	82.1
टिहरी गढ़वाल	78.4	84.0	72.2
छेहरादून	73.7	84.4	72.2
पौड़ी गढ़वाल	79.3	88.7	68.4
पिथौरागढ़	84.4	93.5	75.8
बागेश्वर	82.8	93.1	75.8
अल्मोड़ा	82.6	93.1	73.2
चम्पावत	77.3	86.1	64.5
नैनीताल	76.2	84.0	68.2
ऊधमसिंह नगर	62.1	71.4	51.4
हरिद्वार	70.6	79.7	60.7
उत्तराखण्ड	73.9	83.8	62.5

स्रोत: जनगणना 2011

सर्वाधिक साक्षरता रूद्रप्रयाग एवं सबसे कम ऊधम सिंह नगर व हरिद्वार जिले की है।

3.11 उत्तराखण्ड में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार जनजातीय लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सदियों से पिछड़े तथा उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को दिये गये विभिन्न संरक्षणों के कार्यान्वयन का अवलोकन

करता है। वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया। यह निगम अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों एवं सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार एवं आय सृजन के अवसर प्रदान करता है। आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करता है। मानव संसाधन विकास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराता है।

सरकार द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिनमें केन्द्र सरकार की मदद भी शामिल है। प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

- **गौरा कन्याधन योजना**—अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर “गौरा देवी” कन्याधन” के रूप में 25,000.00 की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रदान की जाती है।
- **अटल आवास योजना**—अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2008-09 से **अटल आवास योजना** का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के लिए ऐसे अनुसूचित जनजाति के परिवार पात्र होंगे जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹0 32000.00 अथवा इससे कम होगी (इस हेतु तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) अथवा अनुसूचित जनजाति के बी. पी.एल. परिवार भी योजना के लिए पात्र होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में आवास की लागत ₹0 38500.00 तथा मैदानी क्षेत्रों में ₹0 35000.00 निर्धारित की गई है।
- **छात्रावृत्ति योजना** —अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिक के बाद अपनी शिक्षा को जारी रखने, जिसमें व्यवसायिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल है, के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना** —इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों हेतु रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **शिल्पी ग्राम योजना**—इस योजना के तहत विभिन्न शिल्पों से जुड़े अनुसूचित जनजाति के ग्रामों का चयन कर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं।
- इसके अतिरिक्त ऐसे स्वैच्छिक संगठन/ गैर सरकारी संगठन जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि लेते हैं और प्राईमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं एवं ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधाएं देते हैं, उन्हें भी अनुदान दिया जाता है। अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो।

- **सर्व शिक्षा अभियान** के तहत जनजाति विकास की उपयोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु न सिर्फ विद्यालयों का उच्चीकरण किया जायेगा बल्कि अनुसूचित जनजाति प्रधान क्षेत्रों में नये माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हो चुके हैं।
- प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है। उनकी आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से कृषि एवं बागवानी हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अनुदान प्रदान किये जाते हैं।
- **तकनीकी हस्तांतरण कार्यक्रम**— इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिसके अन्तर्गत परम्परागत कृषि में किस प्रकार सुधार किया जाये।
- **निःशुल्क कोचिंग योजना**— अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिल्ली एवं देहरादून में निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है।
- **कला और संस्कृति प्रोत्साहन**— संस्कृत कला केन्द्र, हल्द्वानी, अनुसूचित जनजातियों की कला और संस्कृति को बनाये एवं संवर्द्धन रखने हेतु प्रयत्नशील है। इनके मेलो, प्रदर्शनी एवं वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा वार्षिक योजना में मदद भी दी जाती है।

सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि आज जनजाति के लोग विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं। जौनसारी, भोटिया जनजाति सहित अन्य जनजातियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्तर ऊँचा उठा है, परन्तु यह विकास कुछ सीमित क्षेत्रों एवं लोगों तक ही सीमित है। राजि एवं बुक्सा जनजातियों इक्कीसवीं सदी में भी विकास से बहुत दूर हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास योजनाओं को अधिक संवेदनशीलता, गम्भीरता एवं कडाई से लागू करना होगा जिससे विकास का लाभ अतिन्म व्यक्ति तक पहुँच सके।

अभ्यास प्रश्न 2

1. उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियां कौन-कौन सी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?
2. उत्तराखण्ड की जनजातियों की साक्षरता की संक्षिप्त विवेचना कीजिए ?
3. देहरादून, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर जनपदों में कौन-कौन सी जनजातियां निवास करती हैं?
4. जनजातियों की संख्या दृष्टिकोण से सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनजातियों वाले जिले कौन-कौन से हैं।
5. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

3.12 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास केवल सकल घरेलू आय एवं उत्पादन में वृद्धि में ही निहित नहीं, वरन् उसका एक महत्वपूर्ण पहलू आय एवं उत्पादन का न्यायोचित वितरण भी है। आय तथा सम्पत्ति के असमान वितरण से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस परिस्थितियों से है जिसमें कि कुछ लोगों का आय, औसत आय से बहुत अधिक तथा अधिकांश लोगों की आय, औसत आय से बहुत कम होती है। आय तथा सम्पत्ति के असमान वितरण की समस्या का

सम्बन्ध मुख्य रूप से व्यक्तिगत आय के वितरण में विषमताओं से होता है । इससे अभिप्राय यह है कि कुछ व्यक्तियों की आय बहुत अधिक है जबकि अधिकतर लोगों की आय बहुत कम है ।उत्तराखण्ड के असंतुलित विकास के कारण पर्वतीय क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप में मैदानी क्षेत्र से पिछड़ चुके हैं। इससे क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गयी है। क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों की पहचान की जा चुकी है जिसके निराकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार असंतुलित विकास से संतुलित विकास के मार्ग की ओर बढ़ी है। इसी क्रम में समाज के सबसे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जिससे इन्हें भी विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस इकाई के अध्ययन से आप क्षेत्रीय असमानताओं एवं जनजातीय विकास के संदर्भ में अपने मत को उत्तराखण्ड के लिए सही रूप में अभिव्यक्त कर सकेंगे।

3.12 शब्दावली

आर्थिक विकास : आर्थिक विकास की धारणा, आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से सम्बन्धित है जबकि आर्थिक विकास सामाजिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से सम्बन्धित है। जहां आर्थिक संवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों से सम्बन्धित है तथा आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से सम्बन्धित है अर्थात् राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार ।

आर्थिक संवृद्धि : आर्थिक संवृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है । सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है।

आगत : आगत किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधन होते हैं जैसे जमीन, श्रम, पूँजी तथा उद्यम।

निर्गत : निर्गत उत्पादन प्रक्रिया में सभी उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के बाद उत्पादित अन्तिम वस्तुएँ तथा सेवाये हैं।

प्राथमिक क्षेत्र : प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि (वानिकी एवं पशुपालन), खनन तथा मछली व्यवसाय को शामिल किया जाता है।

द्वितीयक क्षेत्र : द्वितीयक क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग आते हैं।

तृतीयक क्षेत्र : तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं जैसे बैंकिंग, परिवहन, व्यापार इत्यादि को शामिल किया जाता है।

पूँजी निर्माण : व्यक्तियों एवं घरेलू क्षेत्र की बचतों को व्यवसायिक क्षेत्र में निवेश किया जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी.) : किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य का योग होता है।

उत्पादन : उत्पादन का सम्बन्ध किसी क्षेत्र में उत्पादन की कुल मात्रा से है ।

उत्पादकता : उत्पादकता का सम्बन्ध प्रति इकाई भूमि में कुल उत्पादन से है।

कम लोचदार माँग : जब एक वस्तु की माँग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा कम होता है तो इसे कम लोचदार माँग कहते हैं।

कम लोचदार माँग : जब एक वस्तु की माँग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा कम होती है, तो इसे कम लोचदार माँग कहते हैं।

अधिक लोचदार माँग : जब एक वस्तु की माँग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा ज्यादा होता है तो इसे अधिक लोचदार माँग कहते हैं।

अधोसंरचना: एक देश की आन्तरिक सुविधा जो कि ब्यवसायिक क्रियाओं को सम्भव बनाती है जैसे कि दूरसंचार, परिवहन, वित्तीय संस्थाएँ, उर्जा पूर्ति इत्यादि सेवाएँ।

घटते प्रतिफल का नियम : यदि साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है तो इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे यदि सभी साधनों को 10% बढ़ाया जाता है, लेकिन उत्पादन 8% बढ़ता है तो इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं।

संयुक्त उत्पाद : संयुक्त उत्पाद दो या दो से अधिक वें उत्पाद है जो एक ही उत्पादन प्रक्रिया से एक साथ उत्पादित किए जाते हैं जैसे दूध से दही, घी इत्यादि।

3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. देखिए 3.3, 2. देखिए 3.4, 3. देखिए 3.5, 4. देखिए 3.6।

अभ्यास प्रश्न 2

1. देखिए 3.8, 2. देखिए 3.10, 3. देखिए 3.9, 4. देखिए 3.9, 5. देखिए 3.10।

3.14 सन्दर्भ सूची

- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2015), सांख्यिकीय डायरी 20015–16, उत्तराखण्ड सरकार।
- अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तरांचल के सानिध्य में*, इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली
- उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्ड: उत्कर्ष की ओर*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
- उत्तराखण्ड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
- मेहता, जी0एस0, डेवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड: इश्यूज एन्ड प्रेसपेक्टिवस (1999), ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।
- बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली.
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2016, विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.

- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.
- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.

3.15 सहायक उपयोगी सामग्री

- ओझा, शिव कुमार, (2016), उत्तराखण्ड: एक समग्र अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद।
- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा।
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ।
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा।
- सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2016), सांख्यिकीय डायरी 2015-16, उत्तराखण्ड सरकार
- कुरूक्षेत्र (विभिन्न अंक), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- योजना (विभिन्न अंक) योजना आयोग, नई दिल्ली।

3.16 निबन्धात्मक प्रश्न

1. क्षेत्रीय असमानता क्या आशय है ? इन असमानताओं को दूर करने के उपाय उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में स्पष्ट कीजिए?
2. क्षेत्रीय असमानता आप क्या समझते हैं ? उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें दूर करने के उपाय बताइये।
3. उत्तराखण्ड की जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए?
4. उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियां कौन-कौन सी हैं? उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को आलोचनात्मक विवेचना कीजिए?

इकाई चार : उत्तराखण्ड : प्राकृतिक संसाधन

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 प्राकृतिक संसाधन— अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध
- 4.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता
 - 4.4.1 भू संसाधन
 - 4.4.2 वन संसाधन
 - 4.4.3 जल व मत्स्य संसाधन
 - 4.4.4 खनिज संसाधन
- 4.5 सारांश
- 4.6 शब्दावली
- 4.7 अभ्यास प्रश्न व उत्तर
- 4.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.9 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 4.10 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्ड में समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह ग्यारहवीं इकाई है। इससे पहले की इकाईयों से आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन, गरीबी एवं बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं।

प्राकृतिक संसाधन एक देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संसाधनों पर मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर करता है। ये प्राकृतिक संसाधन भूमि, वन, जल व खनिज आदि के रूप में पाये जाते हैं। क्षेत्र में पर्याप्त भूमि, कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ व अच्छी जलवायु, पर्याप्त वन क्षेत्र, वनों में विविध प्रकार के उत्पाद, नदियाँ व झीलों व खनिजों के पाये जाने पर उस क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है। प्रस्तुत इकाई में विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन एवं उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में इनके महत्व से सम्बन्धित बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की उत्तराखण्ड में उपलब्धता, इनके उपयोग एवं उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को समझ सकेंगे तथा इनकी विशेषताओं व इनसे जुड़ी समस्याओं, नीतियों व कार्यक्रमों विश्लेषण कर सकेंगे।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- बता सकेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों से क्या तात्पर्य है।
- प्राकृतिक संसाधनों की उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में भूमिका को बता सकेंगे।
- प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की जानकारी का वर्णन कर सकेंगे।
- प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, प्रकार व इनका आर्थिक विकास से सम्बन्धों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- बता सकेंगे कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की उत्तराखण्ड में क्या स्थिति है।
- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था हेतु प्राकृतिक संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं।
- इन प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
- यह बता सकेंगे कि प्रदेश में इन संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार की क्या नीतियाँ व कार्यक्रम हैं।

4.3 प्राकृतिक संसाधन— अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध

प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य उन उपहारों से है जो मानव को प्रकृति द्वारा (बिना कोई मूल्य चुकाए) प्रदान किये जाते हैं। प्राकृतिक साधनों में भूमि, मिट्टी, जल, वन, खनिज, समुद्री साधन, जलवायु, वर्षा आदि का समावेश किया जाता है। इन साधनों को मनुष्य अपने प्रयत्नों से उत्पन्न नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, प्राकृतिक संसाधन भौतिक पर्यावरण का वह भाग है जिन पर मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है। नवीनीकरण होने या नवीनीकरण न होने के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं – एक वे जिनका लगातार नवीनीकरण होता रहता है जैसे

भूमि, वन जल व मत्स्य, दूसरे वे जिनका नवीनीकरण नहीं होता है अर्थात् लगातार उपयोग होते रहने से ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज व खनिज तेल।

प्राकृतिक संसाधन एक देश एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की सामूहिक शक्ति ही प्रदेश की अर्थिक प्रगति को निर्धारित करती है। जो प्रदेश इन संसाधनों का उपयोग उचित प्रकार से करते हैं वे तीव्र गति से विकास करने में सफल होते हैं जबकि जिन प्रदेशों में विभिन्न कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है, वे प्रदेश तेजी उन्नति नहीं कर पाते हैं। स्पष्टतः प्राकृतिक संसाधन एक प्रदेश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. रिचार्ड टी० गिल का भी मानना है कि “प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास को सीमित करने या प्रोत्साहित करने में निर्णायक महत्व है। आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए अमेरिका व कनाडा आदि देश प्राकृतिक साधनों में भी सम्पन्न हैं।” वास्तव में, विश्व के जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, उन देशों में आर्थिक विकास की सम्भावनाएं अधिक तीव्र हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का प्रचुर मात्रा में पाया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका उचित तकनीक एवं कुशल मानव शक्ति द्वारा उपयोग किया जाना भी आवश्यक है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी देश अथवा प्रदेश में ये संसाधन आवश्यकता से कम मात्रा में पाये जाते हैं तो दूसरे क्षेत्रों से इनके आयात द्वारा ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसका यह अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में होना विकास के लिए अच्छा तो है परन्तु इन साधनों के कम होने पर आयात द्वारा इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

आप जानते हैं कि अधिक भूमि, विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ, अनुकूल जलवायु व जल कृषि फसलों के अधिक उत्पादन के लिए अति आवश्यक हैं। जल की पर्याप्त उपलब्धता कृषि उत्पादन के साथ पेय जल की समस्या को भी हल करने में सहायक है। नदियों में प्रवाहित जल से हम विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं। वनों से हमें प्राकृतिक सौन्दर्य, अनेक प्रकार के वन्य जीव, प्राण वायु, ईंधन, इमारती लकड़ी, जड़ी-बूटियाँ व अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, भू-क्षरण रुकता है, पशुओं को चारा मिलता है तथा जलवायु समशीतोष्ण हो जाती है। खनिजों की उपलब्धता उद्योगों के विकास को बढ़ावा देती है। खनिजों की विविधता व अधिकता क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों से अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, आदि का विकास होता है जिससे क्षेत्र में रोजगार व आय में वृद्धि होती है। पर यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि आर्थिक विकास की गति को बहुत तीव्र करने के लिए इन संसाधनों का सीमा से अधिक दोहन अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं में प्रमुख हैं – भूमि का बंजर होना, भू-क्षरण, जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन, बाढ़, सूखा, उपजाऊ मिट्टियों की कमी, इत्यादि। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के लगातार अधिक विदोहन से आर्थिक विकास की गति में दीर्घकाल में सतत वृद्धि नहीं की जा सकती।

4.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता

उत्तराखण्ड में अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है :

- भूमि संसाधन
- वन संसाधन
- जल संसाधन
- खनिज संसाधन

4.4.1 भू संसाधन

प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य एवं समाज का सारा अस्तित्व और विकास इसी पर आश्रित है। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही संचालित की जाती हैं। एक प्रदेश में भूमि की उपलब्धता, उसकी भौगोलिक स्थिति एवं उसका उपयोग बहुत महत्व रखता है। उत्तराखण्ड 53483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक छोटा राज्य है। भू क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत के क्षेत्रफल का मात्र 1.69 प्रतिशत है एवं 18वाँ सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थलाकृति अत्यन्त विविध व कठिन है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा देहरादून व नैनीताल के कुछ भागों को छोड़कर शेष क्षेत्र पर्वतीय है। राज्य का लगभग 86.07 प्रतिशत भाग पर्वतीय (46035 वर्ग किलोमीटर) तथा शेष भाग 13.93 प्रतिशत भाग (7448 वर्ग किलोमीटर) मैदानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली (8030 वर्ग किलोमीटर) तथा सबसे छोटा जिला चम्पावत (1766 वर्ग किलोमीटर) है। उत्तर में वृहत् हिमालय, पश्चिम में टॉस नदी, दक्षिण-पश्चिम में शिवालिक श्रेणियां, दक्षिण-पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं।

धरातलीय विन्यास, स्तर शैलकम तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को आठ भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है।

1. गंगा का मैदानी क्षेत्र,
2. तराई क्षेत्र,
3. भाबर क्षेत्र,
4. शिवालिक क्षेत्र,
5. दूनद्वार क्षेत्र,
6. लधु या मध्य हिमालयी क्षेत्र,
7. वृहत्त या उच्च हिमालयी क्षेत्र व
8. ट्रांस हिमालयी क्षेत्र।

किसी भी प्रदेश की जलवायु वहाँ के देशान्तरीय एवं अक्षांशीय स्थिति, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊँचाई, उच्चावच, वायुदाब आदि अनेक कारकों पर निर्भर करता है। उत्तराखण्ड के तापमान में मौसमी परिवर्तन बहुत हैं। मई व जून तक तापमान सर्वाधिक रहता है। ये उष्ण कटिबन्धीय मानसून से भी प्रभावित होते हैं जबकि दिसम्बर व जनवरी माह प्रायः बहुत ठंडे होते हैं शीत ऋतु में यह तापमान कुछ क्षेत्रों में शून्य से भी बहुत कम हो जाता है। जुलाई से सितम्बर माह तक दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय रहने के कारण इस अवधि में बाढ़ व भूस्खलन की समस्या रहती है। डॉ० एस.सी. खर्कवाल ने ऊँचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, जो निम्न प्रकार है—

1. उपोष्ण जलवायु—900मीटर तक ऊँचाई का क्षेत्र—यथा भाबर, तराई व दून क्षेत्र।
2. गर्म शीतोष्ण जलवायु—900मीटर से 1800 मीटर तक ऊँचाई का क्षेत्र।

3. शीत शीतोष्ण जलवायु— 1800 मीटर से 3000 मीटर तक ऊँचाई का क्षेत्र।
4. एल्पाइन जलवायु – 3000 मीटर से 4200 मीटर तक ऊँचाई का क्षेत्र।
5. हिमानीजलवायु— 4200 मीटर से ऊपर का क्षेत्र।
6. शीत शुष्कजलवायु— 2500 मीटर से 35000 मीटर तक ऊँचाई वाले ट्रांस हिमालयी क्षेत्र।

भू उपयोग की दृष्टि से यदि वर्ष 2014-15 के आँकड़ों को देखा जाये तो आप पायेंगे कि प्रदेश में भूमि के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (5992604 हैक्टेयर) में 63.41 प्रतिशत वन क्षेत्र, 5.29 प्रतिशत कृषि योग्य बेकार भूमि, 2.40 प्रतिशत परती भूमि, 3.81 प्रतिशत ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि, 3.73 प्रतिशत खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 3.21 प्रतिशत स्थायी चरागाह व अन्य चराई की भूमि, 6.47 प्रतिशत अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि व 11.68 प्रतिशत शुद्ध बोयी गयी भूमि (सारणी 11.1) है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ के समान है। राज्य के 70 प्रतिशत व्यक्तियों की आजीविका कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों पर आधारित है। यहाँ दो प्रकार की खेती पायी जाती है – मैदानी व पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की सीढ़ी-नुमा संरचना का पायें जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में खेती आधुनिक विधि से एवं पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत विधि से की जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए आधुनिक तकनीक व आदाओं का अपनाया जाना सम्भव नहीं है। मैदानी क्षेत्र की कृषि पर हरित क्रान्ति का स्पष्ट प्रभाव है जबकि पर्वतीय कृषि भू-क्षरण की समस्या से ग्रस्त है।

सारणी 11.1 उत्तराखण्ड में भूमि उपयोगिता का वर्गीकरण

क्रम	विवरण	2004-05	2010-11	2014-15	
1.	भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल	5670110	5672636	5992604	
2.	वन	3465057	3484803	3799953	
3.	ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	311817	224764	228200	
4.	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	152180	217648	223792	
5.	कृष्य बेकार भूमि	386288	310390	316984	
6.	स्थायी चरागाह तथा अन्य चराई की भूमि	228944	198526	192077	
7.	अन्य वृक्ष झाड़ियों,बागों आदि का क्षेत्रफल जो वास्तविक बोयें गये क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है।	248979	385548	387817	
8.	वर्तमान परती	41683	43295	57276	
9.	अन्य परती	68432	84498	86334	
10.	बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल	766730	723164	701171	
11.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	467809	446533	396663	
12.	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल	1234539	1169697	1096834	
13.	फसल गहनता(प्रतिशत में)	161.01	161.75	156.65	
14.	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल	खरीफ	726303	678469	638023
		रबी	479260	453934	425094
		जायद	27982	36631	33213
		गन्ने के लिए प्रयुक्त क्षेत्रफल	994	663	504
15.	योग	1234539	1169697	1096834	

स्रोत—Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

मृदा वह प्राकृतिक पिण्ड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित चट्टानों व कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से बनती है। जिसमें खनिज, जैव पदार्थ, जल व वायु के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाये जाते हैं। भिन्न जगहों की मृदाओं में इन के अनुपात अलग-अलग पाये जाते हैं। इस आधार पर भारत में मृदा को आठ भागों (जलोढ, लाल, काली, लैटराइट, मरूस्थलीय, पर्वतीय, पीट व दलदलीय तथा लवणीय एवं क्षारीय) में विभक्त है। उत्तराखण्ड की मृदा पर्वतीय है जो अभी अविकसित अवस्था में है। जिसमें जीवांश की अधिकता एवं फास्फोरस व चूना की कमी है। जिसे धरातलीय एवं जलवायु की भिन्नता के आधार पर निम्न भागों में विभाजित करते हैं—

1. तराई मिट्टी
2. चारागाही मिट्टी
3. टर्शियरी मिट्टी
4. क्वार्ट्ज मिट्टी
5. ज्वालामुखी मिट्टी
6. दोमट मिट्टी
7. भूरी लाल-पीली मिट्टी
8. लाल मिट्टी
9. वन की भूरी मिट्टी
10. भस्मी मिट्टी
11. उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी
12. उच्च मैदानी मिट्टी
13. उप- पर्वतीय मृदा।

4.4.2 वन संसाधन

प्राकृतिक संसाधनों की श्रृंखला में वन संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वन संसाधन एक राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति होते हैं जो इसके विकास को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। उत्तराखण्ड के लिए तो यह संसाधन विशेष महत्व रखते हैं। वन संसाधनों के महत्व के सम्बन्ध में श्री के० एम० मुन्शी ने लिखा है कि 'वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी से हम जीवित रहते हैं।' पं० जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि 'एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक होता है।' भगवद्गीता में भी लिखा है कि 'वृक्ष हम सब लोगों को जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए।'

प्रदेश में लगभग 64.8 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल - 34,651 वर्ग किलोमीटर) अभिलेखित वन क्षेत्र है, जबकि हरित आवरण केवल 45.79 (क्षेत्रफल - 24,496 वर्ग किलोमीटर) प्रतिशत है। अभिलेखित वन क्षेत्रके 34,651 वर्ग किलोमीटर के अन्तर्गत तीन प्रकार के वनों- आरक्षित वन 71.11 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल - 24,643 वर्ग किलोमीटर), संरक्षित वन 28.30 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल - 9,885 वर्ग किलोमीटर) एवं शेष अवर्गीकृत वन 0.35 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल - 123 वर्ग किलोमीटर) में विभाजित किया जाता है। वनों के कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था वन सम्पदा से भरपूर है। प्रदेश के वनों में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ व वन्य जीव पाये जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी और सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर का है।

राज्य में ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ वनों का क्षेत्र तथा उनका प्रतिशत पहले बढ़ता है फिर एक निश्चित ऊँचाई के बाद पुनः घटने लगता है।

- 300 मीटर से नीचे ऊँचाई वाले भागों में वनों का प्रतिशत 12.8 है।
- 300–600 मीटर के मध्य भागों में वनों का प्रतिशत 12.3 है।
- 600–1200 मीटर में वनों का प्रतिशत 16.3 है।
- 1200–1800 मीटर में वनों का प्रतिशत 22.3 है।
- 1800–3000 मीटर में वनों का प्रतिशत 28.8 है।
- 3000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर केवल 7.5 प्रतिशत।

राज्य में वनों को आठ वर्गों में विभाजित किया गया है।

1. उपोष्ण कटिबन्धीय वन—ये वन 750 या 1200 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जिसमें साल,सेमल, हल्दू, खैर सीसू और बांस प्रमुख वृक्ष हैं।
2. उष्ण कटिबन्धीय शुष्क वन—ये वन 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है,जिसमें ढाक, सेमल, गूलर, जामुन व बेर प्रमुख वृक्ष हैं।
3. उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र पतझड़ वन—ये वन 1500 मीटर तक ऊँचाई वाले शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटी क्षेत्रों में पाये जाते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है।सागौन,शहतूत, पलाश,अंजन,बहेडा प्रमुख वृक्ष हैं।
4. कोणधारी वन —ये वन 900 से 1800 मीटर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जिसमें चीड़ प्रमुख वृक्ष है।इन वनों में शुष्कता रहती है।
5. पर्वतीय शीतोष्ण वन —ये वन 1800 से 2700 मीटर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जिसमें स्पूस, सिलवर, फर, देवदार, साइप्रस तथा बांज प्रमुख वृक्ष हैं।
6. उप-एल्पाइन तथा एल्पाइन वन —ये वन 2700 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं,जिनमें सिलवर फर, ब्लू पाइन,दमवदारख बुरॉस तथा कम्पानुलाटस प्रमुख प्रजातियाँ हैं।ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं तथा कच्चे भी जल जाते हैं।
7. एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान —ये वनस्पतियाँ 3000 से 3600 की ऊँचाई में पाई जाती हैं।झाड़ियों के साथ एल्पाइन वनस्पति भी बिखरे रूप में पाई जाती है, अधिक ऊँचाई पर घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें बुग्याल, पयार, मीडो या एल्पाइन पाश्चर कहा जाता है।
8. टुण्ड्रा तुल्य वनस्पतियाँ — 3600 से 4800 मीटर तक की ऊँचाई में टुण्ड्रा तुल्य वनस्पतियाँ (घास, कार्ई, लिचेन आदि)उगती हैं, जबकि इससे अधिक ऊँचाई पर सदैव बर्फाच्छादन रहता है।

राज्य में वनों का प्रबन्धन चार विधियों से किया जाता है —

- वन विभागाधीन —राज्य के कुल वनों का 70.46 प्रतिशत भाग इसके आधीन आता है।
- राजस्व विभागाधीन —राज्य के कुल वनों का 13.76 प्रतिशत भाग इसके आधीन आता है।इन वनों में पशु वराने तथा लकड़ी कटाने की छूट होती है।
- वन पंचायताधीन —राज्य के कुल वनों का 15.32 प्रतिशत भाग इसके आधीन आता है।इन पर स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है।

- निजी व अन्य संस्थाधीन –राज्य के कुल वनों का 0.46 प्रतिशत भाग इसके आधीन आता है।

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व अथवा लाभ

उत्तराखण्ड में प्राप्त होने वाले वन अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक हैं। इन वनों के विभिन्न लाभों को दो भागों में बाँटा जा सकता है :

(1) वनों के प्रत्यक्ष लाभ

- वन बहुमूल्य लकड़ियों के भण्डार हैं। इनसे हमें ईंधन के लिए आवश्यक लकड़ी भी प्राप्त होती है।
- वन कागज, दियासलाई, कत्था आदि उद्योगों हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं।
- वनों से सहायक उत्पादन के रूप में रबड़, तारपीन, गोंद, चन्दन, औषधियाँ, लाख आदि प्राप्त होती हैं।
- सरकार को वनों से राजस्व प्राप्त होता है जिससे राज्य आय में वृद्धि होती है।
- वनों से रोजगार एवं निर्यात में वृद्धि होती है जिससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।
- वनों से कृषि हेतु खाद एवं पशुओं हेतु चारा प्राप्त होता है।
- पशु-पक्षी विहार के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध होता है।

(2) वनों के अप्रत्यक्ष लाभ

- वन मिट्टी का कटाव एवं तेज हवाओं के वेग को रोकने में सहायक होते हैं।
- वन वर्षा में सहायक होते हैं। यह हवा में नमी भी पहुंचाते हैं।
- वन भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं।
- वन बाढ़ नियन्त्रण में सहायक होते हैं।
- वन जलवायु को शुद्ध रखते हैं एवं मानव जीवन की रक्षा करते हैं।
- वन पर्यावरण प्रदूषण को सन्तुलित बनाने में भी उपयोगी हैं।
- वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं।
- वनों से प्राकृतिक सौन्दर्य में विस्तार होता है।

4.4.3 जल संसाधन

जल संसाधनों की आवश्यकता घरेलू (पीने व स्वच्छता के लिए), कृषि (सिंचाई), उद्योग, आदि में उपयोग के लिए होती है। इन जल संसाधनों की आवश्यकता सभी क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य विद्युत उत्पादन के लिए भी होती है। प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के कारण यहाँ जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हिमनद प्रदेश की उन प्रमुख नदियों के स्रोत हैं जो निरन्तर जल प्रवाह बनाये रखती हैं। प्रदेश के प्रमुख हिमनद हैं –

- गंगोत्री हिमनद –उत्तरकाशी जिले में स्थित यह राज्यका सबसे बड़ा हिमनद है।यह 30 किमी. लम्बा व 2 किमी. चौड़ा है।इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है।
- पिण्डारीहिमनद –बागेश्वर , पिथौरागढ़ एवं चमोली जिले में स्थित राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है। यह 30 किमी. लम्बा व 400 मी. चौड़ा है। अलकनन्दा की सहायक पिण्डार नदी इसी से निकलती है।
- मिलन हिमनद –पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में स्थित इस हिमनद की लम्बाई 16 किमी. है।इस हिमनद से पिण्डर की सहायक नदी मिलन व काली की सहायक गौरीगंगा नदियां निकलती है।
- खतलिंग हिमनद –केदारनाथ से लगभग 10 किमी. पश्चिम स्थित यह हिमनद जोगिन,स्फटिक प्रिस्वार, बार्त कौटर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। भिलंगना नदी इसी से निकलती है।
- चौराबाड़ी हिमनद –केदारनाथ मंदिर से लगभग से लगभग तीन किमी. पूर्व में स्थित इस हिमनद की लम्बाई 14 किमी. है।इस हिमनद सेअलकनन्दा की सहायक मदांकिनी नदी इसी से निकलती है।
- बंदरपुंछ हिमनद –यह हिमनद उत्तरकाशी जिले में बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। इसकी लम्बाई 12 किमी. है।

इसके अतिरिक्त रालम, सतोपंथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ,कफनी आदि अनेको हिमनद अवस्थित है।

उत्तराखण्ड अपार जल संसाधन से सम्पन्न राज्य है। भारत के सन्दर्भ में राज्य की सभी नदियां गंगा तंत्र का अंग है, परन्तु राज्य के सन्दर्भ में कई नदी तंत्र आते हैं, जिनमें प्रमुख हैं— गंगा तंत्र, यमुना तंत्र तथा काली तंत्र। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं – गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, गोमती, भागीरथी, अलकनन्दा, मन्दाकिनी, भिलंगना, काली, कोसी, पश्चिमी रामगंगा, टोंस, सरयू, पिण्डर, धौलीगंगा, सौंग, घाघरा।

जल के प्रमुख स्रोत के रूप में यहाँ अनेक ताल,झीलें और खाल व कुण्ड हैं। यह प्रदेश झीलों व तालों के लिए प्रसिद्ध हैं, नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहते हैं। प्रदेश के कुछ प्रमुख ताल व झीलें हैं – नैनीताल, भीमताल, नौकुछियाताल, देवरीताल, मोहनताल, बेनीताल, सुखताल, सिद्धताल, द्रोणताल, केदारताल, कागभुसुंड ताल, शत्रुताल, वसूकी ताल, मालवा ताल, गिरीताल, सतोपंथ ताल, सहस्रताल, हेमकुण्ड लोकपाल, रूपकुण्ड, टिहरी झील, द्रोण सागर, गाँधी सागर, आदि।

जल संसाधनों का महत्व

उत्तराखण्ड के आर्थिक व सामाजिक विकास में जल संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मानव जीवन, कृषि, उद्योग, जहाजरानी आदि क्षेत्रों में भी जल संसाधनों का विशेष महत्व है। जल संसाधन के महत्व को समझते हुए उत्तराखण्ड सरकार के जल संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने ई-मैसेज में लिखा है कि उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों प्रचुर एवं विविधपूर्ण भंडार है और जल भी उसमें से एक है। इसका विकास एवं प्रबन्धन कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबी में कमी, पर्यावरणीय और निरन्तर आर्थिक विकास के लिए जल प्रबन्धन महत्पूर्ण है। जल संसाधनों के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा बताया जा सकता है :

कृषि में महत्व : उत्तराखण्ड जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में जल संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां की लगभग 64 प्रतिशत आबादी रोजगार हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि के उत्पादन हेतु जल संसाधनों का होना अति आवश्यक है। परन्तु यहां मानसून निश्चित नहीं हैं। देश में प्रायः सूखा अथवा बाढ़ आने की सम्भावना बनी रहती है। ऐसे में जल का उचित प्रबन्धन एवं जल के अन्य स्रोतों का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि सम्भव हो सके।

हरित क्रान्ति में महत्व : हरित क्रान्ति के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में यन्त्रीकरण, गहन खेती, बहु-फसली खेती आदि को अपनाया जाता है। इन सभी प्रयासों की सफलता हेतु सिंचाई के लिए जल साधनों का समुचित विकास किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, कहा जा सकता है कि हरित क्रान्ति की सफलता हेतु जल संसाधन महत्वपूर्ण हैं।

शक्ति के क्षेत्र में महत्व : वर्तमान दौर में विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने एवं विभिन्न आधुनिक सुविधाओं का उपभोग करने हेतु शक्ति की आवश्यक होती है। जल एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग शक्ति के उत्पादन में भी किया जाता है। जल द्वारा शक्ति का उत्पादन करना अन्य शक्ति उत्पादन स्रोतों की तुलना में अधिक सस्ता होता है। स्वतन्त्रता के बाद से ही नदियों पर बड़े-बड़े बाँध (बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं) बनाकर शक्ति का उत्पादन किया जाता है।

उद्योगों के लिए महत्व : जल-विद्युत शक्ति के उपलब्ध हो जाने से शक्ति-चालित आधुनिक मशीनों, उपकरणों एवं यन्त्रों का प्रयोग सम्भव हुआ है। इससे कुटीर, लघु, एवं वृहद उद्योगों का तेजी से विकास करना सम्भव हुआ है। साथ ही कम समय और लागत में जल-विद्युत शक्ति को हजारों किलोमीटर दूर भेज सकना सम्भव होने के कारण उद्योगों के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है।

रोजगार के क्षेत्र में महत्व : जल संसाधन के कारण प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जल संसाधन के उचित प्रबन्धन से कृषि उत्पादन बढ़ता है एवं उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता है जिससे उद्योग भी विकास करते हैं। इन सबके परिणामस्वरूप प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

4.4.4 खनिज संसाधन

एक प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु खनिज संसाधन बहुत महत्व रखते हैं। इसके महत्व को दृष्टिगत करते हुए खनिज संसाधनों को आधुनिक सभ्यता के विकास का आधार माना जाता है। खनिज संसाधन विभिन्न उद्योगों का आधार हैं साथ ही यह शक्ति में वृद्धि एवं सुरक्षा में सहायता करते हैं। मनुष्यों को प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खनिज संसाधनों का ही उपयोग किया जाता है। उत्तराखण्ड खनिज संसाधन की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ शिवालिक व लघु हिमालय श्रेणी के शैलों, दून तथा नदी घाटियों में खनिज उपखनिज पाये जाते हैं। यद्यपि यहाँ खनिजों की उपलब्धता बहुत अधिक नहीं है, तथापि कुछ खनिज प्रचुर मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं। राज्य में खनिजों के खोज, सर्वेक्षण आदि हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया है। राज्य में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज व उपखनिज का विवरण सारणी 10.2 में व्यक्त किया जा रहा है, जो निम्नवत है—

सारणी 11.2 –उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज

जिला	पाये जाने वाले प्रमुख खनिज
चमोली	फॉस्फोराइट, टिन, जिप्सम, चूना-पत्थर।
छेहरादून	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेराइट्स, एंडालूसाइट, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फॉस्फोराइट।
हरिद्वार	फॉस्फोराइट।
पौड़ी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, संगमरमर, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस।
रुद्रप्रयाग	फॉस्फोराइट।
टिहरी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस, यूरेनियम, जिप्सम।
उत्तरकाशी	फॉस्फोराइट।
अल्मोड़ा	सेलखड़ी, ताँबा, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस, चाँदी।
चम्पावत	फॉस्फोराइट।
नैनीताल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, सीसा, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, फॉस्फोराइट।
पिथौरागढ़	सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, फॉस्फोराइट, संगमरमर, जिप्सम।
उधमसिंह नगर	फॉस्फोराइट,।

सारणी 11.2 में दिये गये खनिजों के अतिरिक्त भी अन्य खनिज यहाँ पाये जाते हैं। ये हैं – अभ्रक, ग्रेफाइट, शिलाजीत, पारा, सोना, गन्धक, आदि। प्रदेश के टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त रोड़ा, बजरी, रेता व पत्थर भी वनों के उप-खनिज के रूप में उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग निर्माण उद्योग, कांच निर्माण उद्योग, सड़क निर्माण व जल संशोधन में किया जाता है। नवम्बर, 2000 में गठन के पश्चात राज्य सरकार ने 4 अप्रैल, 2001 को राज्य खनन नीति घोषित की जिसके अनुसार, वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन कार्य 'उत्तरांचल वन विकास निगम' तथा अन्य क्षेत्रों में खनन कार्य 'गढ़वाल मण्डल विकास निगम' तथा 'कुमाऊ मण्डल विकास निगम' द्वारा किया जाएगा।

अभ्यास प्रश्न

(अ) लघुउत्तरीय प्रश्न

1. प्राकृतिक संसाधनों से क्या आशय है ?

.....

.....
.....
2. उत्तराखण्ड में जल संसाधन के महत्व को रेखांकित कीजिए।

.....
.....
.....
3. उत्तराखण्ड में वन संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....
.....
.....
4. उत्तराखण्ड में खनिज संसाधन की उपादेयता स्पष्ट कीजिए।

.....
.....
.....
5. उत्तराखण्ड में भू संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....
.....
.....
6. राज्य में वनों का प्रबन्धनपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....
.....
.....
7. उत्तराखण्ड में जल संसाधनों का महत्व पर प्रकाश डालिए।

(ब) रिक्त स्थान भरिए—

1. उत्तराखण्ड में लगभगप्रतिशत भाग मैदानी है।
2. उत्तराखण्ड का सर्वोच्च पर्वत शिखर.....है।
3. उत्तराखण्ड का राजकीय वन्य जीव है.....।
4. राज्य खनन नीति के अनुसार, वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन कार्य किया जाता है।
5. उत्तराखण्ड का राजकीय पक्षी है.....।

6. उत्तराखण्ड का राजकीय पुष्प है.....।

(स) सत्य/असत्य बताइए—

1. जल संसाधनों का नवीनीकरण होता है।
2. खनिज संसाधन प्रकृति की देन नहीं हैं।
3. 'हिमाद्रि' सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित क्षेत्र है।
4. उत्तराखण्ड जैव विविधता पूर्ण प्रदेश है।
5. बजरी व रेता वनों के उप-खनिजों के रूप में उपलब्ध होते हैं।
6. उत्तराखण्ड खनिज संसाधन की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है।
7. गंगोत्री राज्यका सबसे बड़ा हिमनद है।

(द) बहुविकल्पीय प्रश्न—

1. निम्न में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक है?
(अ) वन; (ब) खनिज; (स) जल; (द) उपर्युक्त सभी;
2. उत्तराखण्ड में मध्य हिमालय के वन कितनी ऊँचाई पर पाये जाते हैं?
(अ) 600 से 1500 मीटर तक; (ब) 1500 से 2000 मीटर तक; (स) 2000 से 2500 मीटर तक; (द) 2500 मीटर से अधिक;
3. उत्तराखण्ड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं?
(अ) 4; (ब) 5; (स) 6; (द) इनमें से कोई नहीं;
4. निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखण्ड में है?
(अ) गोदावरी; (ब) गंगा; (स) ब्रह्मपुत्र; (द) इनमें से किसी का नहीं;
5. निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखण्ड में स्थित है?
(अ) राजाजी; (ब) कार्बेट; (स) फूलों की घाटी; (द) उपर्युक्त सभी;
6. राज्य की प्रथम खनन नीति कब घोषित की गई।
(अ) 4 मई, 2001 (ब) 4 जनवरी, 2001 (स) 4 जून, 2001 (द) 4 अप्रैल, 2001

4.7 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति द्वारा मनुष्यों को निशुल्क प्राप्त होते हैं, एक प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संसाधनों की उपलब्धता ही प्रदेश की प्रगति को निर्धारित करती है। जो प्रदेश अच्छी तकनीक एवं कुशल मानव शक्ति के सहयोग से प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हैं वे तीव्र गति से विकास करने में सफल होते हैं और जिन प्रदेशों में प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है, वे तेजी उन्नति नहीं कर पाते हैं। उत्तराखण्ड में विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं जैसे— भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन आदि। यह संसाधन कृषि कार्यों, सड़क, मकान, पार्क आदि के निर्माण में, विभिन्न उद्योगों में, औषधियों में, खाद एवं पशुओं के चारे में, बाढ़ नियन्त्रण में, मानव जीवन की रक्षा में, पर्यावरण प्रदूषण के सन्तुलन में आदि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधन उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के विकास की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् यह जान चुके हैं कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था

में, उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को उच्च स्थान पर विद्यमान है, तो इसका प्रमुख कारण है, यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और उन प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन करके अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है। यहाँ ऊँचे हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के साथ गहरी घाटियाँ व मैदान हैं। अनेक प्रकार के वनों के पाये जाने से यह प्रदेश जैव विविधता से भरपूर है। इनमें से कुछ स्थल राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव विहारों के रूप में संरक्षित हैं। प्रदेश में अनेक हिमनद, नदियाँ, ताल व झीलें हैं जो जल के प्रमुख स्रोत हैं ही, साथ में विद्युत उत्पादन में भी सहायक हैं। प्रदेश में अनेक प्रमुख खनिज भी पाये जाते हैं। यदि भूमि, वन, जल जैसे प्राकृतिक संसाधन न केवल अर्थव्यवस्था, अपितु हमारे जीवन का प्राणतत्व है। कोयला, पेट्रोलियम तथा विभिन्न प्रकार की धातुएं जैसे खनिज औद्योगिक क्षेत्र को संजीवनी प्रदान करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को बेहतर आकार प्रदान करने में यहां के प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है।

4.8 शब्दावली

अधः संरचना—यह आधार संरचना का समानार्थी है। प्रत्येक प्रदेश की अर्थव्यवस्था की उन्नति अधो-संरचनात्मक ढांचे की प्रगति पर ही निर्भर करती है।

प्राकृतिक संसाधन—प्रकृति द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं (जिनके लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है) को प्राकृतिक संसाधन की संज्ञा दी जाती है। इस श्रेणी में भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ जैसे— पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, हीरा, चांदी आदि सम्मिलित हैं।

नवीनीकरण होने योग्य प्राकृतिक संसाधन—प्रकृति में जिनका लगातार नवीनीकरण स्वयं होता रहता है। **नवीनीकरण न होने योग्य प्राकृतिक संसाधन**— प्रकृति में जिनका नवीनीकरण नहीं होता है अर्थात् लगातार उपयोग होते रहने से ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं।

खनिज-खनन से खनिज शब्द बना है। खनन का अर्थ है— खोदना। अतः जमीन की खुदाई करके प्राप्त किये जाने वाले पदार्थों को खनिज पदार्थ या खनिज तत्व कहा जाता है। पेट्रोलियम, धातुएं आदि को मूल रूप से जमीन को खोदकर ही निकाला जाता है। धरती के भीतर अनेक प्रकार के खनिज तत्व जगह-जगह भरे पड़े हैं। इसी आधार पर धरती को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कोई न कोई तत्व धरती के अन्दर न हो।

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(अ) लघुउत्तरीय प्रश्न

1. देखिए 4.4, 2. देखिए 4.4.3, 3. देखिए 4.4.2, 4. देखिए 4.4.4, 5. देखिए 4.4.1, 6. देखिए 4.4.2, 7. देखिए 4.4.3।

(ब) रिक्त स्थान भरिए—(1) 14, (2) नन्दा देवी, (3) कस्तूरी मृग, (4) 'उत्तरांचल वन विकास निगम' (5) मोनाल, (6) ब्रह्मकमल,

(स) सत्य/असत्य बताइए— (1) सत्य, (2) असत्य, (3) सत्य, (4) सत्य, (5) सत्य, (6) सत्य, (7) सत्य।

(द) बहुविकल्पीय प्रश्न— (1) द, (2) स, (3) स, (4) ब, (5) द, (6) द।

4.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची व ई-लिंक्स

- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.

- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.
- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.
- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2015), सांख्यिकीय डायरी 2015-16, उत्तराखण्ड सरकार ।
- अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तरांचल के सानिध्य में*, इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली
- उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्ड: उत्कर्ष की ओर*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून ।
- उत्तराखण्ड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून ।

4.11 सहायक उपयोगी/पाठ्य सामग्री

5. ओझा,शिव कुमार,(2016), उत्तराखण्ड: एक समग्र अध्ययन , बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद ।
6. ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखंड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा ।
7. बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ ।
8. पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा ।
9. सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली ।

4.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. आर्थिक विकास व प्राकृतिक संसाधनों के मध्य सम्बन्ध की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए ।
2. उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका को दर्शाइये ।
3. उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की विवेचना कीजिए ।
4. वनों के क्या लाभ हैं ? उत्तराखण्ड में वनों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए ।
5. 'उत्तराखण्ड में जल संसाधन' विषय पर एक निबन्ध लिखिए ।
6. 'खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता के विकास का आधार हैं।' उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए ।
7. उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्द्धन व संरक्षण के लिए गए सरकारी प्रयासों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए ।

इकाई पांच : उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था एक सामान्य परिचय

5.4 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषताएँ

5.4.1 आर्थिक प्रगति सम्बन्धी विशेषताएँ

5.4.2 कृषि सम्बन्धी विशेषताएँ

5.4.3 उद्योगों सम्बन्धी विशेषताएँ

5.4.4 अधोसंरचना सम्बन्धी विशेषताएँ

5.4.5 जनांककीय विशेषताएँ

5.4.6 पर्यटन सम्बन्धी विशेषताएँ

5.4.7 प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी विशेषताएँ

5.4.8 अन्य विशेषताएँ

5.5 सारांश

5.6 शब्दावली

5.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

5.9 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

5.10 निबन्धात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्ड में समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह बारहवीं इकाई है। इससे पहले की इकाईयों से आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं।

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था देश की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इसका स्वरूप अत्यन्त व्यापक है तथा इसकी विविध विशेषताएँ हैं। प्रस्तुत इकाई में उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित इन बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना, स्वरूप, विशेषताओं एवं महत्व को समझ सकेंगे तथा उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था का समग्र विश्लेषण कर सकेंगे।

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना किस प्रकार की है और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं।
- समझा सकेंगे कि आर्थिक विश्लेषण में उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है।
- उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की परम्परागत एवं नवीन विशेषताओं को श्रेणीबद्ध कर सकेंगे।
- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं।

5.3 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था : एक सामान्य परिचय

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है। वास्तव में, अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, प्रदेश के लोगों द्वारा इनका उपभोग करना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, निर्यात करना आदि को सम्मिलित किया जाता है।

आप जानते हैं कि 9 नवम्बर, 2000 ई0 को भारत के 27वें राज्य व 10वें हिमालय राज्य के रूप में उत्तरांचल का उदय हुआ। जिसे बाद में बदल कर उत्तराखण्ड कर दिया गया।

इस राज्य के उत्तर में चीन व पूर्व में नेपाल राष्ट्र स्थित हैं। भारत में इसकी सीमायें पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिलती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में दो मंडल – गढ़वाल व कुमाऊँ हैं। गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले – चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी हैं जबकि कुमाऊँ मंडल में 6 जिले – अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ व उधमसिंह नगर हैं। राज्य के अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार, इस राज्य में 100 तहसील, 95 विकास खण्ड, 670 न्याय पंचायत, 7541 ग्राम पंचायत, 1 नगर निगम, 32 नगर पालिका परिषद्, 30 नगर पंचायत व 9 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं।

5.4 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था: मुख्य विशेषताएँ

अर्थव्यवस्था की संरचना से आशय एक अर्थव्यवस्था का उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण से है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे— कृषि, उद्योग, बैंक, बीमा, परिवहन एवं अन्य सेवाओं आदि से सम्बन्धित क्रियाओं का संचालन होता है। उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था को अध्ययन की दृष्टि से क्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है :

प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र)

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे— पशुपालन, मछली पालन (मात्स्यिकी), वानिकी आदि।

द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग क्षेत्र)


अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग (निवेश के आधार पर – लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग; स्वामित्व के आधार पर – सार्वजनिक एवं निजी उद्योग), निर्माण, गैस तथा विद्युत उत्पादन आदि को शामिल किया जाता है।

तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र)

तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे— बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, लोकप्रशासन, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है, इसी कारण से इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना को निम्नलिखित चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना



उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

जब प्रदेश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया चलती है तो उसकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती रहती है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होने लगता है, वैसे-वैसे जनसंख्या का अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में कम तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बढ़ने लगता है साथ ही राष्ट्रीय आय में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान में वृद्धि होती जाती है।

उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान प्रदेश है परन्तु आर्थिक नियोजन के कारण उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आये हैं। प्रदेश की प्रादेशिक कुल आय में प्राथमिक क्षेत्र के भाग में कमी हुई है जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के भाग में बढ़ोत्तरी हुई है। इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका 12.1 : उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान(प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1999-2000	30.10	18.79	51.11
2009-10	16.97	33.86	49.17
2011-12	13.97	52.03	34.00
2012-13	13.18	53.17	33.65

2013-14	13.05	52.20	34.75
2014-15	11.74	52.19	36.07
2015-16	11.56	51.24	37.21

स्रोत—Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक था, परन्तु समयकाल में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र) का भाग घटता जा रहा है जबकि द्वितीयक (उद्योग) एवं तृतीयक क्षेत्र (सेवा) का भाग बढ़ता चला जा रहा है। वर्ष 1999-2000 से 2009-10 की अवधि में उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 30.10 प्रतिशत से कम होकर 16.97 प्रतिशत रह गया जबकि इसी अवधि में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 18.79 प्रतिशत एवं 51.11 प्रतिशत से बढ़कर 33.86 प्रतिशत एवं कम होकर 49.17 प्रतिशत हो गया। यह उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन को परिलक्षित करता है। अब आगे के अध्ययन में आप राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को वर्गीकृत रूप में समझ सकेंगे।

5.4.1 आर्थिक प्रगति सम्बन्धी विशेषताएँ

राज्य में स्थापना के समय से ही आर्थिक विकास की ऊँची दर पाये जाने की प्रवृत्ति है। प्रदेश की आर्थिक विकास दर वर्ष 2000 में 2.9 प्रतिशत, 2012-13 में 7.42 प्रतिशत, 2013-14 में 7.25 प्रतिशत तथा 2014-15 में 7.33 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर 7.65 प्रतिशत हो गयी।¹ जो यह व्यक्त कर रही है कि प्रदेश की विकास दर बढी परन्तु आगे चलकर वह स्थिर हो गयी। उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में रुपया 15000, 2010-11 में रुपया 101128, 2012-13 में रुपया 114878, 2013-14 में रुपया 127861, 2014-15 में रुपया 139184 थी जबकि वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर रुपया 154818 हो गयी।

प्रदेश में सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास में समान रूप से नहीं हुआ है। विशेषकर मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से भिन्नता पायी जाती है। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों के आर्थिक विकास का स्तर अन्य पर्वतीय जिलों के विकास स्तर से बहुत अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी की दृष्टि से आप सारणी 12.1 के विश्लेषण से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तराखण्ड में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में लगातार घट ही रही है। वर्ष 1999-2000 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 30.10 से कम होकर 2015-16 में 13.07 रह गयी। द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में तेजी से बढ़ी है। यह वर्ष 1999-2000 में 18.79, वर्ष 2009-10 में 33.86, वर्ष 2011-12 में 51.73, वर्ष 2014-15 में कम होकर 48.36 एवं 2015-16 में 46.48 रह गयी। तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में थोड़ी सी ही घटी है 2015-16 में यह 40.44 है।

सारणी 12.1 – उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

	1999-2000	2009-10	2011-12	2014-15	2015-16
प्राथमिक क्षेत्र	30.10	16.97	14.48	12.84	13.07
द्वितीयक क्षेत्र	18.79	33.86	51.73	48.36	46.48
तृतीयक क्षेत्र	51.11	49.17	33.80	38.80	40.44

स्रोत—Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

5.4.2 कृषि सम्बन्धी विशेषताएँ

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ के समान है। राज्य के 70 प्रतिशत व्यक्तियों की आजीविका कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों पर आधारित है। यहाँ दो प्रकार की खेती पायी जाती है – मैदानी व पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की सीढ़ी-नुमा संरचना का पायें जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में खेती आधुनिक

विधि से एवं पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत विधि से की जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए आधुनिक तकनीक व आदाओं का अपनाया जाना सम्भव नहीं है। मैदानी क्षेत्र की कृषि पर हरित क्रान्ति का स्पष्ट प्रभाव है जबकि पर्वतीय कृषि भू-क्षरण की समस्या से ग्रस्त है।

सारणी 12.2 उत्तराखण्ड में भूमि उपयोगिता का वर्गीकरण

क्रम	विवरण	2004-05	2010-11	2014-15	
16.	भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल	5670110	5672636	5992604	
17.	वन	3465057	3484803	3799953	
18.	ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	311817	224764	228200	
19.	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	152180	217648	223792	
20.	कृष्य बेकार भूमि	386288	310390	316984	
21.	स्थाई चरागाह तथा अन्य चराई की भूमि	228944	198526	192077	
22.	अन्य वृक्ष झाड़ियो,बागों आदि का क्षेत्रफल जो वास्तविक बोयें गये क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है।	248979	385548	387817	
23.	वर्तमान परती	41683	43295	57276	
24.	अन्य परती	68432	84498	86334	
25.	बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल	766730	723164	701171	
26.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	467809	446533	396663	
27.	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल	1234539	1169697	1096834	
28.	फसल गहनता(प्रतिशत में)	161.01	161.75	156.65	
29.	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल	खरीफ	726303	678469	638023
		रबी	479260	453934	425094
		जायद	27982	36631	33213
		गन्ने के लिए प्रयुक्त क्षेत्रफल	994	663	504
30.	योग	1234539	1169697	1096834	

स्रोत—Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

सारणी 12.3 से स्पष्ट है कि यदि उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र की विकास दर की तुलना राष्ट्रीय दर से की जाये तो आप पायेंगे कि राज्य की कृषि विकास दर राष्ट्रीय दर से बहुत कम है। परन्तु रोचक विशेषता यह है कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2008-2009 में राज्य की कृषि विकास दर में वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास दर में भारी गिरावट हुई है।

सारणी 12.3—उत्तराखण्ड में विकास दर चालू मूल्य पर

	2012-13	2013-14 ^c	2014-15 ^{pp}	2015-16 ^l
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	18.17	15.77	-7.94	14.70
राज्य घरेलू उत्पाद	14.42	12.75	10.05	12.63
प्रति व्यक्ति आय	12.90	11.25	8.58	11.73

स्रोत—Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

बाजार दबावों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की परम्परागत कृषि पर आत्मनिर्भरता कम होती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कृषि पदार्थों पर पर्वतीय व्यक्तियों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। राज्य के हिमालय की तराई से बर्फ की पहाड़ियों तक फैला होने के कारण जलवायु में अत्यधिक विविधता पायी जाती है। इसलिए यहाँ जैव-विविधता भी अधिक है। उत्तराखण्ड कृषि जलवायु की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत जोन-9 और जोन-14 का भाग है।

**सारणी 12.4 – उत्तराखण्ड में राज्य घरेलू उत्पाद में धान्य दलहन तिलहन फसलों का योगदान
(2004–05 के स्थिर मूल्यों पर)(लाख रु० में)**

फसल	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
गेहूँ	77614	76603	74865	74021	79054
धान	53308	57650	57943	57510	60081
मण्डुवा	8576	9302	8433	8248	9061
सावा	3399	3903	3368	3217	3504
श्रामदाना	155	145	174	187	355
कुल धान्य	147977	152407	149588	148066	158443
कुल दालें	7777	8742	7845	10053	9705
कुल खाद्यान्न	155754	161149	157432	158118	168148
कुल तिलहन	3917	5001	5047	5213	5516
कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध घटक	837377	850144	885523	847709	871446

स्रोत—Directorate of Economics and Statistics, Dehradun

प्रदेश में अनाज, दालों, तिलहन, गन्ना फसलों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की साग-सब्जियाँ, मसालें, फूल-फल व जड़ी-बूटियाँ उत्पादित किये जाते हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश में अनाज सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाये जाते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ना का स्थान है। दालों व तिलहन के बुआई क्षेत्रफल का स्थान क्रमशः तीसरा व चौथा है। प्रमुख अनाजों में मंडवा सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। दालों में बुआई क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान उड़द का, दूसरा स्थान मसूर का व तीसरा स्थान कुल्थी का है। प्रमुख तिलहन फसलों में सरसों का बुआई क्षेत्रफल पहले स्थान पर व सोयाबीन का बुआई क्षेत्रफल दूसरे स्थान पर है। उत्पादकता की दृष्टि से गेहूँ की उत्पादकता पहले स्थान पर, चावल की उत्पादकता दूसरे स्थान पर व मक्का की उत्पादकता तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर मँडुआ की उत्पादकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत फसलों की अधिकता है। यहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग भी बहुत कम होता है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में यन्त्रीकरण भी अधिक नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तराखण्ड आत्मनिर्भर है और कृषि एवं बागवानी से जुड़े उद्योगों में लगभग पाँच लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।¹

5.4.3 उद्योगों सम्बन्धी विशेषताएँ

यद्यपि उत्तराखण्ड के अधिकाँश भाग में पर्वत होने के कारण पहले उद्योगों की दृष्टि से अधिक विकास नहीं हो सका था, अब उत्तराखण्ड के उद्योग प्रदेश के आर्थिक ढाँचे का महत्वपूर्ण आधार हैं। अलग राज्य बनने के बाद प्राकृतिक और मानव संसाधनों के बेहतर प्रयोग द्वारा उत्तराखण्ड ने औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत की है। पिछले 17 वर्षों की निवेश की स्थिति पर नजर डालें, तो उत्तराखण्ड निवेशकों के लिए पंसदीदा स्थान बनकर सामने आया है। राज्य में सबसे ज्यादा निवेश बिजली उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में हुआ। कुल निवेश का 66 प्रतिशत बिजली में 23 प्रतिशत निर्माण तथा 11 प्रतिशत सेवा विनिर्माण तथा सिंचाई जैसे क्षेत्रों में किया गया।

नये राज्य के गठन के बाद उत्तराखण्ड में निवेश व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को 1 अप्रैल 2001 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में सिडकुल, उत्तराखण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड उद्योग संघ की स्थापना की गई और 2003 में टैक्स हॉलीडे जैसी नीतियों के कारण राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार में तेजी आई। पंतनगर, हरिद्वार, कोटद्वार, सितारगंज आदि क्षेत्र नये औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए। वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड के औद्योगीकरण की गति तेज करने के लिए सरकारी उपक्रम के रूप में स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) अस्तित्व में आया। सिडकुल एकल

खिड़की सुविधा प्रदान करने के लिए मॉडल एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है। इस समय प्रदेश में तीन एकीकृत औद्योगिक आस्थान (आई.आई.ई.) हैं जो हरिद्वार, पंतनगर और सितारगंज में स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त देहरादून में फार्मा सिटी व कोटद्वार में ग्रोथ सेन्टर भी स्थापित किया गया है। परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड की औद्योगिक विकास दर जो वर्ष 2001-02 में 1.9 प्रतिशत थी, वर्ष 2015-16 में बढ़कर 6.52 प्रतिशत हो गयी। राज्य में उद्योगों व सरकार के बीच समन्वय का कार्य करने के लिए व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज' महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2003 में उत्तराखण्ड के लिए दिए गए टैक्स हॉलीडे पैकेज से आकर्षित होकर अनेक प्रमुख फर्मों ने उत्तराखण्ड में अपनी इकाईयाँ स्थापित की, यद्यपि इससे पहले उत्तराखण्ड में हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड पहले ही स्थापित हो चुका था। वर्तमान में उत्तराखण्ड की ऑटो मोबाइल हब व फार्मा सिटी के रूप में पहचान बन चुकी है। एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर जिला का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों का प्रमुख स्थान बनता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा एग्रो पार्क व खाद्य पार्क बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया है। भीमताल में एक आईटी इक्यूवेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। पंतनगर और रूडकी में भी आईटी पार्क विकसित किए जाने की योजना है। देहरादून में विश्व में पहले मार्इक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी की स्थापना की गई है।

इस प्रकार राज्य का औद्योगिक ढाँचा तीव्र गति से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य में समुचित औद्योगिक वातावरण का विकास हो रहा है, साथ ही अन्य सुविधाओं जैसे, सस्ती बिजली, करो में छूट, सस्ते श्रम आदि के कारण अन्य निवेशक भी उत्तराखण्ड में निवेश हेतु प्रयास कर रहे हैं। जो प्रदेश की औद्योगिक संरचना के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे।

उत्तराखण्ड के औद्योगीकरण में खाद्य प्रसंस्करण बायोटेक्नोलॉजी, कृषि व सम्बन्धित, हस्तशिल्प, मिनरल वाटर, इलैक्ट्रानिक्स, इत्यादि से सम्बन्धित उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखण्ड में अनेक प्रकार के ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी हैं जिनमें जूता-चप्पल उद्योग, दियासलाई उद्योग, गुड़ व खाण्डसारी उद्योग, ऊनी शॉल व अन्य वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग आदि प्रमुख हैं।

5.4.4 अधोसंरचना सम्बन्धी विशेषताएँ

अधोसंरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं—सामाजिक व आर्थिक(भौतिक)। सामाजिक अधोसंरचना में शिक्षा व स्वास्थ्य से सम्बन्धित अधोसंरचना को सम्मिलित किया जाता है, जबकि भौतिक अधोसंरचना में संचार व यातायात, ऊर्जा, वित्तीय आदि सम्मिलित किये जाते हैं। ये अधोसंरचनाएँ आर्थिक विकास के लिए आधारभूत होती हैं। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं की स्थिति लगातार सुधार रही है।

परिवहन व संचार

प्रदेश की पर्वतीय प्रकृति होने के कारण यहाँ सड़क यातायात मुख्य है। उत्तराखण्ड सड़कों की लम्बाई वर्ष 2014-15 में 40686 किमी है। प्रति लाख जनसंख्या पर 381.46किमी है। प्रदेश में सड़क परिवहन मुख्य रूप से उत्तराखण्ड परिवहन निगम, जे.एन.यू.आर.एम., जी.एम.ओ.यू. व के.एम.ओ.यू. द्वारा संचालित किया जाता है। सड़क यातायात में विभिन्न निजी पर्यटन एजेन्सियों के निजी वाहन व टैक्सियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सड़क यातायात के अतिरिक्त रेल परिवहन व वायु परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी व काठगोदाम प्रमुख रेल स्टेशन हैं, जबकि जौलीग्राण्ट एवं पंत नगर प्रदेश का प्रमुख एयरपोर्ट है। संचार की दृष्टि से उत्तराखण्ड में बी.एस.एन.एल. व अन्य निजी संस्थाओं के टेलीफोन नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है।

साक्षरता एवं शिक्षा

(1) (बेसिक व सैकेण्ड्री शिक्षा) स्कूल व कॉलेजों की संख्या – 22379; (2) (उच्च शिक्षा) स्नातक व स्नाकोत्तर कॉलेजों की संख्या – 106; केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या – 01; राज्य विश्वविद्यालय – 06; निजी विश्वविद्यालय – 05; डीम्ड विश्वविद्यालय 04; आईआईटी – 01; (3) (व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या – 06, पॉलीटेक्निक – 37; शिक्षा प्रशिक्षण के जिला संस्थानों की संख्या – 13 है।

साक्षरता (2011 में)	78.8
छात्र शिक्षक अनुपात(2014-15 में)	
प्राथमिक	19
बेसिक	19
हॉयर सेकेण्डरी	33
उच्च शिक्षा	116
प्रति लाख जनसंख्या विद्यालय की संख्या	
प्राथमिक	145
बेसिक	45
हॉयर सेकेण्डरी	32
उच्च शिक्षा	1

प्रदेश में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय वानिकी संस्थान, नैनीताल में आर्य भट्ट अनुसंधान संस्थान, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, ऊधमसिंहनगर में जी.बी. पंत विश्वविद्यालय, रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे विशिष्ट शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित हैं। विशेष बात यह है कि उत्तराखण्ड के शिक्षा हब में बदलने के बावजूद आवश्यकता की दृष्टि से इस अधोसंरचना में और अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के क्षेत्र में वर्ष 2014 की स्थिति

प्रदेश में जिला अस्पतालों की संख्या – 12; जिला महिला अस्पतालों की संख्या – 07; बेस अस्पतालों की संख्या – 03; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या – 258; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या – 59; राज्य एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या – 390; कुष्ठ रोगियों की लिए अस्पतालों की संख्या – 03; टी.बी. रोगियों के लिए अस्पतालों की संख्या – 18; आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पतालों की संख्या – 545; होम्योपैथिक अस्पतालों व डिस्पेंसरी की संख्या – 107; महिला व बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या – 02; व उपकेन्द्रों की संख्या – 1765; जबकि परिवार-कल्याण के मुख्य केन्द्रों की संख्या – 84; सरकारी अस्पतालों में प्रति लाख जनसंख्या पर उपलब्ध बेड की संख्या 86 है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सचल चिकित्सा व्यवस्था में आपातकालीन सेवा-108 भी उपलब्ध है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ योग व आयुर्वेद के प्रचलन को देखते हुए उत्तराखण्ड 'आयुष प्रदेश' कहलाता है। परन्तु जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अधोसंरचना भी अपर्याप्त है।

ऊर्जा

अनेक छोटी-बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के कारण यह प्रदेश 'ऊर्जा-प्रदेश' कहलाता है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता वर्ष 2014-15 में 1290.10 मेगावाट थी। जिसके द्वारा 4348.95 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोग 9184.36 मिलियन यूनिट से कम है। विद्युत की दृष्टि से उत्तराखण्ड अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखण्ड में अनेक नदियों पर बड़े व छोटे बाँध बने हुए हैं। इनमें टिहरी बाँध सबसे बड़ा

है। जिससे वर्ष 2006 में बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। उत्तराखण्ड में विद्युत उत्पादन व वितरण के लिए उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड संस्था कार्य करती है।

वित्तीय क्षेत्र में- वर्ष 2009-10 में प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 885 शाखायें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 184 शाखायें, अन्य निजी बैंकों की 112 शाखायें, 10 जिला सहकारी बैंक व इनकी 203 शाखायें कार्य कर रही थी। 2014-15 में साख जमा अनुपात 34.12 है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में- प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 'शिखर' व 'आरोही' परियोजनायें चलायी जा रही हैं तथा साथ ही यहाँ ई-गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। विश्व की पहली माइक्रोसोफ्ट आई.टी. अकादमी देहरादून में स्थापित की गयी है।

5.4.5 जनांककीय विशेषताएँ

आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हुई तो वर्ष 1991 के आँकड़ों के आधार पर राज्य की जनसंख्या 71,13,483 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या (84,64,21,039) का 0.84 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 84,89,349 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या (1,02,87,37,436) का 0.83 प्रतिशत थी। परन्तु वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनन्तिम परिणामों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 1,01,16,752 हो गयी जो भारत की कुल जनसंख्या (1,21,01,93,422) का 0.84 प्रतिशत है। यह जानने योग्य तथ्य है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखण्ड के 20वें स्थान में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उत्तराखण्ड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर भारत की औसत दर से भी अधिक है। जबकि यह 1961-71, 1981-91 एवं 1991-2001 में सम्पूर्ण भारत से कम रही। उत्तराखण्ड राज्य में दशकीय गिरावट सर्वाधिक 1981-1991 के दशक में (-4.32 प्रतिशत) थी जो 1991-2001 के दशक में (-2.74 प्रतिशत), 2001-2011 के दशक में (-1.24 प्रतिशत) रही। साक्षरता 8.3 से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दशक 2001-2011 में उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.77 प्रतिशत) दशक 1991-2001 में दर (1.87 प्रतिशत) की तुलना में कम रही। परन्तु यह गिरावट सम्पूर्ण भारत से कम रही। जहाँ दशक 2001-2011 में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.64 प्रतिशत) दशक 1991-2001 में दर (1.97 प्रतिशत) थी।

उत्तराखण्ड में दो मैदानी (हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर), दो पर्वतीय-मैदानी (देहरादून, नैनीताल) व शेष नौ जिले पर्वतीय हैं। प्रदेश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में निवास करती है। सभी 9 पर्वतीय जिलों में रहने वाली जनसंख्या का प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में तथा 2001 की तुलना में 2011 में कम हो रही है जो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन को दर्शाता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे -भौतिक अद्योसंरचना का विकसित न होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यन्त कठिन व विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, भू-स्खलन व भू-क्षरण की समस्या में लगातार वृद्धि होना, अच्छे रोजगार व व्यवसाय के अवसर का समाप्त होना, कृषि की लाभदेयता का समाप्त होना व कुटीर ग्राम उद्योगों का समाप्त होना, स्वास्थ्य व चिकित्सा, यातायात, पेयजल आदि सुविधाओं का बहुत कम होना।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 69.77 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2001 में 74.41 प्रतिशत अर्थात् 4.66 प्रतिशत कमी तथा नगरीय जनसंख्या वर्ष 2011 कुल जनसंख्या 30.23 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2001 में 25.59 प्रतिशत थी, अर्थात् 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साक्षरता 8.7 में वर्ष 2011 एवं 2001 में उत्तराखण्ड के नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत एवं महिला पुरुष हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।

धर्म के आधार पर वितरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड में हिन्दुओं की बहुत अधिकता है। जिनकी प्रतिशत संख्या वर्ष 2001 में 84.89 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011 में 82.97 प्रतिशत ही रह गयी। वही मुस्लिम प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई जो 2001 में 11.92 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 13.95 प्रतिशत हो गयी। अर्थात् हिन्दू जनसंख्या में 2001-2011 के दशक में 1.99 प्रतिशत की कमी तथा मुस्लिम जनसंख्या में 2001-2011 के दशक में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001-2011 के दशक में इसाई एवं अन्य व अवर्णित धर्म जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हुई। वही 2001-2011 के दशक में सिक्ख, बौद्ध एवं जैन की जनसंख्या के प्रतिशत में कमी हुई।

लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 963 स्त्रियाँ पायी गयी, जो कि सम्पूर्ण भारत के लिंगानुपात 940 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष से अधिक है।

प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 79.63 प्रतिशत (8.01 प्रतिशत की वृद्धि) हो गयी। परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वें स्थान से खिसककर 17वें स्थान पर आ गया है। प्रदेश की साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से अधिक तो है परन्तु प्रदेश की स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में अभी भी कम है। सारणी 2.9 में प्रदेश की जिलेवार पुरुष व महिलाओं की साक्षरता दरों को दर्शाया गया है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक साक्षरता जिला देहरादून (85.25 प्रतिशत), जबकि उधम सिंह नगर जिले में न्यूनतम साक्षरता (74.44 प्रतिशत) दर्ज की गयी है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला देहरादून (79.61 प्रतिशत), जबकि टिहरी गढ़वाल जिले में न्यूनतम साक्षरता (61.77 प्रतिशत) दर्ज की गयी है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला रुद्रप्रयाग (94.97 प्रतिशत), जबकि हरिद्वार जिले में न्यूनतम साक्षरता (82.26 प्रतिशत) दर्ज की गयी है।

5.4.6 पर्यटन सम्बन्धी विशेषताएँ

उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग की अपार एवं असीम सम्भावनायें हैं तथा पर्यटन उद्योग राज्य में आय के नये अवसरों को पैदा करने, रोजगार प्रदान करने, वाणिज्य तथा व्यापार में नई तीव्रता लाने के लिये, राज्य के राजस्व में द्रिग वृद्धि करने के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के आदान-प्रदान का मुख्य माध्यम बनकर राज्य के आर्थिक विकास को नवीन गति प्रदान कर सकता है। उत्तराखण्ड में पर्यटन की प्रत्येक प्रकार की गतिविधियाँ पायी जाती हैं। ये मुख्य रूप से इस प्रकार हैं – धार्मिक पर्यटन, अवकाश पर्यटन, पर्यावरण एवं वन्य जीवन आधारित पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक यात्राएं आधारित पर्यटन, मेले व त्यौहार।

धार्मिक पर्यटन— देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य ऐसी विशेषताओं को भी समेटे हुए है जो धार्मिक पर्यटन से सम्बन्धित हैं। यदि उत्तराखण्ड के पर्यटन की सम्भावनाओं पर विचार किया जाये तो सर्वप्रथम धार्मिक तथा तीर्थों के भ्रमण हेतु उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक महत्व सामने आता है। राज्य में चार धाम बद्दीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री अनादि काल से यात्रियों एवं पर्यटकों का केन्द्र रहा है। पंचप्रयाग— देवप्रयाग, नन्दप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग अवस्थित है। अनेक मैदानी हरिद्वार, ऋषिकेश, पिरान—कलियर, लाखामण्डल आदि एवं पर्वतीय धार्मिक स्थलों हेमकुण्ड साहेब, मीठा रीठा साहिबा, नन्दा देवी, सोमेश्वर, बैजनाथ, कटारमल्ल सूर्य मन्दिर, चितई गोलू देवता, गणनाथ, जागेश्वर, बागनाथ, नैना देवी, श्रीपूर्णागिरी, नीलकण्ठ, आदि की यात्रा यहाँ के पर्यटन व्यवसाय का आधार है।

अवकाश पर्यटन— बर्फबारी के आकर्षण, प्राकृतिक सौन्दर्य व ग्रीष्म काल में ठंडे मौसम पाये जाने के कारण भारत का स्विटजर लैण्ड कौसानी, मुक्तेश्वर, विनसर, ग्वालदम, लोहाघाट, औली, पहाड़ों की रानी मसूरी, सरोवर नगरी नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, रानीखेत, पिथौरागढ़, आदि स्थल अवकाश के दौरान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।

राज्य में सरोवर नगरी नैनीताल, पहाड़ों की रानी मसूरी, भारत का स्विटजर लैण्ड कौसानी, अल्मोड़ा, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, रानीखेत, धनौली जैसे कई विश्वविख्यात पर्यटन स्थल हैं जहाँ वर्ष भर सैलानी सामान्य तौर पर मनोरंजन एवं घूमने के दृष्टिकोण से आते हैं इसके अतिरिक्त राज्य में प्रथम वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तथा टाईगर रिजर्व जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान समेत छः राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं साथ ही अनेक वन जीव अभयारण्य हैं जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पशु-पक्षी एवं पेड़-पौधे मौजूद हैं जो कि वर्ष भर सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बने रहते हैं।

पर्यावरण व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन— प्रदेश में प्रकृति व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन भी प्रमुख है। वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तथा टाईगर रिजर्व जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान समेत छः राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं साथ ही अनेक वन जीव अभयारण्य हैं जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पशु-पक्षी एवं पेड़-पौधे मौजूद हैं जो कि वर्ष भर सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बने रहते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जिम कार्वेट पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, आदि स्थलों की यात्रा करते हैं।

साहसिक पर्यटन(एडवेंचर टूरिज्म) — उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग जैसे साहसिक पर्यटनों स्थलों की भरमार है। रिवर-राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैरा ग्लाइडिंग, आदि साहसिक खेल प्रदेश के पर्यटन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाल के वर्षों में, विश्वप्रसिद्ध स्कीइंग केन्द्र औली एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। अलकनन्दा नदी में रिवर-राफ्टिंग पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।नेहरू पर्वतारोहण केन्द्र उत्तरकाशी, रिवर राफ्टिंग केन्द्र शिवपुरी अवस्थित है जो कि साहसिक पर्यटन एवं शीतकालीन खेलों के लिए विश्वविख्यात हैं। औली में प्रथम दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों के आयोजन से राज्य की छवि साहसिक खेलों के क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठित हुयी है।

धार्मिक यात्राएं आधारित पर्यटन —कैलाश मानसरोवर यात्रा,नन्दा राजजात यात्रा,हिलजात्रा,दयवोरा देव यात्रा, खतलिंग-रुद्रा देवी महायात्रा, सहस्र ताल-महाश्र ताल यात्रा और पंवाली कांठा-केदार यात्रा आदि।

मेले और पर्व — राज्य में नियमित रूप से आयोजित होने वाले अनेक बड़े व छोटे मेले तथा पर्व जहाँ एक ओर धार्मिक व सांस्कृतिक छटा बिखरते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को व्यावसायिक दृष्टि से गति भी प्रदान करते हैं। जो मुख्य रूप में इस प्रकार है—नन्दा देवी मेला, जागेश्वर का श्रावणी मेला, उत्तरायणी मेला, श्रीपूर्णागिरी मेला ,बग्वाल मेला, जौलजीवी मेला, थल मेला, बिस्सू मेला, काशीपुर का चैती मेला, दनगल मेला, हरियाली पूजा मेला और जौनसार का नुणाई मेला प्रसिद्ध है। मेलों व पर्वों के दौरान पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है।

उत्तराखण्ड लोक गीत-संगीत, लोक नृत्यों जैसे झोड़ा, चौफला, छोलिया, रम्माण, चौचरी आदि सुदूर तक विख्यात हैं। यहाँ का परम्पारगत पहाड़ी खान-पान, वेश-भूषा, भाषा बोली आदि सभी अपने आप में आद्वितीय हैं जोकि पर्यटन को नया आयाम देकर विकास के नये अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म, बायोटूरिज्म की अपार सम्भावनायें हैं, चूँकि राज्य की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, वन तथा औषधीय उत्पाद एवं यहाँ की संस्कृति व आध्यात्मिकता के कारण राज्य योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के केन्द्र के रूप में देशी ही नहीं बल्कि विदेशियों के मध्य तीव्रता के साथ आकर्षण का केन्द्र बनकर उभर रहा है। बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पंतजलि योगपीठ हरिद्वार एवं महर्षि योगी द्वारा उत्तरकाशी में स्थापित योगपीठ का इस दिशा में उल्लेख किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अनुसार, वर्ष 2002-03 के दौरान प्रदेश के कुल 264 पर्यटन (तीर्थों सहित) स्थलों पर भारतीय पर्यटकों की संख्या 129.30 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या 0.63 लाख थी। जो 2014-15 में भारतीय पर्यटकों की संख्या 293.74 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.11 लाख हो गयी। जबकि राष्ट्रीय पार्कों व वन्य-जीव विहारों में वर्ष 2002-03 के दौरान भारतीय पर्यटकों की संख्या 92 हजार थी। जो 2014-15 में भारतीय पर्यटकों की संख्या 323 हजार हो

गयी। एक अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर तथा देश के सभी राज्यों में सातवें स्थान पर है।

पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेन्ट, पर्यटन वाहन, टैन्टनुमा आवासीय योजनाएँ, टूरिस्ट गाईड, पर्वतारोहण के संस्थान एवं प्रशिक्षक, साहसिक खेलों की परियोजनाएँ तथा उक्त के लिये मानव संसाधनों का विकास आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे न केवल स्थानीय लोगों को आय तथा रोजगार के नये अवसर मिल सकते हैं अपितु यहाँ पर पलायन जैसी समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उत्तराखण्ड में पर्यटक सुविधाओं की स्थिति का वर्ष 2014 के आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण करे तो पता चलता है कि उत्तराखण्ड में विकसित पर्यटक स्थल 3217, पर्यटक विश्राम गृह 175 तथा रैन बसेरों की संख्या 32 थी। उत्तराखण्ड के समान भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल में पर्यटन की स्थिति उत्तराखण्ड की तुलना में काफी बेहतर है। अतः यदि राज्य को पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को तीव्र करना है तो पर्यटन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नितान्त आवश्यक होगा।

5.4.7 प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी विशेषताएँ

प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से भूमि, वन, जल, मत्स्य, खनिज आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस राज्य का कुल भूमि क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत भाग पर्वतीय (क्षेत्रफल – 46035 वर्ग किलोमीटर) तथा शेष भाग मैदानी होने के कारण यह राज्य प्रमुख रूप से पर्वतीय है। भू क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 18वा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थलाकृति अत्यन्त विविध व कठिन है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा देहरादून व नैनीताल के कुछ भागों को छोड़कर शेष क्षेत्र पर्वतीय है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत भाग पर्वतीय (क्षेत्रफल – 46035 वर्ग किलोमीटर) तथा शेष भाग मैदानी है। यहाँ एक ओर ऊँचे पर्वत, वहीं दूसरी ओर गहरी घाटियाँ भी हैं। अनेक हिमनद, गहरी नदियाँ व तेज गति से बहती धाराएँ हैं। बर्फीली चोटियों के साथ गर्म मैदानी स्थल हैं।

भू-संरचना, धरातल की ऊँचाई, आदि के आधार पर प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है – तराई, भावर व शिवालिक (संयुक्त औसत धरातलीय ऊँचाई – 300 से 3000 मीटर), हिमाचल (औसत धरातलीय ऊँचाई – 2000 से 3000 मीटर), हिमाद्रि (औसत धरातलीय ऊँचाई – 3000 से 7600 मीटर)। शिवालिक, हिमाचल व हिमाद्रि भागों को मिलाकर यह भाग कुमाऊँ हिमालय कहलाता है। शिवालिक के दक्षिण में निचले चपटे व गहरे क्षेत्र को दून कहते हैं। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखरों में से कुछ इस प्रदेश में पाये जाते हैं। इनमें से प्रमुख हैं – नन्दा देवी (7817 मीटर), कामेट (7756 मीटर), बद्रीनाथ (7138 मीटर)। राज्य में बर्फीले क्षेत्रों के कारण हिम-नद भी पाये जाते हैं। ये हिम-नद राज्य की उन प्रमुख नदियों के स्रोत हैं जो निरन्तर जल प्रवाह बनाये रखते हैं। अधिकांश भू-भाग पर्वतीय होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में न तो कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक व आदाओं का अपनाया जाना सम्भव है और न ही बड़े उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है। कुल क्षेत्र का 12.81 भाग पर कृषि की जाती है। जिसके 46.27 प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। फसल गहनता 161 प्रतिशत से अधिक है।

सारणी 12.5 – उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज

जिला	पाये जाने वाले प्रमुख खनिज
चमोली	फॉस्फोराइट, जिप्सम, चूना-पत्थर
छेहरादून	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेराइट्स, एंडालूसाइट, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फॉस्फोराइट
हरिद्वार	फॉस्फोराइट
पौड़ी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, संगमरमर, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस

रुद्रप्रयाग	फॉस्फोराइट
टिहरी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस, जिप्सम
उत्तरकाशी	फॉस्फोराइट
अल्मोड़ा	सेलखड़ी, ताँबा, फॉस्फोराइट, एस्बेस्टस, चाँदी
चम्पावत	फॉस्फोराइट
नैनीताल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, सीसा, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, फॉस्फोराइट,
पिथौरागढ़	सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, फॉस्फोराइट, संगमरमर, जिप्सम
उधमसिंह नगर	फॉस्फोराइट,

स्रोत: बलूनी, विद्या दत्त, उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ

सारणी 12.5 में दिये गये खनिजों के अतिरिक्त भी अन्य खनिज यहाँ पाये जाते हैं। ये हैं – अभ्रक, ग्रेफाइट, शिलाजीत, पारा, सोना, गन्धक, आदि। प्रदेश में यूरेनियम के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त रोड़ा, बजरी, रेता व पत्थर भी वनों के उप-खनिज के रूप में उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग निर्माण उद्योग, कांच निर्माण उद्योग, सड़क निर्माण व जल संशोधन में किया जाता है। देहरादून में भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय भी है।

प्रदेश में लगभग 63.41 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल – 3799953 हेक्टेयर) अभिलेखित वन क्षेत्र है, जबकि हरित आवरण केवल 45.7 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ, बुग्यालों के अधीन, चट्टानी बलुवी नदी तट, जलमग्न होने के कारण वनों से आच्छादित नहीं है। वनों के कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था वन सम्पदा से भरपूर है। वन क्षेत्र सभी को प्राण वायु भी देता है। इसलिए प्रदेश में इतने भू-भाग के वन क्षेत्र होने के कारण उत्तराखण्ड का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। इतना होते हुए भी, विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों के अत्याधिक कटान से प्रदेश में भू-क्षरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

अभ्यास प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की संरचना को स्पष्ट कीजिए।
.....
2. उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
.....
3. उत्तराखण्ड की कृषि सम्बन्धी विशेषताएँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
.....
4. उत्तराखण्ड की सामाजिक अधोसंरचनाकी संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
.....
5. उत्तराखण्ड की जनांककीय विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
.....
6. उत्तराखण्ड कीपर्यटन सम्बन्धी विशेषताएँपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
.....

रिक्त स्थान भरिए।

1. उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है।
2. उत्तराखण्ड में सबसे बड़ा बाँध है।

3. प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा में स्थित है।
4. उत्तराखण्ड में तीर्थों सहित कुल पर्यटन स्थलों की संख्या है।
5. उत्तराखण्ड में चार धामों के नाम हैं ।
6. उत्तराखण्ड में हरित आवरण प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है।

बहुविकल्पीय प्रश्न।

1. वर्ष 2015-16 में उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति आय है-

- (क) 154818 (ख) 123410 (ग) 101218 (घ) इनमें से कोई नहीं

2. उत्तराखण्ड में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में आजीविका के लिए निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है-

- (क) 82 प्रतिशत (ख) 65 प्रतिशत (ग) 67 प्रतिशत (घ) 70 प्रतिशत

3. वर्ष 2010-11 में उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास दर थी-

- (क) 24 प्रतिशत (ख) 32 प्रतिशत (ग) 51 प्रतिशत (घ) 26 प्रतिशत

4. उत्तराखण्ड की जनसंख्या का देश की जनसंख्या में निम्न में से कौन सा स्थान है-

- (क) 17वां (ख) 20वां (ग) 25वां (घ) इनमें से कोई नहीं

5. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड में प्रभावी साक्षरता दर है-

- (क) 46.32 प्रतिशत (ख) 74.04 प्रतिशत (ग) 79.63 प्रतिशत (घ) इनमें से कोई नहीं

सत्य-असत्य बताइए।

1. देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों के आर्थिक विकास का स्तर अन्य पर्वतीय जिलों के विकास स्तर से बहुत अधिक है। (सत्य/असत्य)
2. उत्तराखण्ड के कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय दर से कम है। (सत्य/असत्य)
3. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर, हरिद्वार में स्थित है। (सत्य/असत्य)
4. विभिन्न प्रकार के उद्योग उत्तराखण्ड में मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में समान रूप से स्थापित हैं। (सत्य/असत्य)
5. घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान पर है। (सत्य/असत्य)
6. मुख्य रूप से उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय है। (सत्य/असत्य)

एक शब्द में उत्तर दीजिए-

1. वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड में उद्योगों की गति तेज करने के लिए कौन सा सरकारी उपक्रम अस्तित्व में आया ?
2. उत्तराखण्ड को 'ऊर्जा प्रदेश' क्यों कहते हैं ?

5.5 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था एक मिश्रित व विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छे भौगोलिक वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों, यथा- भूमि तथा मिट्टियां; वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति के संसाधनों, मानव संसाधन, कृषि व सिंचाई, उद्योग एवं परिवहन आदि के कारण प्रदेश को विकसित राज्य का स्वरूप प्रदान करते हैं। दूसरी ओर बेरोजगारी, गरीबी, कृषि पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी का अभाव, तथा रूढ़िवादिता ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो इससे पिछड़ा राज्य बनाए हुए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। मुख्य रूप से इस पर्वतीय राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद विकास के लाभ पर्वतीय क्षेत्रों को कम मिले हैं। व्यावसायिक संरचना उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में है। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि में अनेक मुख्य फसलें हैं। परन्तु अधिकतर जोतों का आकार छोटा है। प्रदेश में अनेक छोटे-बड़े उद्योगों हैं यद्यपि ये मैदानी क्षेत्रों में ही अधिक स्थापित हुए

हैं। इस आयुष्य प्रदेश में विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं जिसमें वन, जल व खनिज प्रमुख हैं। देवताओं के निवास कहे जाने वाले इस प्रदेश में धार्मिक यात्रायें व मेले अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण देश की तुलना में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होते हुए भी जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय स्तर से कम है परन्तु साक्षरता दर अधिक है। जनसंख्या वास्तविक सम्पदा के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। रोजगार की तलाश में सुरक्षा बलों में जाने व मैदान की ओर स्थानान्तरण करने से पर्वतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस इकाई के अध्ययन से आप उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं इसकी विभिन्न विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।

5.6 शब्दावली

वर्ग किलोमीटर:—1 किलोमीटर लम्बा तथा 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला वर्गाकार क्षेत्र।

जनसंख्या का घनत्व:—इसका तात्पर्य है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या।

सकल घरेलू राज्य उत्पाद:— राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य से है।

सकल घरेलू उत्पाद :- सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय लेखांकन का एक रूप है। किसी देश में किसी वर्ष में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल नहीं है।

प्रति व्यक्ति आय :- प्रति व्यक्ति आय से अर्थ देश के लोगों की औसत आय से है। यह एक देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाली जाती है। इसके आधार पर उस देश के लोगों के जीवन-स्तर का अनुमान लगाया जाता है।

समावेशी विकास :- समावेशी विकास से आशय है कि देश की विकास प्रक्रिया में जो क्षेत्र एवं वर्ग छूट गये हैं, उन्हें प्राथमिकता देकर विकास की मुख्यधारा में लाना जिससे सभी क्षेत्रों एवं वर्गों का समान विकास सम्भव हो सके।

वैश्वीकरण :- वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ाव हो जाता है। इससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी, तकनीक एवं श्रम का निर्बाध प्रवाह होने लगता है।

5.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

लघुउत्तरीय प्रश्न

1—5.4 देखिए, 2—5.4.1 देखिए, 3—5.4.2 देखिए, 4—5.4.4 देखिए, 5—5.4.5 देखिए, 6—5.4.6 देखिए, रिक्त स्थान भरिए। 1— 5.56, 2—टिहरी बाँध, 3—जौलीग्राण्ट, 4— 264, 5—बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, 6—45.7 प्रतिशत से अधिक।

बहुविकल्पीय प्रश्न।

1. क.154818, 2. ख—70 प्रतिशत, 3.घ—26 प्रतिशत 4.ख— 20 वां 5. ग—79.63 प्रतिशत।

सत्य—असत्य बताइए।

1.सत्य 2.सत्य 3.सत्य 4.असत्य 5.असत्य 6.सत्य।

एक शब्द में उत्तर दीजिए—

(1) स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल);

(2) बहुत अधिक संख्या में जल—विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के कारण यह प्रदेश 'ऊर्जा प्रदेश' कहलाता है।

5.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.
- Pant, J.C., (2001), *Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constraints vs Health, Population and Development*, India Literacy Board, Lucknow.
- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.
- अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तरांचल के सानिध्य में*, इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली।
- उत्तराखण्ड शासन (2010), *उत्तराखण्ड: उत्कर्ष की ओर*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
- उत्तराखण्ड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड सरकार।

5.9 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा।
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ।
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा।
- सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।

5.10 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1 : उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

प्रश्न 2 : उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को समझाते हुए इसकी नवीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न 3 : उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके पिछड़ेपन के कारणों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 4 : “ उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है।” इस कथन की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 5 : उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में क्या मूल परिवर्तन दिखाई देते हैं ?

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग
 - 6.3.1 धार्मिक पर्यटन
 - 6.3.2 अवकाश पर्यटन
 - 6.3.3 पर्यावरणव वन्य जीवन आधारित पर्यटन
 - 6.3.4 साहसिक पर्यटन
 - 6.3.5 धार्मिक यात्राएं
 - 6.3.6 मेले और पर्व
- 6.4 पर्यटनउद्योग तथा आय के अवसर
- 6.5 पर्यटनउद्योग के विकास हेतु सरकारी प्रयास
- 6.6 पर्यटनउद्योगनीति
- 6.7 पर्यटन उद्योग की समस्यायें
- 6.8 पर्यटनउद्योगतथा पर्यावरण
- 6.9 पर्यावरण एवं विकास में अन्तर सम्बन्ध
- 6.10 पर्यावरण समस्यायें
- 6.11 सारांश
- 6.12 शब्दावली
- 6.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 6.15 सहायक उपयोगी सामग्री
- 6.16 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्ड में समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह 13वीं इकाई है। पूर्व कीइकाई से आपउत्तराखण्ड की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन,गरीबी एवं बेरोजगारी,क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास,उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों औरउत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

वर्तमान इकाई में हम पर्यटन उद्योग तथा पर्यावरण के विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई के प्रथम भाग में पर्यटन उद्योग तथा द्वितीय भाग में पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जायेगा। पर्यटन उद्योग राज्य में आय के नये अवसरों को पैदा करने, रोजगार प्रदान करने, वाणिज्य तथा व्यापार में नई तीव्रता लाने के लिये, राज्य के राजस्व में तीव्र वृद्धि करने के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के आदान-प्रदान का मुख्य माध्यम बनकर राज्य के आर्थिक विकास को नवीन गति प्रदान कर सकता है।पर्यटन व इससे जुड़ी गतिविधियाँ इस राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं।

उत्तराखण्ड मेंपर्यटन उद्योग की संरचना किस प्रकार की है और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं।उत्तराखण्ड के आर्थिक विकासहेतु पर्यटन उद्योग का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी होगी।साथ हीपर्यटन उद्योग का विकास किस प्रकार हो रहा है यह बता सकेंगे।पर्यटन उद्योग की मुख्य समस्यायें कौन सी हैं तथा सरकार की पर्यटन नीति क्या है इसकी विवेचना की गई है। पर्यावरण की विभिन्न आयामों के आधार पर चर्चा के साथ में पर्यटन एवं पर्यावरण में अन्तर सम्बन्धों का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

6.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड मेंपर्यटन उद्योग की संरचना किस प्रकार की है और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं।
- समझा सकेंगे किउत्तराखण्ड के आर्थिक विकासहेतु पर्यटन उद्योग का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है।
- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड मेंपर्यटन उद्योगके द्वारा रोजगार तथा आय के अवसर कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं।
- पर्यटन उद्योग से विकास की क्या सम्भावनाओं की चर्चा कर सकेंगे।
- पर्यटन एवं पर्यावरण में अन्तर सम्बन्धों को स्पष्ट कर सकेंगे।
- पर्यटन उद्योग की मुख्य समस्यायें कौन सी हैं तथा सरकार की पर्यटन नीति क्या है इसकी विवेचना कर सकते हैं।
- पर्यावरण की विभिन्न आयामों के आधार पर चर्चा कर सकेंगे।

6.3 उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग

उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग की अपार एवं असीम सम्भावनायें हैं तथा पर्यटन उद्योग राज्य में आय के नये अवसरों को पैदा करने, रोजगार प्रदान करने, वाणिज्य तथा व्यापार में नई तीव्रता लाने के लिये, राज्य के राजस्व में तीव्र वृद्धि करने के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के आदान-प्रदान का मुख्य माध्यम बनकर राज्य के आर्थिक विकास को नवीन गति प्रदान कर सकता है।पर्यटन व इससे जुड़ी गतिविधियाँ इस राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। यहां पर्यटन उद्योग राजस्व ही नहीं रोजगार का भी जारिया है। उत्तराखण्ड में पर्यटन की प्रत्येक प्रकार की गतिविधियाँ

पायी जाती हैं। ये मुख्य रूप से इस प्रकार हैं – धार्मिक पर्यटन, अवकाश पर्यटन, पर्यावरण एवं वन्य जीवन आधारित पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक यात्राएं आधारित पर्यटन, मेंलें व त्यौहार।

6.3.1 धार्मिक पर्यटन

देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य ऐसी विशेषताओं को भी समेटे हुए है जो धार्मिक पर्यटन से सम्बन्धित हैं। यदि उत्तराखण्ड के पर्यटन की सम्भावनाओं पर विचार किया जाये तो सर्वप्रथम धार्मिक तथा तीर्थों के भ्रमण हेतु उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक महत्व सामने आता है। राज्य में चार धाम बद्दीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री अनादि काल से यात्रियों एवं पर्यटकों का केन्द्र रहा है। पंचप्रयाग— देवप्रयाग, नन्दप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग अवस्थित है। अनेक मैदानी हरिद्वार, ऋषिकेश, पिरान—कलियर, लाखामण्डल आदि एवं पर्वतीय धार्मिक स्थलों हेमकुण्ड साहेब, मीठा रीठा साहिबा, नन्दा देवी, सोमेश्वर, बैजनाथ, कटारमल्ल सूर्य मन्दिर, चितई गोलू देवता, गणनाथ, जागेश्वर, बागनाथ, नैना देवी, श्रीपूर्णागिरी, नीलकण्ठ, आदि की यात्रा यहाँ के पर्यटन व्यवसाय का आधार है।

6.3.2 अवकाश पर्यटन

बर्फबारी के आकर्षण, प्राकृतिक सौन्दर्य व ग्रीष्म काल में ठंडे मौसम पाये जाने के कारण भारत का स्विटजर लैण्ड कौसानी, मुक्तेश्वर, विनसर, ग्वालदम, लोहाघाट, औली, पहाड़ों की रानी मसूरी, सरोवर नगरी नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, रानीखेत, पिथौरागढ़, आदि स्थल अवकाश के दौरान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।

राज्य में सरोवर नगरी नैनीताल, पहाड़ों की रानी मसूरी, भारत का स्विटजर लैण्ड कौसानी, अल्मोड़ा, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, रानीखेत, धनौली जैसे कई विश्वविख्यात पर्यटन स्थल हैं जहाँ वर्ष भर सैलानी सामान्य तौर पर मनोरंजन एवं घूमने के दृष्टिकोण से आते हैं इसके अतिरिक्त राज्य में प्रथम वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तथा टाईगर रिजर्व जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान समेत छः राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है साथ ही अनेक वन जीव अभयारण्य हैं जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पशु—पक्षी एवं पेड़—पौधे मौजूद हैं जो कि वर्ष भर सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बने रहते हैं।

6.3.3 पर्यावरण व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन

प्रदेश में प्रकृति व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन भी प्रमुख है। वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तथा टाईगर रिजर्व जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान समेत छः राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है साथ ही अनेक वन जीव अभयारण्य हैं जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पशु—पक्षी एवं पेड़—पौधे मौजूद हैं जो कि वर्ष भर सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बने रहते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जिम कार्वेट पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, आदि स्थलों की यात्रा करते हैं।

6.3.4 साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म)

उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग जैसे साहसिक पर्यटनों स्थलों की भरमार है। रिवर—राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैरा ग्लाइडिंग, आदि साहसिक खेल प्रदेश के पर्यटन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाल के वर्षों में, विश्वप्रसिद्ध स्कीइंग केन्द्र औली एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। अलकनन्दा नदी में रिवर—राफ्टिंग पर्यटकों को अपनी और आकर्षित करती है। नेहरू पर्वतारोहण केन्द्र उत्तरकाशी, रिवर राफ्टिंग केन्द्र शिवपुरी अवस्थित है जो कि साहसिक पर्यटन एवं शीतकालीन खेलों के लिए विश्वविख्यात हैं। औली में प्रथम दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों के आयोजन से राज्य की छवि साहसिक खेलों के क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठित हुयी है।

6.3.5 धार्मिक यात्राएं आधारित पर्यटन

कैलाश मानसरोवर यात्रा, नन्दा राजजात यात्रा, हिलजात्रा, द्यवोरा देव यात्रा, खतलिंग—रुद्रा देवी महायात्रा, सहस्र ताल—महाश्र ताल यात्रा और पंवाली कांठा—केदार यात्रा आदि।

6.3.6 मेले और पर्व

राज्य में नियमित रूप से आयोजित होने वाले अनेक बड़े व छोटे मेले तथा पर्व जहाँ एक ओर धार्मिक व सांस्कृतिक छटा बिखेरते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को व्यावसायिक दृष्टि से गति भी प्रदान करते हैं। जो मुख्य रूप में इस प्रकार है—नन्दा देवी मेला, जागेश्वर का श्रावणी मेला, उत्तरायणी मेला, श्रीपूर्णागिरी मेला, बग्वाल मेला, जौलजीवी मेला, थल मेला, बिस्सू मेला, काशीपुर का चैती मेला, दनगल मेला, हरियाली पूडा मेला और जौनसार का नुणाई मेला प्रसिद्ध है। मेलों व पर्वों के दौरान पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है।

उत्तराखण्ड लोक गीत—संगीत, लोक नृत्यों जैसे झोड़ा, चौफला, छोलिया, रम्माण, चौचरी आदि सुदूर तक विख्यात है। यहाँ का परम्परागत पहाड़ी खान—पान, वेश—भूषा, भाषा बोली आदि सभी अपने आप में आद्वितीय है जोकि पर्यटन को नया आयाम देकर विकास के नये अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म, बायोटूरिज्म की अपार सम्भावनायें हैं चूँकि राज्य की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, वन तथा औषधीय उत्पाद एवं यहाँ की संस्कृति व आध्यात्मिकता के कारण राज्य योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के केन्द्र के रूप में देशी ही नहीं बल्कि विदेशियों के मध्य तीव्रता के साथ आकर्षण का केन्द्र बनकर उभर रहा है। बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पंतजलि योगपीठ हरिद्वार एवं महर्षि योगी द्वारा उत्तरकाशी में स्थापित योगपीठ का इस दिशा में उल्लेख किया जा सकता है।

6.4 पर्यटन उद्योग तथा आय के अवसर

उत्तराखण्ड की भौगोलिक तथा जलवायुवीय परिस्थितियाँ विषम प्रकार की हैं जो राज्य में आय के अवसरों की तीव्रता से गति प्रदान करने के लिये तीव्र औद्योगीकरण एवं विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियाँ पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में यहाँ के पर्यावरण के अनुरूप तथा राज्य की पर्यटन की दिशा में तुलनात्मक बढ़त को देखते हुए पर्यटन उद्योग राज्य में आय एवं रोजगार के नये अवसरों को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता है।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अनुसार, वर्ष 2002–03 के दौरान प्रदेश के कुल 264 पर्यटन (तीर्थों सहित) स्थलों पर भारतीय पर्यटकों की संख्या 129.30 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या 0.63 लाख थी। जो 2014–15 में भारतीय पर्यटकों की संख्या 293.74 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.11 लाख हो गयी। जबकि राष्ट्रीय पार्कों व वन्य-जीव विहारों में वर्ष 2002–03 के दौरान भारतीय पर्यटकों की संख्या 92 हजार थी। जो 2014–15 में भारतीय पर्यटकों की संख्या 323 हजार हो गयी। एक अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर तथा देश के सभी राज्यों में सातवें स्थान पर है।

सारणी 13.1 उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या

(तीर्थयात्रियों सहित) (लाख में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	योग
2002–03	129.30	0.63	129.93
2003–04	138.30	0.75	139.05
2004–05	162.80	0.93	163.73
2005–06	193.58	0.96	194.54
2006–07	221.54	1.05	222.60
2007–08	230.64	1.12	231.76
2008–09	231.54	1.18	232.72
2009–10	309.72	1.36	311.08
2010–11	266.66	1.45	263.09
2011–12	282.93	1.41	284.34
2012–13	200.25	0.90	201.15
2013–14	225.25	1.10	226.35

2014-15	293.74	1.11	294.85
---------	--------	------	--------

स्रोत:- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेन्ट, पर्यटन वाहन, टैन्टनुमा आवासीय योजनायें, टूरिस्ट गार्ड, पर्वतारोहण के संस्थान एवं प्रशिक्षक, साहसिक खेलों की परियोजनायें तथा उक्त के लिये मानव संसाधनों का विकास आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे न केवल स्थानीय लोगों को आय तथा रोजगार के नये अवसर मिल सकते हैं अपितु यहाँ पर पलायन जैसी समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उत्तराखण्ड में पर्यटक सुविधाओं की स्थिति का वर्ष 2014 के आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण करे तो पता चलता है कि उत्तराखण्ड में विकसित पर्यटक स्थल 3217 , पर्यटक विश्राम गृह 175 तथा रैन बसेरों की संख्या 32 थी। उत्तराखण्ड के समान भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल में पर्यटन की स्थिति उत्तराखण्ड की तुलना में काफी बेहतर है। अतः यदि राज्य को पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को तीव्र करना है तो पर्यटन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नितान्त आवश्यक होगा।

सारणी 13.2 उत्तराखण्ड पर्यटक सुविधाओं की स्थिति

विकसित पर्यटक स्थल	3217
पर्यटक विश्राम गृह	175
रैन बसेरा	32
पर्यटक विश्राम गृह में शैचाएं	6142
रैन बसेरा में शैचाएं	1560
होटल तथा पेइंग गेस्ट हाउस	4436

स्रोत:- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

उत्तराखण्ड में रिंगाल, बाँस, भगेल, भाँग, ताँबे तथा काष्ठ से बने हस्त शिल्प उत्पाद एवं सीमावर्ती जिलों में ऊन से बने उत्पाद जिनमें कालीन, पश्मीना, कम्बल आदि अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। साथ ही राज्य के स्थानीय जड़ी बूटी तथा फल-फूलों से तैयार परम्परागत खाद्य एवं पेय पदार्थ बोरॉस आदि काफी लोकप्रिय हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कला कौशल से तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु एवं उन्हे पर्यटन से जोड़ने के लिये महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर शिल्प ग्राम, पर्यटक हॉट विकसित किये जा रहे हैं तथा देहरादून में शहरी हॉण्ट को विकसित किया जा रहा है। राज्य में तथा राज्य के बाहर जैसा दिल्ली, सूरजकुंड(हरियाणा),पंजाब आदि स्थलों पर उत्तराखण्ड महोत्सव के माध्यम यहां के उत्पादों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है, तथा उत्कृष्ट उत्पादों की छवि हेतु "हिमाद्री" ब्रांड को स्थापित किया जा रहा है।

6.5 पर्यटन उद्योग के विकास हेतु प्रयास

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को विदोहित करने हेतु ठोस बुनियादी ढाँचें तथा सुविधाओं जैसे सड़क, रेल एवं वायु परिवहन तथा उत्तम विश्राम ग्रहों, संचार सुविधाओं आदि के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। सरकार पर्यटन नीति के अनुरूप प्रदेश के पर्यटन विकास में विभिन्न विषयों के लिए ख्यति प्राप्त विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में उत्तरांचल अवस्थापना विकास कम्पनी(U-DEC)देहरादूनएवं उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास कम्पनी (UIDC) के माध्यम से उत्तराखण्ड में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु पूँजी निवेशको को आमंत्रित किया जा रहा है।जिसके लियें सरकारी प्रयास के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की

आवश्यकता है। प्रदेश में पर्यटन के सुनियोजित एवं समेकित विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार करवाया गया जो निम्नवत है—

- चारधाम मास्टर प्लान
- पिथौरागढ़—मुन्स्यारी पर्यटन सर्किट का मास्टर प्लान
- दयारा बुग्याल का मास्टर प्लान
- टिहरी डैम के आस पास पर्यटन विकास हेतु मास्टर प्लान
- पौड़ी—खिर्सू—लैन्सडाउन पर्यटन सर्किट का मास्टर प्लान
- फूलों की घाटी एवं हेमकुण्ड साहिब की पर्यटन सर्किट का मास्टर प्लान

उसके अतिरिक्त विभिन्न वर्षों में इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गये हैं —

➤ स्थानीय जनता को पर्यटन की गतिविधियों जोड़ने एवं पर्यटकों के लिये गुणवत्तापरक सुविधाओं के विस्तार हेतु “वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना” 01 जून 2002 को आरम्भ की गयी है। इसके तहत पर्यटन से जुड़ी योजनाओं जैसे होटल, रेस्तरां, टेन्टनुमा आवास, वाहन तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु उद्यमियों को रु 10 लाख तक का ऋण पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा। जिसमें स्वीकृत धनराशि पर 20 प्रतिशत राजकीय सहायता भी प्रदान की जायेगी। विभिन्न वर्षों में योजना से सहायता प्राप्त उद्यमियों का विवरण तालिका 13.4 में दिया गया है।

तालिका 13.4 योजना में सहायता उद्यमियों की संख्या

वर्ष	उद्यमियों की संख्या
आरम्भ से वर्ष 2010 तक	2771
2012-13	342
2013-14	286
2014-15	228
2015-16	280

स्रोत:— उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

- राज्य में पर्यटन के विकास हेतु तथा पर्यटन उद्योग के नियमन के लिये पर्यटन विकास बोर्ड का गठन अधिनियम के तहत किया गया है।
- बेहतर सम्पर्क स्थापित करने हेतु गौचर(चमोली), चिन्याली सौड़(उत्तरकाशी), नैनी सैनी(पिथौरागढ़) में हवाई पट्टियों को क्रियाशील कर विस्तारित किया गया है। पंतनगर तथा जौलीग्रांट(देहरादून) हवाई अड्डों से उड़ानों को नियमित करने के साथ-साथ सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
- वर्ष 2012-13 में नई टिहरी में राजीव गाँधी साहसिक खेल अकादमी का शिलान्यास किया गया।
- वर्ष 2012-13 में औली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- मई 2013 में ऋषिकेश में आफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- मई 2014 में ऋषिकेश एवं हरिद्वार में अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया।

- वर्ष 2014 एवं 2016 में ऋषिकेश में गंगा कयांकिंग उत्सव का आयोजन किया गया।
- विभिन्न पर्यटन स्थलों में अवस्थापना की सुविधाओं की सुविधाओं के लिये 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अगले पाँच सालों में रु 100 करोड़ प्राप्त होगा तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से पर्यटन योजनाओं तथा सुविधाओं के विस्तार हेतु रु 350 करोड़ की सहायता पर सैद्धान्तिक सहमति दी है।
- चार धाम विकास के लिये चार धाम विकास परिषद का गठन किया गया है।
- केदारनाथ तथा यमुनोत्री के पैदल मार्ग का सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण तथा पूर्णगिरी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री एवं मसूरी में रज्जू मार्गों का निर्माण किया जा रहा है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पर्यटन महायोजना पर आधारित रु 2000 करोड़ के पूँजी निवेश के माध्यम से पर्यटन योजनाओं की एक-एक श्रंखला तैयार की गयी है।
- पर्यटकों को उच्चस्तर की मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 50 पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।
- बृहद पर्यटन हबों की स्थापना जिसके अन्तर्गत रामनगर के निकट 802 एकड़ भूमि पर लगभग रु 500 करोड़ की कार्बेटइन्ट्री नामक ईको सिटी, मसूरी में ईको पार्क रिजॉर्ट टिहरी में पर्यटन झील स्थापना एवं नौकायन की सुविधा, दयारा बुग्याल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्की रिजॉर्ट विकसित किया गया।
- कुभ की तर्ज पर आगामी “नंदा देवी राजजात” का आयोजन किया गया।
- भारत सरकार की सहायता से विभिन्न पर्यटन परिपथों का विस्तार किया जायेगा जिससे हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनी की रेती-स्वर्गाश्रम में मेगा पर्यटन सर्किट सहित देहरादून-हरिद्वार पर्यटन सर्किट, गोविन्द घाट-धांधरिया-फूलों की घाटी-हेमकुण्ड सहित निर्मल गंगोत्री पर्यटन सर्किट पुरोला-नैटवाड़, खिर्सू-लैन्सडाउन-पौड़ी तथा कुमाऊ में भिकिया सेण-नीलेश्वरमंदिर, चौखुटिया-द्वारहाट, कौसानी-बागेश्वर, मुक्तेश्वर-भीमताल-सातताल-नैवकुचिय ताल-हल्द्वानी, पिथोरागढ़-मुनस्यारी पर्यटन सर्किट तथा औली ईको टूरिज्म के केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है।
- तीर्थाटन, साहासिक पर्यटन, कला तथा संस्कृतिक पर्यटन तथा ईको पर्यटन पर विशेष समितियाँ गठित की गयी हैं।
- हैली सर्विसेज द्वारा देहरादून से हिमालय दर्शन एवं हल्द्वानी से झील दर्शन हेलीकाप्टर द्वारा कराया जा रहा है।
- नंदादेवी बायोस्फियर को इको टूरिज्म के तहत लाया गया।
- उत्तराखण्ड को पर्यटन के मानचित्र पर लाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिसके लिये प्रजार स्मारिका, इंटरनेट, बेवसाइट, सीडी रोम, प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया जा रहा है साथ ही विभिन्न स्थानों जैसे दिल्ली, चेन्नई, सूरजकुंड में उत्तराखण्ड के महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है।
- देहरादून तथा अल्मोडा में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है।

6.6 पर्यटन नीति

उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुये राज्य गठन के समय ही अंतरिम सरकार ने पर्यटन को सुनियोजित रूप से विकसित करने हेतु 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखण्ड पर्यटन

नीति की घोषणा किया। राज्य की पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व के मानचित्र में उत्तराखण्ड को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है।

- उत्तराखण्ड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना।
- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं और सम्भावनाओं को सामने लाना।
- पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अनुरूप बनाने के लिये ईको टूरिज्म को बढ़ावा देना।
- पर्यटकों के लिए उनकी अभिरुचि तथा आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाओं के विस्तार हेतु निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता में लगातार वृद्धि करना।
- प्रदेश के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक प्रचार प्रसार करने के लिए सूचना तथा तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग को लगातार बढ़ावा देना।
- पर्यटन के विकास में तीव्रता लाने हेतु पूंजी निवेश में वृद्धि हेतु लगातार प्रयास करना।
- मनोरंजन पर्यटन के साथ-साथ संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना।
- पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन नीति की कार्य योजनाओं के सुदृढीकरण के लिये पर्यटन विकास परिषद् गठन किया गया है।
- पर्यटन के विकास हेतु गढ़वाल तथा कुमाऊ मंडल विकास निगमों में परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य योजना का निर्माण करना।
- पर्यटकों की सुविधा हेतु सड़क परिवहन के साथ-साथ रेल तथा वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- पर्यटन के क्षेत्रों में स्वरोजगार के उद्देश्य से “उत्तराखण्ड पर्यटन विकास योजनाओं” को क्रियान्वित करने में तेजी लाना।
- तीर्थ यात्रियों को पर्यटकों के रूप में आकर्षित करने के लिये प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना तथा तीर्थटन एवं पर्यटन का समेकित विकास करना, तनाव से मुक्ति के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्राकृतिक स्थलों को विश्रामात्मक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना।

6.7 पर्यटन उद्योग की समस्यायें

यद्यपि उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग में व्यापार क्षमतायें है परन्तु अभी भी यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर पा रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी भारत पर्यटन में उत्तराखण्ड की भागीदारी बहुत कम है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में उत्तराखण्ड की हिस्सेदारी अति अल्प मात्रा है। पर्यटन से होने वाली आय में इस राज्य घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी अति अल्प है। इतनी कम भागीदारी व हिस्सेदारी के अनेक कारण हैं जो चुनौती के रूप में पर्यटन क्षेत्र के विकास में बाधा पहुंचाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है। इस दिशा में निम्न समस्यायें एवं चुनौतियां सामने आ रही है।

1. निम्न स्तर की सड़क सेवा ना केवल पर्यटकों के लिए समस्या उत्पन्न करती है बल्कि प्रदेश की छवि को भी प्रभावित करते हैं। सड़क मार्ग अन्य सेवा अन्य सेवाओं से जैसे वायु सेवा व रेल सेवा की तुलना में ज्यादा विस्तृत भूमिका निभाते हैं। उच्च स्तर की बसें, पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं से लैस बसें, उच्च दर्जे के सड़क मार्गों का निर्माण, महिलाओं के बसों में विशेष सुविधाएं, महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षित बसें व टैक्सी आदि ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2. पर्यटन हेतु गुणवत्तापरक बुनियादी सुविधाओं का अपेक्षित स्तर का ना होना तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र एवं प्रत्येक पर्यटक तक ना हो पाना सबसे प्रमुख समस्या है।
3. पर्यटन के नये-नये क्षेत्रों को विकसित करना एवं नये क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आकर्षक एवं पेशेवर रणनीति का विकसित न कर पाना।
4. एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या पर्यटकों की सुरक्षा की है। आए दिन महिला सैलानियों के साथ बढ़ते यौन हिंसा के मामले पर्यटन क्षेत्रों के लिए एक गंभीर समस्या है। साथ ही यह समस्या प्रदेश की प्रसिद्ध छवि को भी खराब करता है। इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है कि सेना व पुलिस का एक विशेष दल बनाया जाए, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही एक हैल्पलाइन जो सरलता व सुगमता के साथ पर्यटकों मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहें।
5. आज के आधुनिक उत्तराखण्ड में आज भी ऐसे प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी है जो उत्तराखण्ड की परंपरा, खान-पान, संस्कृति, नृत्य, शिल्प, पाक कला आदि संबंधित ज्ञान व प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जबकि आज के समय की मांग है कि ऐसे युवक युवतियां तैयार की जाएं जो उत्तराखण्ड की परंपरा व संस्कृति से ओतप्रोत हों, और देशी व विदेशों से आने वाले पर्यटकों को संपूर्ण उत्तराखण्ड के बारे में बता सकें। इसके अतिरिक्त माउंटैनियरिंग, रटिंग, ट्रेकिंग, कुकिंग ;उत्तराखण्ड परंपरागत भोजन,वॉटर स्पोर्ट आदि संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जाने चाहिए। ये कोर्स एक सप्ताह से लेकर साल भर के भी हो सकते हैं। इस प्रकार के कोर्स ना केवल उत्तराखण्ड शिल्प, पाक कला, संस्कृति, नृत्य आदि को बनाए रखने में मदद करेंगे बल्कि कई सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे व साथ ही आर्थिक रूप से पर्यटन मंत्रालय को मदद करेंगे। जैसे मनाली में माउंटैनियरिंग इंस्टीट्यूट माउंटैनियरिंग, रटिंग, ट्रेकिंग से संबंधित बेसिक व एडवांस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।
6. निजी क्षेत्र एवं स्थानीय जनता की भागीदारी का कुछ ही वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति तक ही सीमित रहना एक गंभीर समस्या बन जा रही है।
7. सैलानियों के सम्मुख एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या यह भी आती है कि उनके पास ठहरने के लिए सुरक्षित व किफायती स्थानों के चयन कोलेकर अधिक विकल्प नहींहोते पर्यटन क्षेत्रों को प्रभावित करने में यह समस्या भी प्रमुख भूमिका निभाती है। इस समस्या के निदान के लिए यह आवश्यक है कि सरकार पर्यटन क्षेत्रों के विकास का प्रमुखता दे ऐसे सुरक्षित होटलों, रैस्तारों, क्लब हाउस आदि के निर्माण में पर्यटन मंत्रालय की बढ चढकर आर्थिक मदद उत्तराखंड को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रचारित प्रसारित करने के लिये राज्य की छवि बेहतर पर्यटन सेवा प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिये परन्तु अभी भी राज्य की छवि पर्यटन के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है।
8. राज्य का पर्यावरण अत्यधिक नाजुक तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। पर्यटन के साथ साथ भीड़ भाड़ बढ़ने से राज्य में प्रदूषण एवं पर्यटक स्थलों के आसपास व्यापक गंदगी। पर्यटन क्षेत्र के विकास में यह समस्या ऐसी है जिसका निवारण किसी नीति का निर्माण कर देने या व्यापक स्तर पर आर्थिक मदद कर देने से नहीं हो सकता। यह समस्याऐसी है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को साफ-सफाई के प्रति जागरूक होना होगा।

पर्यटन को उत्तराखण्ड के विकास की बढी ताकत बनाने के लिए आवश्यक है कि पर्यटन विकास में सहयोग देने वाले सगंठन जैसे पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पर्यटन तथा यात्राप्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय हाटेल प्रबंधन तथा खान-पान टेक्नोलॉजी परिषद्, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, स्कीइंग तथापर्वतारोहण संस्थान और राष्ट्रीय जल-क्रीड़ा संस्थान आदि का सयुक्त सहयोग हो इन प्रयासों

केअतिरिक्त पर्यटन विश्व विद्यालय खाले जाने की सभावना कोशक्ति प्रदान की जानी चाहिए। परतुं यहा इन समस्त सभावनाओं व प्रयासों दौरान यह ध्यान रखा जाना आवश्यक हैकि पर्यटन विकास पर्यावरण के प्रति संवेदशील होना चाहिए। पर्यावरण व पर्यटन के मध्य जिस प्रकार का द्वंद है उसे भी समझा जाना आवश्यक है व पर्यटन विकास संबंधी प्रत्येक निर्णय व प्रयास द्वारा इको पर्यटन को प्राप्त किए जाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। इन प्रयासों के द्वारा ही पर्यावरण के प्रति संवेदशील, रोजगार व आर्थिक विकास करने वाले तथा संस्कृति व परंपरा को उत्कृष्ट करते हुए उत्तराखण्ड के पर्यटन क्षेत्रों को विश्व का सबसे पसदीदा पर्यटन क्षेत्र बनाया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न 1

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. धार्मिक पर्यटन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
.....
.....
.....
2. पर्यावरण एवं वन्य जीवन आधारित पर्यटन का उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में योगदान को स्पष्ट कीजिए।
.....
.....
.....
3. साहसिक पर्यटन का स्पष्ट कीजिए।
.....
.....
.....
4. वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजनाके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
.....
.....
.....
5. उत्तराखण्ड की पर्यटन नीति को स्पष्ट कीजिए।
.....
.....
.....

संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न

1. स्थानीय जनता के पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने के लिये कौन सी योजना चलाई जा रही है।
2. राज्य में ईको पार्क कहां स्थापित किया गया है।
3. राज्य में गंगा की सफाई के लिये कौन सा अभियान चलाया जा रहा है।

4. राज्य के किस शहर को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
5. शहरों को स्वच्छ पर्यावरण रखने के लिये कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है।
6. राज्य में कितने प्रतिशत भू-भाग पर वन है।
7. उत्तराखंड भूकंप के कौन से जोन में आता है।
8. घराट को कौन से उद्योग का दर्जा दिया गया है।
9. राज्य में चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया।
10. पोषणीय विकास की अवधारणा को किसने दिया।
11. तदर्थ कैम्पा योजना किस क्षेत्र के संरक्षण के लिये है।
12. राज्य का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क कौन सा है?

6.8 पर्यटन उद्योग तथा पर्यावरण

उत्तराखंड का पर्यावरण अत्यधिक समृद्ध परन्तु संवेदनशील है। अतः विकास की प्रक्रिया में राज्य में पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन का लगातार विकास हुआ है और आधुनिक युग में मानव कार्यकलापों में पर्यटन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उद्योग बहुत तीव्रता से विकसित हो रहा है और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पर्यटन में इतनी शक्ति है कि यह उत्तराखण्ड के भविष्य को परिवर्तित कर सकता है। आधुनिक पर्यटन काफी हद तक पर्यावरण आधारित है। हम कह सकते हैं कि पर्यटन में दो अन्योन्य क्रियाशील घटक सम्मिलित हैं—पर्यटक और पर्यावरण। पर्यटन एक ऐसा शब्द है जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर लोकजन यात्रा और देश-विदेश के विभिन्न भागों के भ्रमण से जुड़े सभी प्रक्रमों एवं संबंधों को निरूपित करता है। पर्यटन का उद्देश्य कितना भी सौम्य क्यों न हो फिर भी स्थानीय पर्यावरण पर उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर्यटक यदि कहीं भी जाकर भू-दृश्यों एवं वन्यजीवों का अवलोकन कर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो सामान्यतः वहां जाकर रुकते भी हैं। पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, परिवहन सुगमता एवं संपूर्ण आपूर्ति से संबंधित अवसंरचना की उचित व्यवस्था आवश्यक है। पर्यटकों के व्यवहार सहित ये सभी प्रक्रियाएं पर्यावरण पर किसी-न-किसी प्रकार का दबाव डालती हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि इस दबाव के स्तर को न्यूनतम रखा जा सके ताकि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में स्थाई परिवर्तन न होने पाए। अतः यह आवश्यक है कि हम पर्यटन एवं पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रियाओं को ठीक से समझें और उसके अनुसार अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन करें। राज्य में विकास के साथ साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिये सरकार के साथ साथ आम जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तभी विकास टिकाऊ एवं दीर्घकालिक होता है।

पर्यटन के उत्तरदायी होने के लिए, पर्यटन के परिमाण एवं पर्यटन गतिविधियों तथा उपभोग में लाए जा रहे और विकसित किए जा रहे संसाधनों की संवेदनशीलता और वहन क्षमता के बीच संतुलन अवश्य स्थापित होना चाहिए। इसमें भौतिक एवं जैविक पर्यावरण दोनों के संसाधन सम्मिलित होते हैं। इस विषय में वहन क्षमता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है। संसाधनों पर हानिरहित प्रभाव, पर्यटक संतुष्टि को कम किए बिना या उस क्षेत्र के समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पर प्रतिवृफल प्रभाव डाले बिना किसी स्थान का अधिकतम उपयोग में लाया जाना उस स्थान की वहन क्षमता कहलाती है। उत्तरदायी पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जो यात्राके अनुभवों की रक्षा करने के अतिरिक्त लोगों के मध्य आपसी समझ को भी बढ़ाता है, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक ह्रास और इनसे भी अधिक स्थानीय जनसंख्या केशोषण और मानवीय मूल्यों के ह्रास को रोकता है। इसे हम वैकल्पिक पर्यटन भी कहते हैं। वैकल्पिक या उत्तरदायी पर्यटन के द्वारा पर्यटन से पैदा हुई समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। पर्यटन विकसित करते समय पर्यावरण की उत्कर्षता बनाए रखना न केवल वांछनीय है

अपितु पर्यटक का संतोष कायम रखने के लिए भी आवश्यक है। यदि पर्यटन उत्पाद के स्तर में गिरावट आती है तो वह अन्ततोगत्वा पर्यटन अर्थव्यवस्था में ही गिरावट लाएगा। पर्यावरणीय पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन प्रकृति पर आधारित पर्यटन है जो प्रकृति से सीधे लिए जा सकने वाले आनंद अर्थात् प्रकृति के अवलोकन से मिलने वाले आनंद से संबंधित है। इसके पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के लिए स्थान विशेष की उपयुक्तता आवश्यक है। साथ ही इसे प्राकृतिक पर्यावरण में स्थाई ह्रास का साधन नहीं बनना चाहिए।

उत्तराखण्ड का प्राकृतिक पर्यावरण एवं जलवायु पर्यटकों हमेशा आकर्षित करता है। सरकार ने भी ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रयास किये हैं। पर्यटन की परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। रामनगर में ईको सिटी एवं मसूरी में सर जार्ज एवरेस्ट ईको पार्क बनाया गया है साथ ही साथ सरकार द्वारा प्रदेश के नगरों को सुन्दर, स्वच्छ तथा हरा-भरा बनाने हेतु हर्बल वाटिकाओं, हर्बल पार्कों को विभिन्न नगरों में स्थापित करने की योजना है। देहरादून को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड का पर्यावरण समृद्ध परन्तु संवेदनशील है अतः अत्याधिक पर्यटकों की आवाजाही से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कूड़े-कचरे एवं अपशिष्टों की समस्याएँ गहराती हैं। अतः सरकार द्वारा चारों धामों समेत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल आदि में सुव्यवस्थित कूड़ा निस्तारण विधि अपनायी गयी है। नैनीताल समेत प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों, सरोवरों की साफ सफाई का प्रावधान किया गया है तथा पवित्र पावन गंगा समेत उसकी सहायक नदियों की सफाई तथा स्वच्छता हेतु "स्पर्श गंगा" एवं "नमांति गंगे" अभियान आरम्भ किया गया है।

पर्यटक तथा पर्यावरण में बड़ा ही नाजुक अन्तरसम्बन्ध है। अतः पर्यटन के विकास में उत्तराखण्ड के समृद्ध किन्तु संवेदनशील पर्यावरण का ध्यान रखकर ही इस दिशा में विकास नीति बनाने की आवश्यकता है। संतुलित पारिस्थितिकीय पर्यटन के प्रयास इसके लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें शामिल हैं—

- पर्यावरणीय समेकन का अनुरक्षण स्थानीय समुदाय को शामिल करना ताकि क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास हो सके।
- ईको पर्यटन के लिए संसाधनों का उपयोग और स्थानीय निवासियों की आजीविका के मध्य संभावित संघर्ष की पहचान करना एवं ऐसे संघर्षों को न्यून करना।
- पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास के प्रकार एवं पैमाने पर्यावरण तथा स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक-सामाजिक विशेषताओं के अनुरूप करना।

इसका नियोजन समग्र क्षेत्र विकास नीति के रूप में करना पारिस्थितिकी पर्यटन से लाभ आर्थिक लाभ: उफरपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी पर्यटन से सीधा आर्थिक लाभ हो सकता है, जिसका उपयोग जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया जा सकता है। प्रत्यक्ष लाभ में सरकार को विदेशी मुद्रा की आमदनी तो होती ही है साथ ही अप्रत्यक्ष लाभ में विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों के द्वारा भी आमदनी होती है। अर्थात् ईको पर्यटन न केवल पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण में योगदान देता है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सीधा योगदान देता है। बेहतर पर्यावरण प्रबंधन एवं योजना: इसके द्वारा समय से प्रबंधन योजना बनाकर भविष्य में आने वाली समस्याओं को रोका जा सकता है जैसे हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा गिर वन के पास ताज होटल को बंद करने का आदेश जारी किया गया। अगर पहले से ईको पर्यटन को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई होती तो यह समस्या नहीं आती। पर्यावरणीय चेतना का विकास: ईको पर्यटन के द्वारा लोगों में पर्यावरणीय चेतना का विकास किया जा सकता है क्योंकि इसके द्वारा जन एवं पर्यावरण को पास लाने का प्रयास हो सकता है, जिससे लोगों में पर्यावरण से होने वाले लाभों

की जानकारी होगी और वे ज्यादा बेहतर ढंग से संरक्षण कार्यों में सहयोग कर पाएंगे। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण अपने आकर्षण के कारण प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण महत्वपूर्ण होगा ताकि इससे इनके अमूल्य होने की वास्तविकता सामने आएगी और संरक्षण के प्रयास ज्यादा तेज होंगे। साथ ही इसमें जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

6.9 पर्यावरण एवं विकास में अन्तर सम्बन्ध

पर्यावरण 'परि' तथा 'आवरण' दो शब्दों से मिल कर बना है, जिसका सीधा अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। पर्यावरण के विभिन्न घटक जल, वनस्पतियाँ, मृदा, वायु आदि आपस में परस्पर अन्तर्क्रियायें करके जटिल एवं नाजुक तंत्र का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के घटकों की यही परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया पर्यावरण में एक समायोजन क्षमता प्रदान करते हुये पर्यावरण को संतुलित बनाये रखती हैं, यदि किसी कारणवश पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है तो पर्यावरण की यही अन्तः समायोजन क्षमता पर्यावरण को पुनः संतुलन में ला देती है परन्तु आधुनिक समय में जनसंख्या विस्फोट, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, नगरीकरण, अत्याधिक उपभोक्तावाद, लाभ की लालसा आदि के चलते मानव ने पर्यावरण में इस कदर हस्तक्षेप किया है कि पर्यावरण की समायोजन क्षमता निरन्तर क्षीण होती जा रही है तथा पर्यावरण संकट का गंभीर खतरा पूरे विश्व के सामने गहराने लगा है। पर्यावरण तथा विकास पर बने "विश्व आयोग" की "ऑवर कॉमन पयूचर" रिपोर्ट 1987 के अनुसार "आधुनिक प्रगति ने पर्यावरण को भी उत्पाद बना दिया है" एवं "पर्यावरण अवनयन समस्त विश्व के अस्तित्व हेतु सबसे बड़ा संकट है।"

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के विकास में औद्योगिक क्षेत्र के उम्दा प्रदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सहित समूचा विनिर्माण क्षेत्र, वस्त्रोद्योग, औषधि और प्राथमिक रसायन क्षेत्रों की प्रभावशाली प्रगति की वृद्धि दर में उल्लेखनीय भूमिका रही है। त्वरित आर्थिक विकास ने देश की उपभोग शैली को भी प्रभावित किया है। इस परिवर्तन का देश के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। उच्च विकासदर के लिए इन पर बेतहाशा जोर बढ़ा है। अतःएव, उत्तराखण्ड के स्थायी विकास के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या घनत्व, संवेदनशील पारिस्थितिकी की चरम जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता है। इस प्रकार आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को सभी देशों में संपोषणीयता के लिहाज से परिभाषित किया जाना चाहिए। मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का संतोष विकास का प्रमुख उद्देश्य है। उत्तराखण्ड के अधिकतर लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रहीं और प्राथमिक आवश्यकताओं के आगे वे यदि बेहतर जीवन की अपेक्षा करते हैं तो उनका ऐसा सोचना उचित है। एक ऐसा संसार जिसमें निर्धनता और असमानता व्याप्त हो, वह पर्यावरणीय और अन्य संकटों के प्रति सदैव संवेदनशील बना रहेगा। संपोषणीय विकास की दरकार है कि सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और सभी की बेहतर जीवन की तमन्ना को पूरा करने का अवसर मिल सके। जहाँ तक उत्तराखण्ड राज्य के पर्यावरण का प्रश्न है, राज्य पूर्णतया हिमालय के पर्वतों, घाटियों तथा तराई क्षेत्र में अवस्थित है, सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र एवं विशेषतौर पर उत्तराखण्ड राज्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यन्त समृद्ध एवं विविधता पूर्ण है। जहाँ स्थित हिमालय पर्वत न सिर्फ भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है अपितु यहाँ के हिमनदों द्वारा जो सदानीरा सरितायें निकलकर प्रवाहित होती है वह सम्पूर्ण उत्तर भारतीय मैदानों का निर्माण एवं पोषण करती है लेकिन उत्तराखण्ड का यह समृद्ध पर्यावरण बड़ा ही नाजुक तथा संवेदशील है तथा राज्य पूरी तरह से भूकम्प के अत्याधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। समय-समय पर उत्तराखण्ड में बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन तथा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदायें आती रही है जिसके कारण उत्तराखण्ड में हमेशा से ही जनसमुदाय न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबन्धन में सक्रिय रहा है अपितु यहाँ कई जन आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए मशहूर हुये है। सत्तर के दशक में गौरा

देवी, चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वनों के बचाव तथा अनियंत्रित कटाई के विरुद्ध जो “चिपको” आंदोलन हुआ वह शीघ्र ही पूरे विश्व में मशहूर हो गया, बड़ी बाँध परियोजना जैसे टिहरी बाँध परियोजना, खान तथा खनन के विरुद्ध भी सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में जनव्यापी आंदोलन हुये हैं, वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु कल्याण सिंह रावत द्वारा “मैती” आन्दोलन चलाया गया जोकि अब एक संस्कार का रूप ले चुका है। इसके अतिरिक्त रक्षासूत्र आन्दोलन तथा वृद्ध मानव वीरेन्द्र सकलानी द्वारा चलाये गये वृक्षा रोपण के आन्दोलन राज्य में बेहद लोकप्रिय हुये हैं।

पर्यावरण का संरक्षण आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। आज इस बात की पहले से कहीं अधिक जरूरत है कि विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि मनुष्य को सुख-सुविधा के साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे। राष्ट्रीय योजनाएं बनाते समय पर्यावरणीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाए। हमें प्रदेश के आर्थिक विकास के प्रयत्नों के साथ-साथ जीवन को धारण करने वाली प्रणालियों और स्रोतों जैसे- मृदा, जल और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक सुधारों के बाद उद्योगों में रोजगार का सृजन तेज हुआ एवं लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ किया। इसवेफ परिणामस्वरूप धीरे-धीरे उपभोक्तावाद में वृद्धि होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निर्माण, उद्योग, परिवहन एवं अन्य उपभोगों के लिए किया जाने लगा और शहरों में बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। शहरीकरण सामाजिक विकास एवं आर्थिक परिवर्तन का एक स्वाभाविक प्रतिफल है। इससे व्यक्ति एवं स्थान दोनों प्रभावित होते हैं। तीव्र गति से बढ़ते औद्योगीकरण तथा मानवीय क्रिया-कलापों द्वारा संपूर्ण उत्तराखण्ड में पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति भयावह होती जा रही है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों यथा- जल, वायु, मृदा प्रदूषण इत्यादि की समस्या के अतिरिक्त आज वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्तराखण्डके साथ संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। अक्सर यह देखा गया है कि प्रदूषण के प्रभावों की शुरुआत तो पर्यावरण के किसी एक घटक विशेष से होती है, परंतु अंततोगत्वा उनका प्रभाव अन्य दूसरे घटकों पर भी पड़ता है।

पर्यावरण प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण में विद्यमान सभी घटकों के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त की जाए। पर्यावरण से जुड़े सभी विषयों जैसे भूमि निर्माण, जलवायु विज्ञान, भूमिगत जल, मृदा अपरदन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी वानिकी इत्यादि से संबंधित समुचित आंकड़े एकत्रित किए जाएं। इस तरह के आंकड़ों के बिना पर्यावरण का सफल संरक्षण एवं प्रबंधन संभव नहीं हो पाता। पर्यावरण के सभी घटक परस्पर एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं और एक-दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन की योजनाओं में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जनसाधारण को जागरूक बनाकर ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल की जा सकती है। पर्यावरण का प्रबंधन संगठित प्रयासों से ही संभव है। इसके लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन, उद्योगपतियों, कृषकों तथा आम जनता सभी की सहभागिता जरूरी है।

6.10 पर्यावरण समस्याएँ

उत्तराखंड में पर्यावरण के सामने मुख्य समस्याएँ निम्नवत हैं:-

- तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण राज्य के पर्यावरण पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है।
- औद्योगीकरण तथा शहरीकरण से राज्य में पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि को बढ़ा दिया है।

- ऊर्जा परियोजना , सड़क निर्माण, औद्योगिक निर्माण, खान-खनन आदि के कारण राज्य के पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय जनता का भी पलायन हो रहा है।
- पर्यटन में वृद्धि के कारण से भारी पैमाने पर गतिशील जनसंख्या राज्य में आवाजाही करती रहती है। जिसके कारण से राज्य के पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
- राज्य में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, दावानल आदि के घटित होने से राज्य में जान माल की क्षति के साथ साथ पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- आर्थिक विकास की तीव्रता हेतु प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन एवं समुचित प्रबन्धन ना होने से राज्य के पर्यावरण पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथाराज्य सरकार एवं स्थानीय जनता के मध्य सामंजस्य ना होने से पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रबन्धन समुचित नहीं हो पा रहा है।

अभ्यास प्रश्न 2

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. पर्यटन और पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

2. पर्यावरण एवं विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं विवेचन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. उत्तराखंड में पर्यावरण समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

6.11 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिये व्यापक पैमाने पर पर्यटन उद्योग को गतिशील करना होगा साथ ही राज्य में विकास के अनुकूल दशाओं का निर्माण एवं संवर्धन करना होगा। इसके लिये पर्यटन उद्योग के विभिन्न प्रकारों की विकास की आवश्यकता है। चूँकि उत्तराखंड एक नवोदित एवं आर्थिक तौर पर उपेक्षित राज्य रहा है एवं राज्य की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियाँ ऐसी रही है कि यहां पर व्यापक औद्योगिक एवं विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को संवेग देना अल्प काल में उचित नहीं है। इसलिये यहां पर पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास में ना सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन कर सकता है बल्कि स्थानीय स्तर पर ही आय के अवसरों को पैदा कर राज्य की प्रमुख समस्याएँ जैसे – बेरोजगारी एवं पलायन को भी नियंत्रित कर सकता है साथ ही साथ पर्यटन उद्योग

उत्तराखण्ड राज्य की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर सकता है। इस दिशा में सरकार एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ साथ विवेकपूर्ण नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है तभी यह उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार राज्य के विकास में योगदान कर पायेगा।

राज्य में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिये इस प्रकार से रणनीति बनानी होगी कि राज्य का पर्यावरण न सिर्फ संरक्षित रह सके बल्कि उसका संवर्धन भी निरंतर होता रहे। पर्यावरण का संरक्षण आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। आज इस बात की पहले से कहीं अधिक शरूत है कि विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि मनुष्य को सुख-सुविधा के साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे। उत्तराखण्ड में पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति भयावह होती जा रही है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों यथा- जल, वायु, मृदा प्रदूषण इत्यादि की समस्या के अतिरिक्त आज वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्तराखण्डके साथ संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। अक्सर यह देखा गया है कि प्रदूषण के प्रभावों की शुरुआत तो पर्यावरण के किसी एक घटक विशेष से होती है, परंतु अंततोगत्वा उनका प्रभाव अन्य दूसरे घटकों पर भी पड़ता है।

पर्यावरण प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण में विद्यमान सभी घटकों के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त की जाए। पर्यावरण से जुड़े सभी विषयों जैसे भूमि निर्माण, जलवायु विज्ञान, भूमिगत जल, मृदा अपरदन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी वानिकी इत्यादि से संबंधित समुचित आंकड़े एकत्रित किए जाएं। इस तरह के आंकड़ों के बिना पर्यावरण का सफल संरक्षण एवं प्रबंधन संभव नहीं हो पाता। पर्यावरण के सभी घटक परस्पर एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं और एक-दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन की योजनाओं में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जनसाधारण को जागरूक बनाकर ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल की जा सकती है। पर्यावरण का प्रबंधन संगठित प्रयासों से ही संभव है। इसके लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन, उद्योगपतियों, कृषकों तथा आम जनता सभी की सहभागिता जरूरी है। वर्तमान समय में स्थानीय जनता की संवेदनशीलता के साथ साथ उनके आर्थिक सरोकारों को भी पर्यावरण एवं पर्यटन उद्योग से जोड़कर देखने की आवश्यकता है तभी टिकाऊ एवं दीर्घकालिक सतत् विकास की संकल्पना साकार किया जा सकेगा।

6.12 शब्दावली

अधो संरचना—यह आधार संरचना का समानार्थी है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति अधो-संरचनात्मक ढांचे की प्रगति पर ही निर्भर करती है।

प्राकृतिक संसाधन—प्रकृति द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं (जिनके लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है) को प्राकृतिक संसाधन की संज्ञा दी जाती है। इस श्रेणी में भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ जैसे- पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, हीरा, चांदी आदि सम्मिलित हैं।

खनिज—खनन से खनिज शब्द बना है। खनन का अर्थ है- खोदना। अतः जमीन की खुदाई करके प्राप्त किये जाने वाले पदार्थों को खनिज पदार्थ या खनिज तत्व कहा जाता है। पेट्रोलियम, धातुएं आदि को मूल रूप से जमीन को खोदकर ही निकाला जाता है।

सामाजिक वानिकी—समाज की भागीदारी के माध्यम से वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयास को सामाजिक वानिकी कहते हैं।

आर्थिक संवृद्धि—प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को संवृद्धि कहते हैं।

आर्थिक विकास—सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं।

6.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

लघु उत्तरीय प्रश्न 1. देखिए – 6.3.1.2. देखिए – 6.3.3, 3. देखिए – 6.3.4.4. देखिए – 6.5, 4. देखिए – 6.6।

संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न

1. वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना
2. मसूरी
3. स्पर्श गंगा
4. देहरादून
5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल पुरस्कार
6. 63.5 प्रतिशत
7. भूकंप के चौथे और पांचवे जोन में
8. कॉटेज उद्योग
9. श्रीमती गौरा देवी
10. वर्टलैण्ड
11. 9 सितम्बर

13.जिम कार्बेट नेशनल पार्क

अभ्यास प्रश्न 2

लघु उत्तरीय प्रश्न 1. देखिए – 6.8, 2. देखिए – 6.9, 3. देखिए – 6.10।

6.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- बिष्ट डॉ० नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली.
- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.
- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.

6.15 सहायक उपयोगी सामग्री

- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2016), सांख्यिकीय डायरी 20015–16, उत्तराखण्ड सरकार
- आर्थिक सर्वेक्षण(विभिन्न अंक),वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कुरूक्षेत्र (विभिन्न अंक), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- योजना (विभिन्न अंक) योजना आयोग, नई दिल्ली।
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2016 विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा।
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ।
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा।

- सविता मोहन (2017), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।

6.16 निबन्धात्मक प्रश्न

1. उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग की सम्भावनाओं एवं चुनौतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
2. उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग आवश्यकताओं की विवेचना करते हुए आर्थिक विकास में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए।
3. उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग की क्या समस्याएँ हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट कीजिए ?
4. पर्यावरण तथा आर्थिक विकास में अन्तरसंबंधों की विवेचना करते हुए। उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय प्रबन्धन के प्रारूप को समझाइए ?

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 ग्रामोद्योग का आशय
- 7.4 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग का विकास
- 7.5 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्याएँ
- 7.6 लघु उद्योग का आशय
- 7.7 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र उद्योग का महत्व
- 7.8 उत्तराखण्ड में लघु उद्योग का विकास
- 7.9 लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएँ
- 7.10 लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव
- 7.11 सारांश
- 7.12 शब्दावली
- 7.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 7.15 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री
- 7.16 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्ड में समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह 14वीं इकाई है। पूर्व की इकाई से आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास, उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों, उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग तथा पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

वर्तमान इकाई में हम उत्तराखण्ड : लघु, ग्रामोद्योग का विकास एवं प्रमुख समस्याएँ के विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई में इस बात का विस्तार से चर्चा की गयी है कि ग्रामोद्योग और लघु उद्योग किसे कहते हैं तथा इसका विकास उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों की मूलभूत समस्याएँ क्या हैं ?

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के बारे में जान सकेंगे तथा विकास उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में किस प्रकार किया जा रहा है यह बता पायेंगे तथा उनकी प्रमुख समस्याओं से अवगत हो जायेंगे।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप –

- ग्रामोद्योग व लघु उद्योग के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
- ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकता का अध्ययन कर सकेंगे।
- ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों का उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।
- लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों का अध्ययन कर सकेंगे।
- ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन कर सकेंगे।

7.3 ग्रामोद्योग का आशय

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 4 जनवरी 1990 को ग्रामीण उद्योग को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है – “ग्रामीण उद्योग का अभिप्राय किसी ऐसे उद्योग से है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो और जिसकी जनसंख्या 10 हजार अथवा ऐसी किसी संख्या से अधिक न हो तथा जो कोई उद्योग बिना शक्ति की सहायता के अथवा शक्ति के प्रयोग में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है और जिस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश प्लांट, मशीनरी तथा भूमि व भवन में 15 हजार रुपये प्रति कारीगर से अधिक न हो।” इस परिभाषा के अनुसार किसी ग्रामीण उद्योग में तीन विशेषताओं का पाया जाना जरूरी है –

- एक वह उद्योग गांव में स्थित हो और उस गांव की जनसंख्या 10 हजार से अधिक न हो।
- उस उद्योग में यांत्रिक शक्ति या विद्युत प्रयोग हो रहा है या नहीं।
- इस उद्योग के प्लांट, मशीनरी, भवन व भूमि में स्थायी पूंजी निवेश 15 हजार रुपये से अधिक न हो।

खादी ग्रामोद्योग के ज्ञापन 1996 में ग्रामीण क्षेत्र की अवधारणा को स्पष्ट किया और कहा गया कि “ग्रामीण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें गांव अथवा नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हो जिसकी जनसंख्या 20 हजार से ज्यादा न हो।” खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई इन कार्य रूपी परिभाषा ने ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों को अस्पष्ट कर दिया है। सामान्यता ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को समानार्थी माना जाता है। जबकि कुटीर उद्योग स्पष्टतः किसी कारीगर द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर से ही चलाये जाने वाला उद्योग है। क्योंकि इस उद्योग में घर के मुखिया के अतिरिक्त परिवार

के सदस्य भी उत्पादन कार्य में सहयोग करते हैं, इसलिए इसे पारिवारिक उद्योग के नाम से भी जाना जाता है।

वर्तमान समय में ग्रामोद्योग का तात्पर्य यह है कि जो उद्योग नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में हो तथा जहां की आबादी 20 हजार से अधिक न हो वहां स्थापित हो, जिसके उत्पादन व सेवा कार्य करने में विद्युत शक्ति का प्रयोग हो अथवा न हो एवं 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति पूंजी विनियोग से अधिक न हो ऐसी इकाईयों को ग्रामोद्योग माना जायेगा।

भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति को रिपोर्ट के अनुसार "कुटीर उद्योग वह है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पाये जाते हैं। जिनको ग्रामीण या घरेलू उद्योगों के नाम से पुकारा जा सकता है और कृषको के सहायक व्यवसाय प्रदान करता है।" इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान कुटीर व पारिवारिक उद्योगों को ही ग्रामीण उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है।

ग्रामोद्योगों को मुख्य रूप से 7 वर्गों में बांटा गया है –

- (1) खनिज आधारित उद्योग,
- (2) वनाधारित उद्योग,
- (3) कृषि आधारित और खाद्य उद्योग,
- (4) बहुलक और रसायन आधारित उद्योग,
- (5) इंजीनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा,
- (6) वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर),
- (7) सेवा उद्यम उद्योग।

7.4 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग का विकास

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि की परम्परागत व्यवस्था के कारण किसानों में छिपी बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में ग्रामोद्योग की स्थापना होना स्वभाविक है। जिनका विवरण निम्नवत है –

घराट उद्योग –घराट का स्थानीय नाम घट है, जो पानी से चलित होते हैं। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग ही है, जिससे गेंहूँ, मडुवा, चुवा, दालें आदि की पिसाई की जाती है। पहाड़ों में स्थायी पैतृक सम्पत्ति की भांति पुत्रों में घराट का भी बटवारा होता है। घराट स्थानीय गाड़-गधेरों पर स्थापित किये जाते हैं, और पानी की उपलब्धतानुसार स्थायी या मौसमी होते हैं। यद्यपि आधुनिक तकनीक को अपनाने से इसका उपयोग न के बराबर रह गया है।

चमड़ा व जूता उद्योग :-पर्वतीय क्षेत्र से मरे हुए जानवरों की खाल निकालने और उसका चमड़ा बनाकर जूते बनाने वाले कारीगर बाड़े या बाड़ी कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में अनाज के बदले जूते लिये जाते थे। गढ़वाल क्षेत्र के चन्दपुरी, मजोठी तथा कौब गांव तथा कुमांऊं क्षेत्र के लोहाघाट तथा पिथौरागढ़ के निकटवर्ती गांव में बड़ी संख्या में बाड़े निवास करते थे। जूते के अलावा ये चमड़े के थैले व मस्सक बनाकर पूरे क्षेत्र में व्यापार करते थे। धीरे-धीरे यह कुटीर उद्योग बन्द होने लगे।

काष्ठ कला उद्योग :-उत्तराखण्ड के अधिकांश भाग में वनों की अधिकता है। जिससे लकड़ी की उपलब्धता से घरेलू लकड़ी कारीगरों को रोजगार प्राप्त होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मकान व गौशाला निर्माण में लकड़ी के स्लीपर व बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के सामान बनाने वाले कारीगरों को बढई कहा जाता था। जो विभिन्न लकड़ियों से प्रवेश द्वार, खिड़कियाँ, छज्जा, स्तम्भ, जंगले, आलमारियाँ, लकड़ी के सन्दूक, फर्नीचर, मूर्तिया व घराट के उपकरण बनाते थे। इसके अतिरिक्त यह कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों जैसे हल, पलटा आदि बनाने का काम करते थे।

हस्त निर्मित कागज उद्योग :-गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में हाथ से कागज उत्पादन का कार्य काफी पुराने समय से किया जाता रहा है। भोज पत्रों के बाद हाथ से बने कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ उसका कोई प्रमाण नहीं है। वाल्टन ने पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया था। जिस घास से यह कागज बनाया जाता था गढ़वाल में उसे सतपूड़ा या सतबडुआ और कुमाऊं में बडुआ कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में हस्त निर्मित कागज बड़ी मात्रा में बनता था। इस कागज का उपयोग मुख्य रूप से जन्म कुण्डली, धार्मिक ग्रन्थ, राजस्व लेखे, जन्म-मृत्यु का लेखा आदि रखने में किया जाता था।

रेशा उद्योग :-उत्तराखण्ड के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में मोटा घास भीमल (भिमू), मालू, जंगली कंडाली तथा बाबड़ जैसे रेशेदार घास तथा वृक्ष होते हैं। जिनका रेशा निकाल कर रस्सियां बनाई जाती हैं गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि जानवरों को बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। साथ ही इन रस्सियों को प्रयोग चटाई बनाने हेतु के लिए भी किया जाता है। भांग व सेल (भीमल के रेशे) से बनी रस्सियां बाहरी बाजारों में बेची जाती थी।

रिंगाल बर्तन उद्योग :-इस उद्योग को स्थानीय भाषा में रूडियागिरी कहाजाता है तथा इसमें काम करने वाले कारीगरों को रूडिया कहा जाता है। गढ़वाल तथा कुमाऊं में रिंगाल (निंगाल) और बांस की उपज जंगलों में होती है। कुमाऊं का दानपुर, गढ़वाल का चोपता रामणी, वाण, सुतोल, कनोल, पाणा, इराणी, डुमक कंगलोट, बूढा केदार आदि स्थान उच्च किस्म के रिंगाल के लिए प्रसिद्ध हैं। वनों के पास के गांव के कारीगर (रूडिया) रिंगाल के बर्तनों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करते थे।

मधुमक्खी पालन :-कुमाऊं और गढ़वाल की पर्वतीय चट्टानों पर भोरों का शहद बड़ी मात्रा में पाया जाता था। इन मक्खियों को घर में नहीं पाला जाता था। इनका शहद अधिक नशीला व गुणकारी होता है। गांव के लगभग सभी घरों में एक छोटा स्थान मौन पालन के लिए बनाया जाता था। ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जहां वनों की अधिकता थी या फसलों की बहुलता होती थी मौन पालन अधिक होता था। वनों में पेड़ की गुफाओं में मौन द्वारा एकत्रित शहद निकाला जाता था। जिससे बाहरी क्षेत्र में बेचा जाता था। कुमाऊं क्षेत्र में यह व्यापार अधिक प्रचलित था।

जड़ी- बूटी आधारित उद्योग :-गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीणों वैद्य को जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी होती थी। यह कहा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र के वैद्यों को ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान था जो पारे से सोना तथा स्वर्ण भष्म तैयार करते थे। लेकिन विकास के साथ क्षेत्र की जड़ी बूटियां बड़ी मात्रा में बाहरी मण्डियों में जाने लगी। कुछ विशेष जड़ी बूटियों की जानकारी वैद्य लोग दूसरे व्यक्ति को जीवन के अन्त समय तक नहीं बताते थे। जिस कारण भी यह उद्योग प्रभावित हुआ। सामान्यता गुलबनप्सा, दालचीनी, दारु हल्दी, कुटगी, चिरायता, समोया, कुटज, कुलाड़कटी, पत्थरचट्टा हिंगोल आदि का प्रयोग घरेलू इलाज में होता रहा है।

लौहारगिरी :-लोहे के कृषि औजार व बर्तन बनाने वाले कारीगरों को लौहार कहा जाता था। जो मुख्य रूप से खेती के औजारों के अतिरिक्त, तलवार, खुकरी, फर्सा, मूर्तियों सहित देवी देवताओं के निशान बनाते थे। लौहार लगभग सभी गांव में पाये जाते थे और ये अपनी वस्तुएं अनाज के बदले बेचते थे।

लीसा उद्योग :-चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने का कार्य ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र से प्रारम्भ हुआ था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भवाली में लीसा से रोजिन व तारपीन का तेल बनने का कारखाना स्थापित किया था। जिसे बाद में बेरली स्थानान्तरित कर दिया गया। बाद में गढ़वाल क्षेत्र में भी यह कार्य प्रारम्भ हो गया। वन विभाग की सांख्यिकीय पत्रिकानुसार उत्तराखण्ड के वनों से 1930-31 में 30,556 क्विंटल लीसा उत्पादन हुआ था जो 1950-51 में 54,536 क्विंटल हो गया।

स्वर्णकारी उद्योग :-उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र के विषय में वाल्टन (1910) में लिखा कि अलकनन्दा नदी से सोना धोकर निकाला जाता था और अनुमान है कि औसत श्रमिक द्वारा चार आना सोना तैयार

किया जाता था। राय बहादुर पातीराम परमार (1916) ने लिखा कि स्वर्ण मिश्रित रेत अलकनन्दा एवं मंदाकिनी घाटियों में पाया जाता है। सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगरों को सुनार अर्थात् सोनार कहा जाता था। गढ़वाल में सोना अलकनन्दा की रेत था तिब्बती व्यापार से आता था। कुमाऊं में सोना चांदी की आपूर्ति तिब्बत तथा बाहरी बाजारों से होती थी। पर्वतीय अंचल में सोने चांदी के जेवर की मांग यही सोनार पूरी करते थे।

ऊन उद्योग :-प्रत्येक परिवार में जहाँ भेड़ बकरी पालन होता था। वहाँ ऊन की कताई-बुनाई का कार्य होता था। ऊन से बनी वस्तुएँ जैसे ओढ़ने-बिछाने के थुलमा, कोट, दन, ऊनी, कपड़ा, अंगरखा, पैजामा, कम्बल आदि पारिवारिक उपयोग हेतु तैयार किये जाते थे। गढ़वाल क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों का व्यापार माणा तथा नीति घाटी (चमोली) के निवासी, भोटिया परिवार के सदस्य सर्दियों में अलकनन्दा घाटी तथा हर्षित आदि क्षेत्रों में आकर करते थे। इसी प्रकार कुमाऊं के भोटिया दानपुर जोहार एवं दारमा पिथौरागढ़ में भी ऊन वस्त्र बनते थे। जिनका धारचूला व मुनस्यारी द्वारा तिब्बत से व्यापार होता था। उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में ऊन उद्योग के बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रारम्भ की गई जो टीसी योजना के नाम से थी। प्रारम्भ में पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर, धारचूला, माणा-गोपेश्वर, नीति भीमतला, दुगड़ड़ा तथा पौड़ी में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये। बाद में टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली को इसमें सम्मिलित कर लिया गया और इस उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ।

हस्तकला उद्योग :-हस्तकला उद्योग उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिकाल से चले आ रहे हैं। विशेष रूप से अल्मोड़ा व श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय कारीगर ताम्बे तथा पीतल की विभिन्न सजावटी व घरेलू उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं की भी निर्माण होता था। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊनी कालीन, रंगीन शॉल, हौजरी, पापड़ी काष्ठकला की वस्तुएं पत्थर की मूर्तियां आदि का निर्माण किया जाता था। क्षेत्र की हस्तकलाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन व प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की गई।

काशीपुर, जसपुर में प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक कटिंग आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में शॉल बुनाई प्रशिक्षणकेन्द्रों, श्रीनगर गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ व बड़कोट में पापड़ी काष्ठकला केन्द्रों को स्थापना की गई। मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट अल्मोड़ा, चमोली, गुप्तकाशी आदि के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई।

रेशम उद्योग विकास :-कुमाऊं का इतिहास इस तथ्य को उजागर करता है कि राजा इन्द्र चन्द (758-778) के शासन कक्ष में रेशम कीट पालन का काम होता था। इस राजा ने नेपाल से रेशम कीट लाकर रेशम उत्पादन प्रारम्भ किया था। 1958 में देहरादून में शहतूत रेशम कीट पालन कार्य की स्थापना की गई। पर्वतीय क्षेत्र में रेशम विकास कार्यक्रम 1961 में अल्मोड़ा से प्रारम्भ किया गया था। जो बाद में चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में भी प्रारम्भ हो गया। शहतूत रेशम कीट पालन केन्द्र की सहायता से उत्तराखण्ड के नौ पर्वतीय जिलों में रेशम कीट पालन से दो फसलें मई तथा अक्टूबर में ली जाने लगी। राज्य में लगभग 65 रेशम फर्म तथा एक रीलिंग केन्द्र तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। शहतूत रेशम उत्पादन के साथ-साथ बांज टसर विकास परियोजना 1968 में चमोली जनपद में प्रारम्भ की गई। उसके बाद रानीखेत तथा नैनीताल के भीमताल में टसर कीट पालन हेतु परीक्षण किया गया और इसमें सफलता मिली। वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बांज के वृक्ष हैं। इसलिए यहां बांज टसर पालन को बढ़ावा मिला।

उत्तराखण्ड राज्य की ग्रामीण उद्योगों की वास्तविक स्थिति के विश्लेषण हेतु कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य स्थापना से पहले इस क्षेत्र का विधिवत आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया

गया। इसलिए इन उद्योगों की स्थिति तथा विकास का विश्लेषण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता रहा है। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि उस समय उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में नहीं आया था और जो आंकड़े हैं उसमें मुख्य रूप से प्रमुख पर्वतीय जिले ही सम्मिलित हैं। तालिका (14.1) में 1971 से 2011 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण (पारिवारिक) उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को आधार बनाकर उनकी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

**तालिका (14.1) ग्रामोद्योग या पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण
(मुख्य कर्मचारियों से प्रतिशत में)**

क्र०सं०	जनपद	1971	1981	1991	2001	2011
1	उत्तरकाशी	0.73	1.08	1.71	1.63	1.07
2	चमोली	1.71	1.70	1.16	1.02	0.87
3	टिहरी	1.09	0.60	0.30	0.28	0.27
4	पौड़ी	0.83	0.71	0.50	0.42	0.36
5	देहरादून	2.47	1.20	0.86	0.80	0.67
6	गढ़वाल मण्डल	1.37	1.18	0.71	0.71	0.69
7	अल्मोड़ा	1.20	1.99	0.71	0.68	0.47
8	पिथौरागढ़	1.70	1.80	1.62	1.54	1.34
9	नैनीताल	2.05	1.90	0.94	0.86	0.64
10	कुमाऊं मण्डल	1.65	1.60	1.02	0.92	0.74
11	पर्वतीय क्षेत्र	1.47	1.60	0.86	0.76	0.65

स्रोत— जनगणना रिपोर्ट विभिन्न वर्ष

तालिका से स्पष्ट है कि गढ़वाल मण्डल में 1971-2011 के दौरान इन उद्योगों में कुमाऊं मण्डल की तुलना में अधिक कमी आई है। यद्यपि गढ़वाल मण्डल के उत्तरकाशी जिले में 1971 से 2011 के दौरान इन उद्योगों में तेजी से विकास हुआ और इनमें कार्यरत लोगों की संख्या बढ़ी। लेकिन टिहरी गढ़वाल में इन उद्योगों में कार्यरत लोगों में तेजी से कमी देखी गई। इसी प्रकार कुमाऊं मण्डल में भी यद्यपि इन उद्योगों के विकास में कमी आई, किन्तु नैनीताल में यह गिरावट सर्वाधिक थी लेकिन वह भी टिहरी-गढ़वाल से कम ही थी। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में 1971 से 2011 के दौरान कुल मिलाकर ग्रामीण उद्योगों में कार्यरत कारीगरों की संख्या लगभग स्थिर रही।

7.5 ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्याएँ

गांधी जी ने कहा था कि भारत की प्रगति ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास में निहित है। आज के आधुनिक तकनीक के युग में इन उद्योगों का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि पूंजीवाद के कारण श्रम प्रतिस्थापन की तकनीक ने श्रम बाजार में बेकारी फैला दी है। ऐसे में कृषि के साथ चलने वाले इन उद्योगों का महत्व और बढ़ा है। लेकिन आर्थिक विकास के इस युग में विभिन्न उद्योगों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी इससे अछूते नहीं हैं। पिछले दो दशकों में इन उद्योगों में ह्रासमान गति रही है। जो एक विचारणीय तथ्य है क्योंकि ये उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ बेरोजगारी को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किन्तु वर्तमान वैश्वीकरण के युग में इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें से प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं :-

कच्चे माल की समस्या :-ये उद्योग कृषि व वन आधारित कच्चेमाल पर निर्भर करते हैं। जैसे काष्ठ कला उद्योग— लकड़ी पर, लीसा उद्योग चीड़ के वन पर, अगरबत्ती व धूप निर्माण भी वनों पर तथा जड़ी बूटी खनन भी वनों पर आधारित है। काष्ठ उद्योग का मुख्य कच्चा माल लकड़ी है, लेकिन वर्तमान

वन नीति के अन्तर्गत वन वृक्षों का कटान कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है, और उनका भण्डारण पर्वतीय क्षेत्र से दूर रायवाला (देहरादून) कोटद्वार, टनकपुर व काठगोदाम के लकड़ी डिपो में किया जा रहा है। जिससे यातायात व्यय की अधिकता से कारीगरों को दुगने मूल्य पर लकड़ी मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जोशीमठ, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चकराता, पिथौरागढ़ तथा रानीखेत जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की काष्ठकला उद्योग इकाई बन्द हो गई है।

अगरबत्ती तथा धूतबत्ती निर्माण उद्योग में उपयोग होने वाले सुगन्धित पौधे जैसे— देवदार, सुराई की पत्ती, कुटज, समोया, जटामालसी आदि जड़ी-बूटी तथा खनन पर भी वन विभाग ने जिला भेषज संघों को एकाधिकार दे दिया है। जो कच्चे मालों के उपयोग में बाधा बने हुए है।

लीसा उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में प्रमुख रोजगार सृजन उद्योग है। लीसा से पेंट-वार्निश तथा तारीपन का तेल जैसे उत्पादन बनते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादन बनाने की तकनीक विकसित नहीं की गई। साथ ही दूरस्थ लीसा डिपो की स्थापना के कारण कच्चेमाल की नियमित व निरन्तर प्राप्ति में अनेक बाधाएँ हैं।

रिंगाल उद्योग का कच्चा माल रिगांल है, रिगांल की बाहरी क्षेत्र में अवैध बिक्री के कारण कच्चेमाल में कमी आती जा रही है। साथ ही कारीगरों के निर्मित माल को केवल ग्रामीण व स्थानीय क्षेत्र में ही बिक्री का अधिकार दिया गया है, किन्तु वाह्य क्षेत्र में बिक्री पर प्रतिबन्ध है। ग्रामीण कारीगरों को रिगांल के परमिट दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

ऊन उत्पादन उद्योग भी भेड़ पालन तक की सीमित है, क्योंकि ऊन भण्डारण, धुलाई, कार्डिंग व गुणवत्ता निर्धारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कालीन व शॉल उद्योग को कच्चेमाल (तागें) के लिए उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है।

वित्तीय साधनों का अभाव :—ग्रामीण क्षेत्र में यद्यपि सहकारी व राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखाएँ स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन जटिल ऋण प्रक्रिया व जमानत की कमी के कारण ग्रामीण इनका समुचित लाभ नहीं उठा पाते। बैंक भी किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण कारीगर भूमिहीन हैं और उनके मकान भी पत्थर के हैं। जिन्हें बैंक जमानत के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसलिए इन कारीगरों को ऊँची ब्याज दर पर अन्य स्रोत से ही पूंजी प्राप्त करनी पड़ती है।

परम्परागत उत्पादन तकनीक :—सबसे बड़ी समस्या कारीगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली पिछड़ी उत्पादन तकनीक है, जिससे कम उत्पादन, कम उत्पादकता, कम अधिक्य तथा कम आय का कुचक्र चलता रहता है। जो इन उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। परम्परागत तकनीकी को अपनाने का प्रमुख कारण जानकारी का अभाव व विद्युत शक्ति की उचित व्यवस्था न होना आदि हैं।

मौन पालन में प्रशिक्षण की व्यवस्था न होना तथा मार्गदर्शन न दिया जाना। मौन बक्सों की अनुपलब्धता तथा सम्बन्धित संयंत्रों व औजारों की कमी मुख्य समस्या है। चूना उद्योग वन विभाग की नीतियों के कारण मृत होता जा रहा है; क्योंकि ईंधन के लिए लकड़ी प्रयोग पर प्रतिबन्ध लग गया है अन्य कोई उचित व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है। रेशा उद्योग में यंत्रिकरण की समस्या वर्षों से बनी हुई है। रामबांस से रेशा निकालने व रेशे से रस्सी, आदि बनाने में मशीनों का सीमित उपयोग ही हो रहा है। साथ ही भांग, जंगली कण्डाली, बाबड तथा भेंकल के रेशों को भी पुरानी तकनीक द्वारा ही निकाला जा रहा है। जिस कारण ऊँची लागत व कम उत्पादन की समस्या से ये उद्योग जूझ रहे हैं।

उत्पादित माल की बिक्री की समस्या :—उत्तराखण्ड के ग्रामीण उद्योगों की प्रमुख समस्या उत्पादित माल की उचित बिक्री की है, क्योंकि राज्य के ग्रामीण उद्योग दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित हैं जहाँ से अन्य स्थानों पर निर्मित माल को पहुँचाना आसान नहीं है, क्योंकि इससे यातायात लागत के कारण वस्तु का मूल्य ऊँचा हो जाता है और गुणवत्ता, डिजाइन, बाजार मांग व प्रतियोगिता के कारण वस्तु बिक्री में कठिनाई आती है। जिससे समय पर धन प्राप्ति न होने के कारण कारीगर ऋण लेकर अपना गुजारा

करने को मजबूर होते हैं और एक बार ऋण जाल में फंसने के कारण उद्योग का विकास भी प्रभावित होता है।

यातायात की समस्या :-राज्य के अधिकांश ग्रामोद्योग दूरस्थ पर्वतीय गांव में हैं। जहाँ यातायात की उचित सुविधाओं का अभाव है। जिससे कच्चेमाल व तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कारीगरों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और समय पर माल की आपूर्ति न होने पर आगे के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि राज्य स्थापना के बाद इस ओर अनेक प्रयास किये गये हैं। परन्तु अभी भी ओर विकास की आवश्यकता है।

अंवाछित करारोपण की समस्या :-ग्रामोद्योग के कच्चेमाल, तैयार माल, मशीनों पर स्थानीय करों के लगने से उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जिससे प्रतियोगिता में अन्य उद्योग की तुलना में ग्रामोद्योग के उत्पाद मंहगे होने के कारण नकार दिये जाते हैं। जैसे उत्तराखण्ड बनने से पहले हरिद्वार, देहरादून के आसपास तथा ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग सहारनपुर तथा मुरादाबाद से कच्चा माल मंगाते थे, परन्तु अलग राज्य बनने के बाद करो की मार के कारण अब इस क्षेत्र के ग्रामोद्योग बन्दी की कगार पर हैं।

सूचना व परामर्श का अभाव :-पर्वतीय क्षेत्र में संचार व यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण इन क्षेत्रों में ग्रामोद्योग विकास की योजनाओं की जानकारी का अभाव है। साथ ही प्रशिक्षण व परामर्शदाता को जनपदों में रहने के कारण उद्योगों को कठिनाई के समय उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता, जिससे उद्योग हानि उठाते हुए बन्दी की कगार पर पहुँच जाते हैं।

यदि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है तो ग्रामीण उद्योग के विकास की बाधाओं को दूर करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की प्राप्ति हो, और युवकों के पलायन में कमी आये। यद्यपि उत्तराखण्ड बनने के बाद इस दिशा में सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक नीतियों व अनुदानों की घोषणा की गई है परन्तु उनका परिणाम सामने आने में अभी समय लगेगा।

अभ्यास प्रश्न 1

लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग का क्या आशय है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, संक्षेप में लिखिए।

7.6 लघु उद्योग का अर्थ

यद्यपि कुटीर उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है लेकिन 1950 के राजकोषीय आयोग ने कुटीर तथा लघु उद्योगों में अन्तर स्पष्ट किया है। राजकोषीय आयोग के अनुसार कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें परिवार के सदस्य कार्य करते हैं। यह उद्योग पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं जिनमें परम्परागत विधियों एवं स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है तथा उत्पादित वस्तुओं को स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1955 में जिन उद्योगों को पंजीकरण से मुक्त रखा गया था उन उद्योगों को 'लघु अथवा छोटे पैमाने वाला क्षेत्र' कहा गया। जिन उद्योगों में विद्युत शक्ति का प्रयोग होता था, किन्तु मजदूरों की संख्या 50 से कम थी और जिन उद्योगों में विद्युत शक्ति का प्रयोग नहीं होता था तथा श्रमिक संख्या 100 से कम थी, उनका पंजीकरण आवश्यक नहीं था। इस क्षेत्र को लघु उद्योग कहा गया। औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1955 में पंजीकरण से मुक्त रखा। इस क्षेत्र की परिधि से बाहर वाले उद्योगों को 'बड़े पैमाने के उद्योग' की संज्ञा दी गयी। बड़े पैमाने के उद्योग के अन्तर्गत उन उद्योगों को रखा गया जिनमें विद्युत शक्ति सहित 50 या इससे अधिक मजदूर और विद्युत शक्ति के बिना 100 अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते हैं।

लघु उद्योगों की परिभाषा में निवेश, समय तथा तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार निरन्तर सुधार किये गये हैं, जिससे लघु उद्योगों के विकास में कोई कठिनाई न हो। स्वतन्त्र भारत में पहले प्रशुल्क आयोग ने अपनी 1950 की रिपोर्ट में कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग को पृथक रूप से परिभाषित करने की पहल की गई थी रिपोर्ट के अनुसार "लघु स्तरीय उद्योग वे हैं जो साधारतया अपने कारीगरों को पूर्णकालिक व्यवसाय देते हैं और नगरीय अथवा उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं।" द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956) प्रारूप में लघु उद्योग की कार्यकारी परिभाषा इस प्रकार दी गई, "लघु स्तरीय उद्योग बोर्ड द्वारा एक कार्यकारी परिभाषा अपनाई गई, जिसके अन्तर्गत उन समस्त इकाइयों अथवा प्रतिष्ठानों को लघु स्तरीय उद्योगों की परिधि में लाया गया, जिसमें 5 लाख रुपये से कम पूंजी निवेश और विद्युत शक्ति का प्रयोग कर 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है।"

लघु स्तरीय उद्योग की इस कार्यकारी परिभाषा में 1975 में उल्लेखनीय परिवर्तन सामने आया और इसे अति लघु उद्योग जिनकी पूंजी निवेश सीमा एक लाख में कम हो, लघु उद्योग जिनकी पूंजी निवेश सीमा 10 लाख से कम हो और सहायक या मध्यम उद्योग जिनकी पूंजी निवेश सीमा 15 लाख से कम हो, के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इनकी निवेश सीमा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में सूक्ष्म (अति लघु) उद्योग, लघु उद्योग तथा मध्यम (सहायक) उद्योग से अभिप्राय ऐसे उद्योग से है, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 3 की धारा-7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत उद्योगों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है जिसे सारणी द्वारा दिखाया गया है—

क्र० सं०	उद्यम	पूँजी निवेश (रूपये में) (सेवा प्रदान करने वाले)	पूँजी निवेश (रूपये में) (विनिर्माण एवं उत्पादन करने वाले)
----------	-------	--	--

1.	सूक्ष्म उद्यम	10 लाख से अधिक न हो	25 लाख से अधिक न हो
2.	लघु उद्यम	10 लाख से अधिक किन्तु 2 करोड़ से कम हो	25 लाख से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम हो
3.	लघु उद्यम	2 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम हो	5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम हो

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में भी लघु (सेवा)उद्योग की श्रेणी में वह उद्योग आते हैं जिनकी पूंजी निवेश 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 2 करोड़ रुपये से कम हो। अब आप समझ गये होंगे कि विनिर्माण उद्योग एवं सेवा उद्योग में क्या अन्तर है।

7.7 उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का महत्व

अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के उद्योग आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक पहलुओं से औद्योगिक विकास की आधारशिला है। अतः सरकार को संतुलित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग के विकास को महत्व प्रदान करना चाहिए। लघु क्षेत्र उद्यम का महत्व निम्नलिखित है—

- रोजगार में वृद्धि**— उत्तराखण्ड जैसे प्रदेश में जहाँ श्रमिक अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है और पूंजी की कमी है। ऐसे पूंजी अभाव एवं श्रम प्रधान प्रदेश में लघु उद्योग उपयुक्त है क्योंकि इन उद्योगों द्वारा कम पूंजी के विनियोग से भी रोजगार में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।
- आय वितरण में समानता**— बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों का स्वामित्व अधिक से अधिक हाथों में जाता है जिससे आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं होता है फलस्वरूप राज्य आय का समान वितरण होता है।
- बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक**— लघु उद्योग बड़े उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं जिससे उपभोग वस्तुओं का निर्माण होता है। इस तरह से ये उद्योग बड़े उद्योग के पूरक होते हैं।
- तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता** — इन उद्योगों को चलाने के लिए आधुनिक तकनीकी की कम आवश्यकता होती है जिससे ग्रामीण व्यक्ति भी इस उद्योग को चला सकते हैं।
- आयात और निर्यात**— लघु उद्योग स्थानीय संसाधनों का एवं परम्परागत तकनीकी के प्रयोग से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है। ये उद्योग कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जैसे हाथी दांत पर काम, चन्दन की वस्तुएँ, पत्थर की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ आदि तथा इनका निर्यात करते हैं जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
- वर्ग-संघर्ष से बचाव**— छोटे उद्योग में परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं या बहुत कम मात्रा में मजदूरी के बदले में श्रमिक रखे जाते हैं। लघु उद्योगों में मालिक व मजदूरों में परस्पर सम्बन्ध भी अच्छे रहते हैं। फलस्वरूप वर्ग संघर्ष की सम्भावनाएँ कम रहती है।
- कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी**— जहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है जिसके कारण कृषि पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है ऐसी स्थिति में लघु उद्योग ही अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- शीघ्र उत्पादक उद्योग**— लघु उद्योग में स्थापना के तुरन्त बाद वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है इसलिए इनको शीघ्र उत्पादक उद्योग भी कहते हैं। भवस्तुओं की माँग की तुलना में बड़े उद्योग वस्तुओं की पूर्ति करने में असफल होते हैं क्योंकि वृहद उद्योगों की स्थापना एवं उनके द्वारा उत्पादन करने के समय में वर्षों का अन्तर होता है इसलिए लघु उद्योग वस्तुओं की माँग की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- शहरीकरण और औद्योगीकरण के प्रभाव से सुरक्षा**— ये उद्योग सामान्यतः स्थानीय होते हैं इसलिए बड़े उद्योगों की समस्याओं जैसे— आवास की समस्या, यातायात, पानी, जल निकासी, दूषित वातावरण जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है।

10. **विकेन्द्रीकरण**— लघु उद्योग विकेन्द्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। देश में मिल उद्योग का अभी तक जो विकास हो पाया है, वह मुख्यतः मुम्बई, अहमदाबाद, नागपुर, कोलाकाता आदि कुछ नगरों तक ही सीमित रहा है। परिणामस्वरूप देश में आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएँ उत्पन्न हुई हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः उत्तराखण्ड जैसे प्रदेश में लागत थोड़ी होने एवं आधारित संरचना जैसी सुविधाओं की कम जरूरत पड़ने के कारण ये उद्योग अपेक्षाकृत अधिक आसानी से प्रदेश के विभिन्न भागों में फैलाये जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त लघु उद्योग फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लघु क्षेत्र उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है जिस पर उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की एक संतुलित क्षेत्रीय विकास की नींव रखी जा सकती है।

7.8 उत्तराखण्ड में लघु उद्योगों का विकास

रोजगार उपलब्धता, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा आय के साधन स्थानीय बाजार की मांगी की पूर्ति में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योग में पूंजी निवेश की तुलना में श्रम रोजगार की अधिकता होती है। जिससे स्थानीय युवाओं व कारीगरों को रोजगार प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड एक नवीन राज्य है। इसलिए लघु उद्योग के विकास के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें उत्तराखण्ड के सभी जिले सम्मिलित नहीं हैं। मुख्य रूप से हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर के आंकड़ों का इसमें समावेश नहीं है।

तालिका (14.2) पर्वतीय क्षेत्र में 1995, 2000 तथा 2016 में लघु उद्योग इकाइयों तथा रोजगार की स्थिति

क्र.सं.	जनपद	1995- 2000 में इकाई में वार्षिक वृद्धि दर	1995 - 2000 में रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर	2000 - 2016 में इकाई में वार्षिक वृद्धि दर	2000 - 2016 में रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर
1	उत्तरकाशी	6.8	3.7	6.7	3.4
2	चमोली	6.8	6.9	7.0	7.1
3	टिहरी	5.5	9.9	5.8	10.2
4	पौड़ी	7.9	4.3	7.8	4.4
5	देहरादून	4.3	1.9	4.5	2.0
6	गढ़वाल मण्डल	6.0	3.6	6.9	3.9
7	अल्मोड़ा	7.1	2.7	7.3	2.9
8	पिथौरागढ़	9.3	4.2	9.2	3.9
9	नैनीताल	5.6	2.7	5.5	2.6
10	कुमाऊं मण्डल	6.8	2.9	6.9	3.0
11	पर्वतीय क्षेत्र	6.4	3.3	6.6	3.5

स्रोत - विकास आयुक्त कार्यालय, श्रीकोट, श्रीनगर, गढ़वाल के आंकड़ों से आंकलित

प्रदेश लघु उद्योग द्वारा उत्पादित किये जाने वाले मर्दों के आधार पर इकाइयों का विश्लेषण करते हैं। तो स्पष्ट होता है कि खादी व सम्बन्धित इकाइयां सबसे अधिक हैं। जबकि रेशम उद्योग की इकाइयाँ सबसे कम परन्तु यदि 1988-89 से 1991-92 और उसके बाद 2016 तक की वार्षिक वृद्धि को देखा जाये, तो प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जबकि खादी व संबंधित इकाइयों का स्थान दूसरा रहा 1988-89 से 1991-92 और 2016 के दौरान समस्त पर्वतीय क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 29 प्रतिशत रही, जो सन्तोष जनक कही जा सकती है। जबकि मैदानी क्षेत्र की वृद्धि दर संतोष जनक नहीं रही है।

तालिका (14.3) 2016 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाइयों का विवरण

जनपद	वर्ष 2000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम			वर्ष 2010 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम			वर्ष 2016* सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम		
	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रु० में)	रोजगार	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रु० में)	रोजगार	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रु० में)	रोजगार
नैनीताल	816	158.36	3513	1665	144.23	5884	2456	289.13	8765
उधम सिंह नगर	804	233.71	4899	3133	2072.14	29522	4356	4022.34	34897
अल्मोड़ा	904	17.78	1846	1911	17.22	3399	2198	324.21	4353
पिथौरागढ़	534	5.85	1013	1416	19.08	3019	1543	28.75	3212
बागेश्वर	387	2.04	607	563	8.54	1100	687	10.21	1267
चम्पावत	147	4.95	322	600	10.25	1315	654	13.32	1523
देहरादून	2321	88.01	7232	3239	645.82	25119	4654	876.75	32087
पौड़ी	1720	28.39	4196	2127	97.02	5727	2312	104.76	6541
टिहरी	1025	14.44	2413	1941	50.26	4744	2132	64.21	5321
चमोली	844	5.45	1154	1423	26.54	2874	1521	32.67	3121
उत्तरकाशी	1734	10.60	2364	1359	18.66	2404	1532	24.92	2897
रूद्रप्रयाग	394	7.20	737	676	11.75	1577	789	14.97	1865
हरिद्वार	2533	123.51	8213	3564	2387.14	36153	5432	4326.92	54321
योग	14163	700.29	38509	23617	5508.65	122837	30270	10133.16	1,60,190

स्रोत— औद्योगिक विकास प्रगति रिपोर्ट, उद्योग निदेशालय, देहरादून। *— अनुमानित

तालिका (14.2) में पर्वतीय क्षेत्रों में 1995, 2000 तथा 2016 (अनुमानित) में विभिन्न जनपद में कार्यरत इकाइयों की संख्या सहित रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। जिससे पता चलता है कि संख्या को दृष्टि से सर्वाधिक इकाइयाँ नैनीताल में कार्यरत थी जबकि देहरादून व अल्मोड़ा दूसरे व तीसरे स्थान पर थे। जबकि वृद्धि दर की स्थिति में 1995 से 2000 तथा 2000 से 2016 के दौरान पिथौरागढ़ में इकाइयों में वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक थी। जबकि देहरादून में इस दौरान वृद्धि दर सबसे कम थी। रोजगार की दृष्टि से देखे तो टिहरी को 1995-2000 तथा 2000 से 2016 के दौरान वृद्धि दर सर्वाधिक थी जबकि देहरादून में रोजगार वृद्धि दर अति अल्प थी इस प्रकार रोजगार वृद्धि दर पर्वतीय क्षेत्र में 3.3 प्रतिशतके लगभग थी जबकि इकाई वृद्धि दर इस दौरान 6.4 प्रतिशत के लगभग थी।

उद्योग निदेशालय के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जिनमें 700.29 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश था और 38,509 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। राज्य गठन के पश्चात् से माह फरवरी, 2011 तक 23,617 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा जिनमें 5,508.65 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश किये गया है और 1,22,837 लोगों को रोजगार दिया गया था। जो वर्ष 2016 में अनुमानित रूप में बढ़कर 30,270 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा जिनमें 10,133.16 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश किये गया है और 1,60,190 लोगों को रोजगार दिया गया है।

तालिका (14.3) में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के समय पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या, रोजगार व पूँजी निवेश को दर्शाया गया है और राज्य स्थापना के पश्चात् पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या, रोजगार व पूँजी निवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया है

जिससे पता चलता है। सर्वाधिक लघु इकाइयाँ हरिद्वार जनपद में रही, रोजगार को स्थिति में भी हरिद्वार ही पहले स्थान पर रहा, जबकि देहरादून का दूसरा स्थान रहा और चम्पावत सबसे नीचा रहा। जबकि पूंजी निवेश में उधम सिंह नगर का दूसरा स्थान रहा। उत्तराखण्ड स्थापना के बाद लघु इकाइयों की संख्या में ढाई गुना से अधिक, रोजगार में चार गुनासे अधिक तथा पूंजी निवेश में नौ से अधिक गुना वृद्धि देखी गई।

7.9 लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ

लघु एवं कुटीर उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके परिणामस्वरूप कई इकाइयाँ बीमार हो जाती है तथा कई इकाइयाँ बन्द हो जाती है। लघु क्षेत्र उद्यम के विकास हेतु सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं फिर भी ये उद्योग कुछ आधारभूत, वित्तीय एवं बाजार व्यवस्था जैसी समस्याओं से ग्रसित है जिनके कारण ये उद्योग प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। इन उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित है—

1. **कच्चे माल की समस्या**—अधिकांश कुटीर उद्योग कच्चे माल के लिए स्थानीय स्रोतों पर निर्भर हैं। हथकरघा उद्योग सूत की पूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहता है। ये व्यापारी बुनकरों को प्रायः इस शर्त पर कच्चा माल बेचते हैं कि बुनकर कपड़ा उन्हीं को बेचेंगे। प्रायः ये व्यापारी बुनकरों को दोहरा शोषण करते हैं। एक ओर तो ये बुनकरों से कच्चे माल की अधिक कीमत लेते हैं और दूसरी ओर उन्हें तैयार माल की कम कीमत देते हैं। लघु उद्योगों में पहले छोटी मोटी वस्तुओं का ही उत्पादन होता था जिनके लिए कच्चा माल प्राप्त कर पाना कोई समस्या नहीं थी। परन्तु जब से आधुनिक लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है और ये उद्योग नई वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं, तब से इनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कर पाना कठिन हो गया है। अनेक लघु उद्योग आयात किए जाने वाले कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इन उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की है जो उन्हें उचित समय तथा उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है। अधिकांश कुटीर उद्योग कच्चे माल के लिए स्थानीय स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। हथकरघा उद्योग सूत की पूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहता है। ये व्यापारी बुनकरों को प्रायः इस शर्त पर कच्चा माल बेचते हैं कि बुनकर कपड़ा उन्हीं को बेचेंगे। इस तरह बुनकरों का दोहरा शोषण होता है। एक ओर तो ये बुनकरों से कच्चे माल की अधिक कीमत लेते हैं और दूसरी ओर उन्हें तैयार माल की कम कीमत देते हैं। वन आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल लीसा व लकड़ी डिपो से प्राप्त होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों से दूर कोटद्वार, रायवाला टनकपुर आदि में स्थापित है। जिससे यातायात व्यय में वृद्धि होने से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ती है और इकाई को हानि का सामना करना पड़ता है।
2. **संगठित बाजार का अभाव**— लघु क्षेत्र उद्यम के पास कोई संगठन नहीं है। प्रायः इन उद्योगों को वस्तुओं को बेचने के लिए चालबाज मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनका शोषण करते हैं।
3. **वित्त एवं साख की समस्या**—पूंजी तथा साख का अभाव लघु उद्योगों की प्रधान समस्या है। कुटीर और ग्राम उद्योगों की स्थिति ओर भी अधिक खराब है। लघु औद्योगिक इकाइयों का पूंजीगत आधार प्रायः काफी कमजोर होता है क्योंकि इनका संगठन साझेदारी अथवा अकेले स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। घरेलू उद्योग को चलाने वाले कारीगर या तो अपनी थोड़ी सी पूंजी से काम चलाते हैं या फिर महाजन अथवा व्यापारी से (जो कच्चा माल देता है) ऋण लेते हैं। लघु उद्योगों की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है। परन्तु इन उद्योगों के लिए भी लाभ के फिर से निवेश द्वारा पूंजी को बढ़ा पाना सम्भव नहीं होता। छोटे आकार के होने के कारण इन उद्योगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक बैंकों से ऋण लेने में उन्हें वैधानिक कार्यवाहियों करनी पड़ती है और तत्पश्चात समय-समय पर रिटर्न भेजने पड़ते हैं। अतः इन कागजी समस्याओं

से छुटकारा पाने के लिए साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं जो उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं।

4. **प्रबन्धकीय क्षमता की कमी** :-पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना तथा विकास में एक सबसे बड़ी समस्या उद्यमियों में प्रबन्धकीय क्षमता की कमी है। जिसके कारण नई इकाईयों की स्थापना तथा पुराने इकाईयों के घाटे में चलने की कठिनाई सामने आ रही है। उचित मार्गदर्शन व प्रशिक्षण की कमी के कारण स्थानीय युवा जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।
5. **नवीन मशीनें और प्रौद्योगिकी का अभाव** – शिक्षा के अभाव, बाजार की समस्या एवं परम्परागत तकनीक के प्रयोग से इन उद्योगों की उत्पादन लागत अधिक होती है। ये उद्योग शिक्षा व वित्त के अभाव में नई प्रौद्योगिक/तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
6. **बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता**– बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में लघु क्षेत्र उद्योग के वस्तु महँगे होते हैं एवं इनकी कीमत भी अच्छी नहीं होती है इसलिए लघु क्षेत्र उद्योग प्रतियोगिता में टहर नहीं पाते।
7. **प्रमापीकरण का अभाव**– इन उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं में एकरूपता का अभाव रहता है। अतः प्रामाणिकता के अभाव के कारण इनके वस्तुओं की कीमत में अन्तर पाया जाता है जिससे संगठित बाजार में इनकी बिक्री कठिन हो जाती है। लघु उद्योगों का माल किसी निश्चित प्रमाप या मानक के अनुरूप नहीं होता क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तु के मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। जिस कारण मूल्य निर्धारण में समस्या आती है और कारीगरों और मलिकों को अपनी वस्तु व परिश्रम का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। आज प्रतियोगिता के युग में प्रमापीकरण, एकरूपता, गुण स्तर आदि का ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। प्रमापीकरण व गुणवत्ता के अभाव में लघु उद्योगों के निर्मित माल की मांग कम हो जाती है।
8. **परम्परागत तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण का पाया जाना** :-राज्य की अधिकांश लघु इकाईयों ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जहां के युवकों को मशीनों तथा संयंत्रों को चलाने का अनुभव नहीं है। उत्पादन सबन्धी तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। जिससे उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इन उद्योगों की वस्तुएं बड़े उद्योगों की वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाती है। लघु क्षेत्र उद्योग परम्परागत तकनीक के प्रयोग से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। परिणामस्वरूप इनकी लागत अधिक होती है इसलिए इन वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है जिसके कारण इन उद्योगों के स्वामी न चाहते हुए भी उद्योग को बन्द करने के लिए विवश हो जाते हैं।
9. **औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था**– इन उद्योगों के स्वामी प्रशिक्षित नहीं होते हैं एवं इनमें प्रशिक्षण की कमी होती है जिससे अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं।
10. **सूचना व परामर्श का अभाव**– इन उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनसे सम्बन्धित परामर्श देने वाली संस्थाओं की भी कमी है।
11. **यातायात की समस्या** :-लघु उद्योगों के कच्चे माल व तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय है। यहाँ सड़कों के साथ परिवहन साधनों का भी अभाव है। जिस कारण कई किमी० तक पैदल चलना पड़ता है जिससे कच्चे माल की उपलब्ध दूर क्षेत्रों से होने के जहां उत्पादन लागत में वृद्धि होती है वही तैयार माल को बेचने के लिए अन्य स्थानों पर ले जाने में वस्तु का मूल्य ऊँचा हो जाता है। जो इन उद्योगों के लिए बड़ी समस्या है।
12. **विद्युत शक्ति की कमी**– लघु क्षेत्र उद्योगों को सस्ते दर पर बिजली न मिलने के कारण भी ये उद्योग दम तोड़ देते हैं। यद्यपि उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। फिर भी राज्य के

अनेक पर्वतीय क्षेत्र ऐसे हैं। जहाँ अभी तक उचित विद्युत व्यवस्था का अभाव है। जो क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। असमय बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या है। जो लघु उद्योगों के विकास मार्ग में एक बाधा है। क्योंकि उचित बिजली व्यवस्था ना होने के कारण ये उद्योग आधुनिक तकनीक को अपनाने में असमर्थ हैं जो एक बहुत बड़ी समस्या है।

13. **आर्थिक सुधारों तथा वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव**—1990 के दशक में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में कई प्रयास किए गए जैसे औद्योगिक लाईसेंसिंग की समाप्ति, आरक्षण में कमी, देशीय व विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्कों में कमी, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, इत्यादि। इन सुधारों का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई औद्योगिक क्षेत्रों (जैसे रसायन, रेशम, वाहनों के पुर्जे, खिलौने, खेल का सामान, जूता उद्योग आदि) में काम कर रही लघु इकाइयों को सस्ती व बेहतर आयातित वस्तुओं से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सबसे गंभीर खतरा चीन से आ रहे सस्ते आयातों से हैं जिनकी कीमत इतनी कम है कि लघु उद्योगों के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। आज के युग में बड़े उद्योगों यहाँ तक की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भी लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादनों की बिक्री में बाध पहुँचा रही है। क्योंकि बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ कम कीमत तथा उच्च गुणवत्ता के साथ आकर्षक पैकिंग में होती हैं जिससे उपभोक्ता आकर्षित होते हैं और लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तु की तुलना बड़े उद्योगों की वस्तुओं को खरीदा पसन्द करते हैं। जिससे लघु इकाइयों को हानि होती है।
14. **बिक्री सुविधाओं का अभाव** :—लघु उद्योगों की बिक्री व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। एक तरफ तो यातायात व कच्चे माल की समस्या के कारण इनके उत्पाद का मूल्य अधिक होता है। साथ ही यह उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में असमर्थ रहते हैं। जिससे बड़े उद्योग द्वारा निर्मित माल के साथ प्रतियोगिता में इनके उत्पाद टिक नहीं पाते हैं। कई बार तो बड़े उद्योगों द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण भी आगे की विपणन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है और इकाई को जारी रखना मुश्किल हो जाता है।
15. **लघु उद्योग में रुग्णता**—अस्वस्थ लघु इकाइयों के संदर्भ में दो मुख्य मुद्दे हैं — क. बहुत सी अस्वस्थ इकाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें चला पाना व्यवहार्य नहीं रह गया है। ख. ऐसी अस्वस्थ लघु इकाइयों का पुनर्वास जिन्हें दोबारा चला सकने की संभावना है। लघु उद्योग की रुग्णता की समस्या अत्यन्त गंभीर है।
16. **समुचित औद्योगिक नीति का अभाव** :—उत्तराखण्ड बनने से पहले यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अधीन था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए योजना की घोषणा तो की गई परन्तु उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास नहीं किये। यद्यपि उत्तराखण्ड की स्थापना के बाद सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। परन्तु उनके परिणाम अभी सामने आने बाकी हैं।
17. **अन्य समस्याएँ**— लघु क्षेत्र उद्योग के विकास में कई कारक बाधक हैं जैसे बाजार स्थिति के बारे में अपूर्ण जानकारी, प्रबन्धकीय एवं तकनीकी कौशल की कमी, परिवहन की सुविधाओं का अभाव, विज्ञापन की कमी, स्थानीय ऊँचे कर, सामान्य शिक्षा का अभाव, अनुसंधान की कमी, बीमार इकाइयों तथा उद्योगों के मध्य आपसी संगठन का अभाव आदि। इन उद्योगों के विकास के लिए जो एजेंसियाँ बनाई गयी हैं उनमें परस्पर सहयोग एवं तालमेल का अभाव है।

राज्य स्थापना के बाद लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न औद्योगिक नीति में अनेक व्यवस्थाएँ की गईं जैसे 2001 की नीति में इनके आधुनिकीकरण हेतु व्यवस्था की बात कही गई वर्ष 2003 की नीति में सरकारी खरीद में लघु उद्योग उत्पाद को प्राथमिकता देने की साथ, वित्तीय सहायता व ब्याज दर में रियायत की व्यवस्था की गई। वर्ष 2008 की विशेष औद्योगिक नीति में राज्य के 'ए' व 'बी' श्रेणी के जनपदों की लघु इकाइयों के लिए विशेष ब्याज

अनुदान प्रोत्साहन व्यवस्था, विपणन हेतु मेलों व प्रदर्शनियों के माध्यम से निःशुल्क व रियायती दरो की स्टॉल उपलब्ध करने की बात कहीं गई। 2015 में एक नवीन नीति लागू की गई। सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्था का लाभ लघु उद्यमी तक पहुँचने लगा है। लेकिन अभी पूर्ण व्यवस्था के सुधार में समय लगेगा। उम्मीद की जा सकती है कि लघु इकाईयाँ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

7.10 लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

लघु क्षेत्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग स्थानीय संसाधनों का दोहन करके रोजगार सृजन करते हैं तथा औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को रोकने में मदद करते हैं। इसलिए इनकी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. **कच्चे माल की आपूर्ति**— लघु क्षेत्र उद्योगों को सस्ते दर पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए।
2. **बाजार की सुविधाएँ**— इन उद्योगों के उत्पादित माल के लिए बिक्री एवं विपणन जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित होनी चाहिए। अतः इन उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए एक केन्द्रीय विक्रय संस्था की स्थापना की जानी चाहिए जो विभिन्न संस्थाओं से निश्चित प्रमाप के अनुसार माल तैयार कराएँ एवं बेचने की व्यवस्था करें।
3. **साख सुविधाएँ**— लघु उद्योगों को साख की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए तथा इनकी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए जिससे कि ये साहूकारों के चंगुल में न फँस सके।
4. **उत्पादन तकनीकी में सुधार**— अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन एवं कम कीमत पर इनको उपलब्ध कराना तभी सम्भव है जब ये उद्योग अपनी उत्पादन तकनीक में सुधार लाए। इन उद्योगों के तकनीकों में सुधार लाकर इन्हें बड़े उद्योगों के प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सकता है।
5. **लघु उद्योग प्रदर्शनियों** — लघु उद्योग के उत्पाद के लिए प्रदर्शनियों की व्यवस्था करनी चाहिए। इन प्रदर्शनियों को केवल बड़े नगर तक ही सीमित न रखकर देश के विभिन्न भागों में लगाया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ता इन उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें।
6. **विशाल एवं लघु उद्योगों में समन्वय** — लघु एवं वृहद उद्योगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कागज उद्योग में लुगदी बनाने का कार्य लघु उद्योग क्षेत्रों को तथा कागज बनाने का कार्य विशाल उद्योगों को सौंपा जा सकता है।
7. **औद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था**— लघु उद्योग के स्वामियों को एवं उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का सहजता से प्रयोग कर सकें। इन सबके लिए गांवों एवं कस्बों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना चाहिए।
8. **उपयुक्त उद्योग का चयन**— लघु उद्योग के विकास के लिए ऐसे उद्योगों को चुनना चाहिए जिनके भावी विकास की संभावनाएं अधिक हो और जो अन्ततः सक्षम ढंग से चलने वाले हो। उदाहरण के लिए उन उद्योगों का चयन करना चाहिए जिसमें कला कौशल की आवश्यकता हो, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करती हो, प्रत्यक्ष उपभोग की वस्तुएँ हो या बड़े उद्योगों के लिए आगत की वस्तुएँ तैयार करती हो, इत्यादि उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
9. **औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना**— लघु उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका कोई संगठन नहीं है। ये अपना कार्य अलग-अलग करते हैं। इन उद्योगों में लगे हुए लोगों को माल के खरीदने-बेचने में, उसके उत्पादन तथा ऋण आदि की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि ये लोग औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना कर ले और

इसके द्वारा संगठित होकर कार्य करें तो उत्पादन, बिक्री एवं कच्चे माल सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों अपने आप दूर हो सकती हैं।

10. **उच्च कोटि तथा नवीनतम डिजाइनों की वस्तुएँ** – इन लघु उद्योगों की उन्नति तभी संभव है जब ये उद्योग उच्च कोटि तथा नवीनतम डिजाइन की वस्तुओं का उत्पादन करें। इन उद्योगों के कारीगर कभी-कभी जानबूझकर घटिया किस्म का माल तैयार करते हैं। इससे लोगों का विश्वास इन उद्योगों से उठ जाता है और देश-विदेश की अनेक मण्डियाँ हाथ से निकल जाती है। इन सब कमियों को सरकार चाहे तो दूर कर सकती है। उच्चकोटी की शुद्ध वस्तुओं पर सरकारी मोहर लगाने की व्यवस्था करके। सरकारी मोहरों से चीजों की गुणवत्ता, कोटि एवं शुद्धता की गारण्टी हो जाती है। फलस्वरूप ये वस्तु बाजार में अपनी माँग बना लेते हैं।

लघु उद्योग का प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः ऐसे उपाय करना आवश्यक है जिससे संयुक्त रूप में सब कार्य एक योजना के आधार पर हो। यदि एक या दो ही कार्य को महत्त्व दिया गया तो लघु उद्योग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पायेंगे। यह भी ध्यान देना चाहिए कि लघु उद्योगों तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में प्रतियोगिता कम हो सके तथा इनमें समन्वय स्थापित हो सके। अगर समन्वय स्थापित करने में सफलता मिलती है तो देश में उत्पादन बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास होगा तथा रोजगार का सृजन होगा।

अभ्यास प्रश्न 2

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. लघु उद्योग आप का क्या आशय है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

.....
.....
.....
.....
.....

2. उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का महत्व स्पष्ट कीजिए ?

.....
.....
.....
.....
.....

3. उत्तराखण्ड में लघु उद्योग के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

.....
.....
.....
.....
.....

4. लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ।

7.12 शब्दावली

आर्थिक विकास— इस अभिप्राय अधिक उत्पादन के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थानात्मक व्यवस्था में हुए परिवर्तनों से है ।

श्रम प्रतिस्थापन — ऐसी व्यवस्था जहाँ श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा हो ।

सकल राष्ट्रीय उत्पादन— एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग से होता है ।

एकाधिकार — ऐसी व्यवस्था जहाँ किसी वस्तु की खरीदारी या बिक्री पर एक संस्था या व्यक्ति का ही अधिकार हो ।

अवमूल्यन— यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं । यह परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है ।

औद्योगिक विकास— उद्योगों के नियमित एवं क्रमिक विकास से लगाया जाता है जिनमें उद्योगों में धीरे धीरे नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता जाता है ।

वैश्वीकरण — ऐसी व्यवस्था जहाँ विश्व के सभी देशों में वस्तुएँ लाने ले जाने की आजादी हो ।

निवेश— पूँजी का वह भाग जो अतिरिक्त पूँजी उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है ।

मुद्रास्फीति— उस अवस्था को कहते हैं जब कीमतें बढ़ती है तथा मुद्रा का मूल्य कम होता है

7.13 अभ्यास प्रश्न के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

लघु उत्तरीय प्रश्न —

उत्तर 1. देखिए 7.3, 2. देखिए 7.4, 3. देखिए 7.5 ।

अभ्यास प्रश्न 2

लघु उत्तरीय प्रश्न —

6 उत्तर 1. 7.6 देखिए, 2. 7.7 देखिए, 3. 7.8 देखिए, 4. 7.9 देखिए, 5. 7.10 देखिए ।

सत्य/असत्य बताइये—

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य ।

7.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- बिष्ट डॉ० नारायण सिंह; (2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली.
- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.
- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.
- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.

- Mittal Surabhi, Gaurav Tripathi and Deepti Sethi; (July 2008) *Development Strategy for the Hill District Uttarakhand*. Working paper no. 217 ICRER, New Delhi.
- Bisht Major D.S.;(2008); '*Uttarakhand Today*'; Trishul Publication, Dehradun.

7.15 सहायक / उपयोग पाठ्य सामग्री

- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2016), सांख्यिकीय डायरी 2015–16, उत्तराखण्ड सरकार
- आर्थिक सर्वेक्षण(विभिन्न अंक),वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कुरुक्षेत्र (विभिन्न अंक), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- योजना (विभिन्न अंक) योजना आयोग, नई दिल्ली।
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2016 विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा।
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ।
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा।
- सविता मोहन (2017), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
- Website--Uttara.gov.in,censusindia.gov.in,indistricts.nic.in, doink.org.

7.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. लघु उद्योग से क्या आशय है ? उत्तराखण्ड स्थापना के बाद लघु उद्योगों की विकास की स्थिति पर प्रकाश डालिये।
2. ग्रामोद्योग से आप क्या समझते है ? उत्तराखण्ड में इनको किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है वर्णन कीजिए।
3. उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के विकास की प्रमुख समस्यायें क्या है ? विस्तार में बताईयें।
4. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का क्या योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ?
5. उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्यों का वर्णन कीजिये।

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 औद्योगिक नीति का आशय
- 8.4 उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीति 2001
- 8.5 उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीति 2003
- 8.6 उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीति 2008
- 8.7 औद्योगिक संरचना
- 8.8 उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना
- 8.9 उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना
- 8.10 सारांश
- 8.11 शब्दावली
- 8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 8.14 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री
- 8.15 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

आधुनिक उत्तराखण्ड में समाज और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह 15वीं इकाई है। पूर्व की इकाई से आप उत्तराखण्ड की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास, उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों, उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था और लघु व ग्रामीण उद्योगों का विकास किस दिशा में हो रहा है और उन उद्योगों को विकास हेतु किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

किसी भी राज्य में औद्योगिक विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार रियायतों व नियमों की घोषणा की जाती है। उत्तराखण्ड स्थापना के समय से अब तक सरकार ने तीन औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है। इस इकाई के दूसरे खण्ड में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2001, 2003 तथा 2008 में घोषित नीतियों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस इकाई में उत्तराखण्ड की औद्योगिक संरचना की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व तथा पश्चात् राज्य की औद्योगिक संरचना में किन उद्योगों का प्रमुख स्थान रहा है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको राज्य की औद्योगिक नीतियों में की गई घोषणाओं व रियायतों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी। साथ ही आप उत्तराखण्ड की सम्पूर्ण औद्योगिक संरचना को समझेंगे।

8.2 उद्देश्य


इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको :-

- समझा सकेंगे कि औद्योगिक नीति का क्या आशय है।
- औद्योगिक नीति 2001 की मुख्य विशेषताओं को बता सकेंगे।
- 2003 की नई नीति में उद्योगों को प्रदान की जानी वाली सुविधाओं से अवगत हो जायेंगे।
- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक नीति में परिवर्तन द्वारा रोजगार तथा आय के अवसर कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं।
- समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक संरचना का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है।
- 2008 में घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में पर्वतीय क्षेत्र को दी जाने वाली विशेष सहायता को स्पष्ट कर सकेंगे।
- बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड की औद्योगिक संरचना किस प्रकार की है और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं।
- उत्तराखण्ड में कार्यरत विभिन्न उद्योगों की संक्षिप्त विवेचना कर सकते हैं।
- उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना की चर्चा कर सकेंगे।
- उत्तराखण्ड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों की जानकारी प्रदान हो जायेंगी।

8.3 औद्योगिक नीति का आशय

किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उद्योग व्यावसायिक क्रिया का वह अंग है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति के साधन—भूमि, मजदूर, पूँजी एवं साहसी व संगठन के द्वारा किया जाता है। इन उद्योगों द्वारा उपभोक्ता पदार्थ एवं उत्पादन का पूँजीगत पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। उपभोक्ता पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसका उपभोग उपभोक्ता स्वयं करता है जबकि पूँजीगत पदार्थ अन्य वस्तुओं के उत्पादन में मदद करते हैं। वस्तुओं के उत्पादन में लगाये गये विभिन्न आगतों जैसे— मशीन, कच्चा माल, बिजली इत्यादि के प्रयोग को औद्योगिक विकास कहा जाता है। औद्योगिक विकास के द्वारा कुल उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है जो संवृद्धि दर में वृद्धि करता है तथा संसाधनों का भरपूर उपयोग करने में मदद करता है। छात्रों को

उद्योग सम्बन्धी क्रियाएँ एवं वाणिज्य सम्बन्धी क्रियाओं में अन्तर को समझना होगा। जो क्रियाएँ वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से सम्बन्ध रखती है उन्हें उद्योग सम्बन्धी क्रियाएँ कहते हैं। इसके विपरीत उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं के वितरण को वाणिज्यिक कहते हैं जैसे— व्यापार, बैंक, परिवहन तथा बीमा सेवाएँ आदि। इन क्रियाओं को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है —



प्राकृतिक उद्योग में मुख्यतः वे उद्योग आते हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक साधनों का विदोहन करके आवश्यक या आधारभूत वस्तु का उत्पादन किया जाता है। समुद्र व भूमि से पदार्थों को निकालना खनन कहलाता है। यह उद्योग के लिए कच्चे पदार्थ का काम करता है। कच्चे पदार्थों का रूप बदलकर वस्तुओं का निर्माण करना निर्माण उद्योग के अन्तर्गत आता है। उदाहरणार्थ— जूट, शक्कर, लोहा व इस्पात, कपड़ा इत्यादि उद्योग आते हैं। रचनात्मक उद्योग के अन्तर्गत पुल, बाँध, भवन व सड़क आदि शामिल किए जाते हैं।

औद्योगिक नीति की आवश्यकता

औद्योगिकरण प्रदेश के संसाधनों का भरपूर उपयोग कर आर्थिक और सामाजिक विकास करने में मदद करता है। उत्तराखण्ड जैसे प्रदेश में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में औद्योगिकरण के कार्य के संचालन के लिए औद्योगिक नीति की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है :

1. आधारभूत एवं भारी उद्योग की स्थापना बिना सम्यक नीति के नहीं कर सकते।
2. सामाजिक आधारिक संरचना जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के विकास के लिए।
3. आर्थिक आधारिक संरचना जैसे परिवहन, संचार इत्यादि का विकास।
4. निजी क्षेत्र को नियंत्रण करने व प्रोत्साहन करने के लिए।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी क्षेत्र नियोजन में निर्धारित दिशा की ओर ही अनुगमन करें, उनका विनिमय करना आवश्यक होता है।

घरेलू उद्योगों पर नीतियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण के युग में घरेलू उद्योगों को विदेशी उद्योगों से सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए नीति की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यह सुनिश्चित एवं विदेशी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। इन तीनों क्षेत्र के बीच परस्पर सम्बन्ध बनाए रखने हेतु औद्योगिक नीति की आवश्यकता पड़ती है।

औद्योगिक नीति से अर्थ सरकार की उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। वास्तव में औद्योगिक नीति से अभिप्राय सरकार की उस औपचारिक घोषणा से लिया जाता है। जिसमें सभी प्रकार के उद्योगों के प्रति अपनायी जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है।

वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड अस्तित्व में आया इससे पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा अन्य अनेक कारणों से उत्तराखण्ड क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद बड़े उद्योगों की दृष्टि में काफी पिछड़ा हुआ था। उत्तराखण्ड की स्थापना के पश्चात् राज्य सरकार ने प्रदेश के स्वावलम्बन हेतु औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों के विकास के लिए एक सुनिश्चित व योजनाबद्ध नीति की आवश्यकता महसूस की, इस दिशा में सरकार द्वारा 8 जुलाई 2001 को राज्य की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। इसके पश्चात् वर्ष 2003 में विस्तृत औद्योगिक नीति घोषित की गई और वर्ष 2008 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति घोषित की गई।

8.4 औद्योगिक नीति 2001

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सर्वप्रथम 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति घोषित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में तीव्रगति से औद्योगिक विकास हेतु ऐसा वातावरण तैयार करना था जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास को बढ़ाया जा सके। इस नीति के निर्माण में उद्योग संघों, सम्बन्धित सरकारी विभागों व गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, ताकि राज्य की शक्तियों व क्षमताओं के अनुरूप औद्योगिक विकास हेतु संरचना को तैयार किया जा सके, जिससे द्वारा तीव्र, सन्तुलित एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार थी :-

- राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगिक उत्पादन कार्य में अधिकाधिक उपयोग को बढ़ाना।
- उद्योग विकास हेतु बुनियादी सुविधाओं जैसे – सड़क, ऊर्जा, जल आपूर्ति, व दूर संचार में निवेश बढ़ाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्चेमाल व कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जिससे एकीकृत विकास योजनाओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सके, एवं बढ़ावा दिया जा सके।
- रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना, घरेलू उत्पाद एवं संसाधनों में वृद्धि करना।
- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी, जीव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं वन आधारित उद्योग, चाय उद्योग तथा सुगंधित पादप आधारित उद्योग के विकास पर जोर दिया जायेगा।
- राज्य के सभी क्षेत्रों के सन्तुलित औद्योगिक विकास एक विस्तृत रोड़ मैप तैयार किया जायेगा एवं इस हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय और सम्बन्धों को विकसित करना है।
- प्रति व्यक्ति आय के स्तर और जीवन स्तर को तीव्रता से बढ़ाना और नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करना।
- उत्तराखण्ड राज्य को विकास के उच्च सोपान पर ले जाने के लिए निजी क्षेत्र सहित विदेशी निवेशकों व अनिवासी भारतीयों को सहयोग हेतु आकर्षित करना।
- राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु विलुप्त होते जा रहें हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य ग्रामोद्योग के पुर्नजीवित करने, कच्चे माल की व्यवस्था और आधुनिकीकरण तथा विपणन हेतु व्यवस्था की जायेगी।
- पर्यटन को ' फोकस एरिया ' के रूप में विकसित करना।
- राज्य की खनिज सम्पदा का नियोजित एवं वैज्ञानिक विधि से दोहन करना।
- आधारभूत सुविधाओं का विस्तार व विकास करने के अन्तर्गत देहरादून से नैनीताल के बीच एक्प्रेस हाईवे के विकसित करने की बात कहीं गई, साथ ही वायु यातायात को बढ़ावा देने हेतु हवाई अड्डों के साथ-साथ छोटी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाए तथा दूर संचार तकनीकी व्यवस्था में सुधार व विस्तार के प्रयास की बात कहीं गई।

- राज्य में उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास के साथ मजबूत विपणन सुविधाओं के विस्तार की बात कही गई।
- औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जायेगा।

8.5 औद्योगिक नीति 2003

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नैनीताल प्रवास के दौरान मार्च 2002 की घोषणा की कि उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जायेगा ताकि राज्य के उद्योगोंकी प्रगति में बाधाओं को दूर किया जा सकेगा जिसको औपचारिक रूप से दिनांक 7 जनवरी 2003 को घोषित किया। इस पैकेज के सन्दर्भ में तथा नये उद्यमियों द्वारा दर्शायी गयी रूचि तथा आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा एक नई औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

इस नीति का निर्माण करते समय राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता, विद्युत ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता, पर्यटन की सम्भावना, खाद्य प्रसंस्करण एवं फल क्षेत्रों की उपलब्धता, राज्य के विभिन्न प्रमुख संस्थाओं की उपलब्धता की क्षमता को ध्यान में रखा गया। नई औद्योगिक नीति 2003 के रूप में जानी जायेगी तथा पांचवर्षों तक प्रभावी रहेगी की नीति को प्रमुख परिकल्पना निम्न प्रकार है—

- राज्य में विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करना।
- एक खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था लागू करना जिससे औपचारिकताओं में लगने वाले समय की बचत हो तथा निवेशकों हेतु मैत्री पूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जायेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निवेश एवं आधारभूत सुविधा समिति की स्थापना की जायेगी। जिला स्तर पर एकल खिड़की निकासी प्रक्रिया के सहायतार्थ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।
- पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।
- औद्योगिक इकाइयों एवं अवस्थापना सुविधा हेतु त्वरित गति से भूमि व्यवस्था की व्यवस्था करना।
- श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए श्रम कानूनों का सरलीकरण किया जायेगा जिससे औद्योगिकरण हेतु उचित वातावरण तैयार हो सके और उद्यमियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
- विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, वितरण तथा पारेषण के सुदृढीकरण हेतु निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- राज्य में स्थापित होने वाले लघु उद्योगों के आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले क्रय-विक्रय में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी। बीमार लघु इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्जीवन की व्यवस्था की जायेगी।
- औद्योगिक आस्थानों, विकास केन्द्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, पर्यटन अवस्थापना सुविधा, नये पर्यटक स्थलों के विकास, हवाई अड्डों, सड़को, जैव प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में प्रबन्धन हेतु निजी सहभागिता को बढ़ावा दिया जायेगा।
- अन्य राज्य के उत्पाद की तुलना में भी उत्तरांचल राज्य में उत्पादित लघु इकाइयों के उत्पादन को वरीयता दी जायेगी।
- राज्य में नये सूर्योदय उद्योगों तथा उच्च तकनीकी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड में पैकिंग, छटाई, प्रसंस्करण, प्री-कूलिंग, कोल्ड चैन तथा विपणन जैसी सामान्य सुविधाओं वाले फ्लोरीकल्चर पार्कों के विकास पर जोर दिया गया।
- चाय की खेती का महत्व समझते हुए इसके विस्तारीकरण एवं चाय रोपाई के सघन प्रयास किया जायेगा।

- गैर काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे कि बांस, लीसा, दियासलाई, कागज आधारित उत्पाद, प्लाई बोर्ड, फर्नीचर, खिलौना, पेन्सिल आदि को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- उत्तरांचल में हर्बल, औषधीय पौधों तथा सुगन्धीय पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का भण्डार है। इसलिए सरकार इनके शोध व विकास में सहायता देकर इसके वैज्ञानिक उत्पादन हेतु संविदा खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास हेतु माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक वैधानिक शीर्ष संस्था "उत्तरांचल पर्यटन परिषद" का गठन नई पर्यटन इकाइयों को प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए विलासिता कर में छूट प्रदान की जायेगी। रोप-वे की स्थापना पर पांच वर्ष तक मनोरंजन कर में छूट तथा नय मनोरंजन पार्को के पूर्ण रूप से स्थापित होने पर पांच वर्ष तक मनोरंजन कर से छूट प्रदान की जायेगी।
- सूचना तकनीकी एवं सम्बन्धित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया, देहरादून में एक समर्पित आईटी0 पार्क स्थापित किया जा रहा है तथा राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी आईटी0 पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है।
- औद्योगिक नीति 2003 का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसर को बढ़ावा देना है। इसलिए स्वरोजगार अवसर, उद्यमिता विकास, औद्योगिकरण तथा पूरक इकाइयों का विकास एवं कौशल संवर्धन को प्रोत्साहित कर रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे। युवकों में उद्यमिता विकसित करने हेतु राज्य के औद्योगिक एवं तकनीकी संगठनों की सहायता से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

8.6 औद्योगिक नीति 2008

राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 1 अप्रैल 2008 को विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 लागू की गई। यह नीति दिनांक 1 अप्रैल 2008 से लागू होकर दिनांक 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। इस नीति में निम्न प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया :-

- इस नीति में दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों को श्रेणी 'ए' तथा श्रेणी 'बी' में वर्गीकृत किया गया। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को हरित तथा नांरगी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।
- नये उद्योगों को कार्यशाला, भवन निर्माण, मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों में किये गये अंचल पूंजी निवेश पर जो 1 अप्रैल 2008 के पश्चात् स्थापित हो रहे हैं श्रेणी 'ए' के जनपद/क्षेत्र में 25 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख रुपये तथा श्रेणी 'बी' के जनपद/क्षेत्र में 20 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- औद्योगिक इकाइयों को भूमि का आवंटन में प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा, भूखण्ड पट्टे पर लेने अथवा क्रय करने पर पंजीकरण शुल्क से पूर्णतया छूट दी जायेगी। जो पर्वतीय क्षेत्र में निजी औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ रखी गई है।
- लघु इकाइयों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज दर में श्रेणी 'ए' के क्षेत्र में कुल ब्याज दर पर 6 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा श्रेणी 'बी' के क्षेत्र में सामान्य ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
- नीति के तहत चिन्हित औद्योगिक गतिविधियों के लिए उद्योग स्थापना की तिथि से 10 वर्ष तक विद्युत बिलों में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें फल संरक्षण, जड़ी-बूटी आधारित उद्योगों व स्थानीय उत्पादों को विशेष महत्व दिया जायेगा। जहाँ विद्युत खपत अधिक है जैसे- होटल, मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि वह इस छूट के पात्र नहीं होंगे।
- श्रेणी 'ए' के जनपदों में कुल कर देयता के 90 प्रतिशत तथा श्रेणी बी के जनपदों में 75 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जायेगी।

- भारत सरकार की केन्द्रीय परिवहन अनुदान योजना 1972 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने, तथा उत्पादित कच्चे माल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी इकाईयों को उनके कुल वार्षिक बिक्री के आधार पर श्रेणी 'ए' के क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तथा श्रेणी 'बी' के क्षेत्रों में 3 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जायेगी।
- नीति में मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो, को विशेष सुविधाएं दी जायेगी। पर्वतीय क्षेत्र के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु अंचल पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
- पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को स्वतः उद्यम की ओर प्रेरित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन पर विशेष वित्तीय तथा शैक्षिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गई। इसमें आवश्यकतानुसार शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण कार्य को प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान किया गया। आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों / विश्व विद्यालयों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सामान्य सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चुने हुए स्थानों पर औद्योगिक कार्यशाला को सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में संचालित किया जायेगा। केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चे माल पर आधारित जैसे— चीड़ की पत्ती, रामबांस व अन्य रेशों, फल व सब्जी, जड़ी-बूटी आदि के शोधन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण के लिए शोध व विकास करने पर सहायता प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण पर किए गये व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी।
- उद्यमियों को उनके उत्पादन के विपणन संवर्द्धन हेतु प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही मेलों व प्रदर्शनीय में भाग लेने हेतु जनपद से बाहर यात्रा करने पर यात्री किराये की प्रतिपूर्ति तथा माल परिवहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
- इस नीति में दी गई रियायतों को समयानुसार लागू करने से जहां उद्यमों को लाभ होगा वही प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास को गति मिलेगी जो राज्य का औद्योगिक भविष्य निर्धारित करेगी।

अभ्यास प्रश्न 1

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2. उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीति 2001 प्रमुख विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

.....

.....

.....

3. उत्तराखण्ड की नवीन औद्योगिक नीति 2003 प्रमुख पर संक्षिप्त नोट लिखिए ?

में एचएमटी आदि। उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है

इंजीनियरिंग उद्योग :-राज्य की आधारशिला को मजबूत करने में इंजीनियरिंग उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उद्योग निदेशालय द्वारा छोटे-छोटे कृषि औजार, उद्यान संबंधी संयंत्र व औजार, ऑटो मोबाइल रिपेरिंग मशीनरी रिपेरिंग वर्कशॉप, कील, स्क्रू बनाने की इकाइयाँ आदि को इंजीनियरिंग उद्योग में सम्मिलित किया गया है।

तालिका (15.1) पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियरिंग इकाइयों की प्रगति

क्र०सं०	जनपद	1988-99	1994-95	2000 तक
1.	उत्तरकाशी	161	207	257
2.	चमोली	67	107	159
3.	टिहरी	13	86	123
4.	पौड़ी	47	598	688
5.	छेहरादून	08	48	102
6.	गढ़वाल मण्डल	296	1036	1319
7.	अल्मोड़ा	109	468	503
8.	पिथौरागढ़	13	02	01
9.	नैनीताल	606	1248	1348
10.	कुमाऊं मण्डल	728	1717	1851
	पर्वतीय क्षेत्र	1024	2753	3171

स्रोत- सांख्यिकीय डायरी पर्वतीय प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन (1991) सांख्यिकीय डायरी, उत्तरांचल (2000) उत्तरांचल प्रभाग

उत्तराखण्ड में यद्यपि इनकी सीमित संख्या थी, जिनका विवरण तालिका (15.1) में दिया गया है। तालिका का विश्लेषण करने पर पता चलता है, कि सर्वाधिक इकाइया नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में थी जो वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में है। जबकि 1988-89 से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक प्रगति पौड़ी जिले में रही वहां इस दौरान इनकी संख्या 47 से बढ़कर 598 हो गई अर्थात् 551 नई इकाइयाँ स्थापित हुईं। जो वर्ष 2000 में बढ़कर 688 हो गईं। जबकि पिथौरागढ़ की स्थिति इसके विपरीत रही वहाँ इस दौरान अधिकांश इकाइयाँ बन्द हो गई थी और 1988-89 की 13 इकाइयाँ से संख्या घटकर 2000 में एक रह गई थी। यद्यपि पूरे पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति पर नजर डाले तो 1988-89 से 2000 के दौरान इन इकाइयों की वृद्धि दर 30प्रतिशत रही, जो प्रगति की सूचक थी।

रासायनिक उद्योग :-यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक रासायनिक उद्योग स्थापना हेतु पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध था फिर भी इन इकाइयों की संख्या सीमित ही थी, क्योंकि लीसा, कत्था, लाख, जड़ी बूटियाँ, फल-फूल वनस्पतियाँ की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी रासायनिक उद्योगों का विकास नहीं हो सका।

तालिका (15.2) में रासायनिक इकाइयों की प्रगति

क्र०सं०	जनपद	1988-99	1994-95	2000 तक
1.	उत्तरकाशी	13	13	13
2.	चमोली	06	17	18
3.	टिहरी	10	10	10
4.	पौड़ी	20	47	49
5.	छेहरादून	10	01	01
6.	गढ़वाल मण्डल	59	88	91
7.	अल्मोड़ा	80	177	187

8.	पिथौरागढ़	11	00	00
9.	नैनीताल	259	458	462
10.	कुमाऊं मण्डल	350	635	649
	उत्तराखण्ड	409	723	740

स्रोत— सांख्यिकीय डायरी पर्वतीय प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन (1991) सांख्यिकीय डायरी, उत्तरांचल (2000) उत्तरांचल प्रभाग पाया।

यद्यपि कुछ क्षेत्रों व जनपदों में इस उद्योग का विकास हुआ, परन्तु पर्यावरण सुरक्षा के लागू होने से ये प्रभावित हुए और अनेक इकाईयाँ बन्द कर दी गईं 1988-89 से 2000 के दौरान इन उद्योगों की स्थिति को तालिका (15.2) में प्रदर्शित किया गया है। जिससे पता चलता है कि 1988-89 से 2000 के दौरान यद्यपि पर्वतीय क्षेत्र में इन उद्योगों की इकाईयों की संख्या में वृद्धि हुई और यह 409 से बढ़ कर 740 हो गई परन्तु देहरादून व पिथौरागढ़ की अनेक इकाईयाँ इस दौरान किन्हीं कारणों से बन्द हो गईं और इनमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। जबकि चमोली में इस दौरान इकाईयों में वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर गढ़वाल क्षेत्र की तुलना में कुमाऊं मण्डल में यह प्रगति सन्तोष जनक रही।

औद्योगिक अस्थान :-उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु तत्कालीन उत्तराखण्ड प्रभाग में उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ में एक-एक औद्योगिक अस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी गई, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य 1961 से आरम्भ हुआ। वर्ष 2000 तक पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल में अनेक औद्योगिक अस्थान बनाये गये जिनका विवरण तालिका में दिया गया है।

तालिका (15.3) जनपदवार बड़े औद्योगिक संस्थान

क्र० सं०	जनपद	औ० क्षेत्र की संख्या	कार्यरत शेड की संख्या	कार्यरत प्लांट की संख्या	औसत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
1.	पौड़ी	3	7	17	115
2.	देहरादून	2	22	18	500
3.	गढ़वाल मण्डल	5	29	35	615
4.	अल्मोड़ा	2	—	2	15
5.	नैनीताल	3	18	46	968
6.	कुमाऊं मण्डल	5	18	48	983
7.	पर्वतीय क्षेत्र	10	47	83	1598

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, अर्थ एवं संख्या विभाग, गढ़वाल तथा कुमाऊं (1995)

तालिका (15.3) के विश्लेषण से पता चलता है कि प्लांट स्थापना में नैनीताल जनपद सबसे आगे रहा जहां औसत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या भी सर्वाधिक रही दूसरा स्थान देहरादून का रहा जहा 22 शेड तथा 18 प्लांट स्थापित हुए तीसरा स्थान पौड़ी का रहा।

तालिका (15.4) में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा उपयोगिता की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। जिससे पता चला है वास्तव में कुल स्थापित औद्योगिक अस्थान में से 50 प्रकाशित ही पूर्ण विकसित है। जबकि सरकार ने बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश कर इनकी स्थापना की थी। पौड़ी के गंगनाली श्रीकोट, पिथौरागढ़ के विण, बागेश्वर का गरुड़, बैजनाथ तथा ऊधम सिंह नगर का काशीपुर बंजर पड़े थे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को प्रदेश में छोटे आस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु पर्वतीय विकास विभाग द्वारा कार्य सौंपा गया। जिसके फलस्वरूप निगम ने इन क्षेत्रों में

तालिका (15.4) जनपदवार बड़े औद्योगिक आस्थानों की स्थिति (मार्च 2000)

क्र० सं०	जनपद	औद्योगिक आस्थानों का नाम व स्थान	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	लागत (लाख रू०)	उपयोग की स्थिति
1.	पौड़ी गढ़वाल	सिबातपुर, कोटद्वार	1965	7.00	8.17	विकसित
		गंगनाली श्रीकोट, श्रीनगर	1980	11.63	6.29	अविकसित
2.	छेहरादून	पटेलनगर	1964	10.00	14.77	विकसित
		विकासनगर	1964	4.00	1.38	विकसित
3.	अल्मोड़ा	पाताल देवी	1961	3.30	8.83	अर्द्धविकसित
4.	बागेश्वर	गरुड़, बैजनाथ	1885	0.50	16.67	अविकसित
5.	पिथौरागढ़	विण	1985	7.00	35.95	अविकसित
6.	नैनीताल	भीमताल	1962	7.00	3.10	विकसित
7.	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर	1976	12.43	4.35	विकसित
		काशीपुर	1975	20.00	7.24	विकसित
	पर्वतीय क्षेत्र	10	—	82.86	106.75	

स्रोत— विकास आयुक्त कार्यालय, श्रीकोट (श्रीनगर गढ़वाल)।

तालिका (15.5) राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

क्र० सं०	जनपद	स्थान का नाम	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	उपयोग की स्थिति
1.	चमोली	सिमली	—	28.58	अर्द्धविकसित
2.	टिहरी—गढ़वाल	ढालवाल	—	31.75	विकसित
3.	पौड़ी—गढ़वाल	बलभद्रपुर, कोटद्वार	1984	27.25	विकसित
		जसोधरपुर, कोटद्वार	1989	81.90	अर्द्धविकसित
4.	छेहरादून	महोबेवाला	—	59.00	विकसित
		सेलाकुई	—	237.00	विकसित
		लांघा रोड	—	78.85	अर्द्धविकसित
		रानी पोखरी	—	41.25	अर्द्धविकसित
		लाल तप्पड़	—	39.60	विकसित
		श्यामपुर	—	97.00	अर्द्धविकसित
5.	अल्मोड़ा	मोहान	—	49.00	अर्द्धविकसित
6.	नैनीताल	भीमताल	—	102.85	विकसित
		कानिया	—	10.00	अर्द्धविकसित
7.	ऊधमसिंहनगर	पीपलसाना	—	30.00	विकसित
		बाजपुर, साइड — 1	—	33.97	विकसित
		बाजपुर, साइड — 2	—	43.19	विकसित

		खटीमा	—	25.00	अर्द्धविकसित
		काशीपुर	—	97.25	विकसित
	पर्वतीय क्षेत्र	18		1112.84	

स्रोत : विकास आयुक्त, श्रीकोट (श्रीनगर – गढवाल)(मार्च 2000)

औद्योगिक संस्थानों की स्थापना का कार्य किया, जिसका विवरण तालिका (15.5) में दिया गया है निगम द्वारा कुल 18 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिसमें से देहरादून में 6, ऊधमसिंहनगर में 5, नैनीताल और पौड़ी में 2-2 तथा चमोली, टिहरी तथा अल्मोड़ा में 1-1 क्षेत्र स्थापित किये गये, जिनका कुलक्षेत्रफल 1112.84 एकड़ था। लेकिन इनमें से मात्र 10 ही विकसित हुए जबकि शेष 8 अर्द्धविकसित ही रहे।

8.9 उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना

अलग राज्य बनने के बाद प्राकृतिक और मानव संसाधनों के बेहतर प्रयोग द्वारा उत्तराखण्ड ने औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत की है। प्रमुख जिले एवं उनमें स्थापित उद्योग का विवरण तालिका 15.6 में व्यक्त किया गया है।

तालिका 15.6 प्रमुख उद्योगों का जिलावार विवरण

जिला	प्रमुख उद्योग
देहरादून	हैवी मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक्स, औषधि निर्माण।
हरिद्वार	आटोमोबाइल निर्माण, आटोमोबाइल पार्ट निर्माण, एफएमसीजी, हैवी मशीनरी, औषधि निर्माण, पैकिंग सामान, टेक्सटाइल, स्टील, ग्लासबेयर, प्लास्टिक।
उधम सिंह नगर	आटोमोबाइल निर्माण, आटोमोबाइल पार्ट निर्माण, एफएमसीजी, हैवी मशीनरी, औषधि निर्माण, पैकिंग सामान, टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रानिक्स, कारपेट, कनटेनर।
पौड़ी गढवाल	इलेक्ट्रानिक्स, स्टील बार निर्माण।
नैनीताल	इलेक्ट्रानिक्स, पेपर, एलपीजी बाट लिंग प्लांट।

पिछले 16 वर्षों की निवेश की स्थिति पर नजर डालें, तो उत्तराखण्ड निवेशकों के लिए पंसदीदा स्थान बनकर सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2016 तक राज्य में लगभग 8.3 करोड़ डालर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो चुका था। जिसमें सबसे ज्यादा निवेश बिजली उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में हुआ। नये राज्य के निर्माण के बाद उत्तराखण्ड में निवेश व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को 1 अप्रैल 2001 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में सिडकुल, उत्तराखण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड तथा उत्तराखण्ड उद्योग संघ की स्थापना की गई और 2003 में कर छूट जैसी नीतियों के कारण राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार में तेजी आई। पंतनगर, रुद्रपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, सितारगंज आदि क्षेत्र नये औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए जिनका विवरण तालिका (15.7) में दिया गया है। राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र की संख्या हरिद्वार में स्थित है, जहाँ कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोबाइल निर्माण, आटोमोबाइल पार्ट निर्माण, एफएमसीजी, हैवी मशीनरी, औषधि निर्माण, पैकिंग सामान, टेक्सटाइल, स्टील, ग्लासबेयर, प्लास्टिक तथा इंजीनियरिंग आदि उद्योगों की तेजी से स्थापना हुई। इसके बाद उधम सिंह नगर है, जहाँ आटोमोबाइल निर्माण, आटोमोबाइल पार्ट निर्माण, एफएमसीजी, हैवी मशीनरी, औषधि निर्माण, पैकिंग सामान, टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रानिक्स, कारपेट, कनटेनर आदि उद्योगों की तेजी से स्थापना

हुई। देहरादून जिले में स्थापित प्रमुख उद्योग हैवी मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक्स, औषधि निर्माण। पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थापित प्रमुख उद्योग इलेक्ट्रानिक्स, स्टील बार निर्माण है। नैनीताल जिले में स्थापित प्रमुख उद्योग इलेक्ट्रानिक्स, पेपर, एलपीजी बाट लिंग प्लांट।

तालिका (15.7) उत्तराखण्ड के औद्योगिक एस्टेट का विवरण

क्र० सं०	औद्योगिक एस्टेट का नाम	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, हरिद्वार	दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किमी० तथा देहरादून से 52 किमी०	2034
2.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, पन्तनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर तथा देहरादून से 300 किमी०	3339
3.	फार्मा सिटी, सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून	देहरादून से 25 किमी०	50
4.	सिगादी विकास केन्द्र, पौड़ी	देहरादून से 120 किमी० तथा दिल्ली से 200 किमी०	100
5.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर	दिल्ली से 300 किमी०	1200
6.	आईटी पार्क, देहरादून	सहस्रधारा रोड, देहरादून	60

Source: www.sidcul.com

एकीकृत औद्योगिक एस्टेट में उद्योग स्थापना हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक रियायतें दी जाती हैं, जैसे— 10 वर्ष तक के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पादन कर में छूट, 5 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत आयकर छूट और अगले 5 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत छूट, 5 वर्ष के लिए 1 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय बिक्री कर (CST) तथा पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 30 लाख रुपये तक) की व्यवस्था की गई। आईटी पार्क देहरादून के भीतर ही 22 अगस्त 2006 को दून साइबर टावर की स्थापना की गई है। जो 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ आईटी सुविधाओं के लिए निवेशकों के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। जिस पर 87 करोड़ रुपये का खर्च आने की सम्भावना है। फार्मा सिटी, सेलाकुई, देहरादून में फार्मा कम्पनियों की स्थापना प्रमुखता से हुई। जबकि हरिद्वार, पन्तनगर तथा सितारगंज (ऊधमसिंहनगर) के एकीकृत औद्योगिक एस्टेट में अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने औद्योगिक संस्थान स्थापित किये हैं।

तालिका (15.8) जनपदवार कार्यरत मध्यम एवं वृहद् उद्योगों की स्थिति

क्र० सं०	जनपद	वर्ष 2000 में कार्यरत इकाइयां			वर्ष 2015 में कार्यरत इकाइयां		
		संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रु०)	रोजगार	संख्या	रोजगार	औद्योगिक क्षेत्र की संख्या
1.	नैनीताल	4	1233.84	3166	17	4092	06
2.	उधमसिंहनगर	22	1555.83	9103	137	31390	21
3.	छेहरादून	6	153.38	2886	64	4686	16
4.	पौड़ी	2	66.94	763	3	859	02
5.	हरिद्वार	5	1824.27	12461	170	57409	38
6.	बागेश्वर	1	10.15	460	1	460	05

7.	अल्मोडा				8	659	07
----	---------	--	--	--	---	-----	----

स्रोत— उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून <http://www.ibef.org/download/uttarakhand-14oct-08.pdf>

उत्तराखण्ड गठन के समय राज्य में कार्यरत वृहद् उद्योगों की संख्या मात्र 40 थी जो फरवरी 2015 में बढ़कर 400 हो गई है, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश हो चुका है तथा 99555 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य स्थापना के समय तथा 2015 की स्थिति को तालिका (15.8) में प्रदर्शित किया गया है। तालिका (15.8) से पता चलता है, कि राज्य स्थापना के समय मात्र 40 वृहद् उद्योग ही स्थापित थे जिसमें 4844 रुपये पूंजी निवेश था जबकि राज्य स्थापना के बाद इनकी संख्या में तेजी में वृद्धि हुई और यह दस गुना से भी अधिक बढ़ कर 400 हो गई।

इकाई स्थापना की दृष्टि से ऊधमसिंह नगर का स्थान प्रमुख रहा, जबकि पूंजी निवेश तथा रोजगार उपलब्ध कराने में हरिद्वार प्रमुख रहा। राज्य स्थापना के पश्चात् अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इकाइयाँ उत्तराखण्ड में स्थापित हुई जिनका विवरण तालिका (15.9) में दिया गया है।

तालिका (15.9) उत्तराखण्ड में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का विवरण

क्र० सं०	उद्योग	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	स्थान	अनुमानित लागत
1.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2005	IIE पन्तनगर	
		नेस्ले इण्डिया लिमिटेड	2006	IIE पन्तनगर	
		पेप्सीको	1997	बाजपुर, उधमसिंहनगर	
		केएलए इण्डिया पब्लिक लि०	1977	रुद्रपुर, उधमसिंहनगर	
2.	एफएमसीजी उद्योग	आईटीसी लि०	2007	IIE हरिद्वार	
		केविन केयर प्रा०लि०	2006	IIE हरिद्वार	
		हिन्दुस्तान यूनी लिवर लि०	2004	IIE हरिद्वार	
		डाबर इण्डिया लि०	2001	IIE पन्तनगर	
3.	सूचना एवं संचार उद्योग	एच०सी०एल० एंफोसिस्टम	—	रुद्रपुर	—
		विप्रो इंफोटेक	—	कोटद्वार	—
		हिल्ट्रॉन	—	छेहरादून	—
		सिमकॉम सॉल्यूशन्स	2000	छेहरादून	—
4.	इंजीनियरिंग उद्योग	भेल	1962	हरिद्वार	—
		सूर्या	1984	काशीपुर नैनीताल	
		एल एण्ड टी	—	हरिद्वार	
		हैवल्स इण्डिया लि०	—	IIE हरिद्वार	
		पोलर इंडस्ट्रीज लि०	—	IIE हरिद्वार	
5.	वाहन निर्माण उद्योग	हीरो होडा,	2008	हरिद्वार	
		टाटा मोटर्स	2007	IIE पन्तनगर	
		अशोक लीलैण्ड	2010	पन्तनगर	

		महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	2006	IIE हरिद्वार	
6.	अन्य उद्योग	एटलस साईकिल लि0	—	हरिद्वार	
		एल0जी0 इलैक्ट्रॉनिक्स		सेलाकुई, देहरादून	
		सेंचूरी टैक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज	1984	लालकुआं नैनीताल	
		यूरेका फॉर्बर्स	1982	भीमताल, नैनीताल	

स्रोत—http://www.ibef.org/download/uttarakhand_14oct_08.pdf.

इस प्रकार हम देखते हैं कि एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर जिला का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों का प्रमुख स्थान बनता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आईटी पार्क, एग्रो पार्क व खाद्य पार्क बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है। भीमताल में एक आईटी इक्विवेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। देहरादून, पंतनगर और रूड़की में भी आईटी पार्क विकसित किए जाने की योजना है। देहरादून में विश्व में पहले माईक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी की स्थापना की गई है।

इस प्रकार राज्य का औद्योगिक ढाँचा तीव्र गति से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य में समुचित औद्योगिक वातावरण का विकास हो रहा है, साथ ही अन्य सुविधाओं जैसे, सस्ती बिजली, करो में छूट, सस्ते श्रम आदि के कारण अन्य निवेशक भी उत्तराखण्ड में निवेश हेतु प्रयास कर रहे हैं। जो प्रदेश की औद्योगिक संरचना के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न 2

लघुउत्तरीय प्रश्न—

1. उत्तराखण्ड की स्थापना में पूर्व में कार्यरत उद्योगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. उत्तराखण्ड गठन के बाद की औद्योगिक संरचना की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. उत्तराखण्ड के औद्योगिक एस्टेट की संक्षिप्त विवरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

8.10 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं कि उत्तराखण्ड के निर्माण के पश्चात प्रदेश सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन की स्थापना की। नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहली

औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को घोषित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण सहित तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना था। इसके लिए नीति में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन, संतुलित विकास, विदेश निवेश प्रोत्साहन की बात कही गयी। जिससे प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर में वृद्धि हो। राज्य की वास्तविक औद्योगिक नीति 2003 में घोषित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को विकास हेतु समन्वित कार्यक्रम उपलब्ध कराना था। जिससे राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो और रोजगार को बढ़ावा मिले। इस नीति में औद्योगिक विकास हेतु एकल खिड़की व्यवस्था, श्रम कानून सरलीकरण, उचित ऊर्जा व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, लघु हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग विकास व्यवस्था, पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्र विकास व्यवस्था, कृषि तथा वन आधारित उद्योग विकास, पर्यटन बढ़ावा, सूचना प्रौद्योगिकी विकास सहित मानव संसाधन विकास द्वारा रोजगार वृद्धि की बात कही गई। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 1 अप्रैल 2008 को एक विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 की घोषणा की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापना एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों को 'ए' तथा 'बी' श्रेणी तथा उद्योगों को हरित तथा नांरगी श्रेणी में बाटा गया। राज्य में पूंजी निवेश तथा विशेष राज्य परिवहन अनुदान में 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के लिये विशेष रियायतों की व्यवस्था की गई। विद्युत बिलों में छूट, बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, मेगा प्रोजेक्ट स्थापना हेतु वित्तीय सहायता तथा स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना की बात कही गयी। साथ ही नीति में विपणन सहायता, उद्यमिता विकास व प्रशिक्षण व्यवस्था तथा भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन हेतु अनेक रियायतों की व्यवस्था की गई। यह नीति 31 मार्च, 2008 तक लागू रहेगी। नई औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाकर अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बनाया गया।

इस इकाई के दूसरे भाग में राज्य की औद्योगिक संरचना की जानकारी दी गई है। औद्योगिक संरचना से अभिप्राय उद्योगों के स्वरूप और ढाँचे से लगाया जाता है जो किसी समय एक देश या राज्य में विद्यमान है। उत्तराखण्ड के अस्तित्व में आने से पूर्व इसके औद्योगिक स्वरूप में परम्परागत, लघु व मध्यम उद्योगों की प्रमुखता थी और राज्य में कुछ मैदानी क्षेत्रों में ही कुछ वृहद् उद्योग कार्यरत थे। उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना में मुख्य रूप से कृषि, वन तथा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उद्योगों जैसे— घराट उद्योग, चमड़ा व जूता उद्योग, काष्ठकला उद्योग, हस्त निर्मित कागज उद्योग, रेशा उद्योग, रिंगाल बर्तन उद्योग, मधुमक्खी पालन, जड़ी-बूटी आधारित उद्योग, लौहारगिर, लीसा उद्योग, स्वर्णकारी उद्योग तथा मध्यम उद्योगों की ही प्रमुखता थी। पर्वतीय क्षेत्रों में यद्यपि अनेक औद्योगिक आस्थानों व क्षेत्रों की स्थापना की गई, लेकिन इसमें से अधिकांश अर्द्धविकसित, अविकसित तथा अनुपयोगी ही रहे, जिससे विकास की गति धीमी हो रही।

उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् राज्य में सिडकुल, उत्तराखण्ड उद्योग संघ, तथा टैक्स हॉलीडे की नीतियों के कारण तेजी से नये-नये औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई। एकीकृत औद्योगिक एस्टेट पन्तनगर, हरिद्वार, सितारगंज में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी इकाईयां स्थापित की और स्थापना के समय वृहद् उद्योगों की कुल संख्या मात्र 40 थी, जो फरवरी 2011 में बढ़कर 211 हो गई। राज्य स्थापना के बाद ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी, हिन्दुस्तान यूनीलीवर, डाबर इण्डिया, हीरो हांडा, टाटा मोटर्स, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, अशोक लीलैण्ड, एटलस साइकिल्स, एलजी इलैक्ट्रानिक्स, एससीएल, विप्रो इंफोटेक, हिल्ट्रान तथा केविन केयर जैसी अनेक कम्पनियों ने अपने संस्थान उत्तराखण्ड में स्थापित किये। जिससे राज्य का औद्योगिक स्वरूप ही परिवर्तित होता जा रहा है। अब राज्य तीव्र गति से विकास के पथ पर बढ़ रहा है।

8.11 शब्दावली

पूँजीवाद—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है और यह बाजार पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है।

समाजवाद— समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर समाज का अधिकार होता है। केन्द्रीय नियोजन इसकी प्रमुख शर्त होती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था — मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन के अनुरूप सामाजिक प्राथमिकताओं और निजी क्षेत्रों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं।

साम्यवाद — साम्यवाद का प्रमुख सिद्धान्त है— 'प्रत्येक को क्षमतानुसार कार्य करना चाहिए एवं आवश्यकता के अनुरूप उपभोग करना चाहिए।'

आधारभूत उद्योग — आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों की स्थापना में मदद करते हैं।

सामाजिक संरचना — सामाजिक संरचना के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास आदि शामिल हैं।

संवृद्धि —संवृद्धि प्रति व्यक्ति आय से सम्बन्ध रखती है।

सतत विकास — स्थाई या निरन्तर चलने वाला विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचाये।

अनुदान/रियायत—सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का रूप जो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग पर प्राप्त हो।

पुर्नजीवित—बन्द होने की कगार पर पहुँच चुकी औद्योगिक इकाई में पुनः उत्पादन कार्य प्रारम्भ करना।

आधुनिकीकरण—आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना और बढ़ावा देना।

खाद्य प्रसंस्करण —ऐसी व्यवस्था जिससे खाद्य पदार्थ लम्बे समय तक प्रयोग किये जा सकें।

विपणन —बाजार व्यवस्था जिससे माल को बेचा जा सकें।

वरीयता —प्राथमिकता या प्रमुखता देना।

श्रेणीकरण —वस्तु को गुणवत्ता व विशेषता के अनुसार विभिन्न वर्गों और श्रेणियों में बांटना।

उद्यमिता —जोखिम उठाते हुए उत्पादन कार्य करना।

हरित श्रेणी —ऐसे उद्योग जो प्रदूषण विभाग की सहमति के बिना लगाये जा सकते हैं।

नारंगी श्रेणी —ऐसे उद्योग जो प्रदूषण विभाग की सहमति के बाद लगाये जा सकते हैं।

श्रेणी 'ए' —उत्तराखण्ड के सीमान्त व सुदूरवर्ती जनपद — चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत व रुद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भाग।

श्रेणी 'बी' —जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भाग तथा देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर तथा नैनीताल के हल्द्वानी व

ऋणात्मक वृद्धि दर— ऐसी वृद्धि दर जो कमी को दर्शाती है।

औद्योगिक अस्थान — ऐसे स्थान या क्षेत्र जो औद्योगिक विकास तथा संस्थान की स्थापना हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध कराते हो।

टैक्स हॉलीडे —टैक्स अर्थात् कर में कुछ समय के लिए रियायत प्रदान करना।

आर्थिक संवृद्धि विकास —इसका आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय से लम्बी अवधि तक वृद्धि होती है। इसमें उत्पादन वृद्धि के साथ साथ तकनीकी व संरचनात्मक परिवर्तनों का होना आवश्यक है।

उपभोक्ता वस्तु उद्योग —वह औद्योगिक इकाइयाँ, जो उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनसे उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है।

पूँजीगत वस्तु उद्योग —वे औद्योगिक इकाइयाँ जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनकी सहायता से किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है।

उदारीकरण—उदारीकरण से अभिप्रायः उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबन्धों से मुक्त करके अधिक उपयोगी बनाना है।

आधारभूत उद्योग –ऐसे उद्योगों से हैं जो एक देश के विकास हेतु परम आवश्यक है। जैसे लौह व इस्पात, खान उद्योग, रसायन उद्योग आदि ।

8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

लघुउत्तरीय प्रश्न 1. देखिए 8.3, 2.देखिए 8.4, 3. देखिए 8.5,4. देखिए 8.6,।

अभ्यास प्रश्न 2

लघुउत्तरीय प्रश्न 1. देखिए 8.8, 2.देखिए 8.9, 3. देखिए 8.9।

8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi.
 2. Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi.
 3. Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
 4. Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun.
 5. Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi.
 6. Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi.
 7. Mittal Surabhi, Gaurav Tripathi and Deepti Sethi; (July 2008) *Development Strategy for the Hill District Uttarakhand*. Working paper no. 217 ICRER, New Delhi.
 8. Bisht Major D.S.;(2008); '*Uttarakhand Today*'; Trishul Publication, Dehradun.
 9. The Entrepreneurs Guide to Investment in Uttaranchal;(2004) IIA Uttaranchal and Directorate of Industries Govt. of Uttarachal published by Arora Sudhir K. Green Fields Publishers Dehradun.
 10. मामोरिया, डॉ० चतुर्भुज एवं डॉ० एस०सी० जैन, (1995), '*भारतीय अर्थशास्त्र*', साहित्य भवन प्रकाशक, आगरा।
 11. बिष्ट, डॉ० नारायण सिंह; (2003), '*उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण*', डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर, चमोली।
 12. उत्तराखण्ड उदय, उत्तराखण्ड दशक 2000–2010 (नवम्बर 2010) अमर उजाला पब्लिकेशनस लिमिटेड, नोएडा।
-

8.14 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

- उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट 2015, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- आर्थिक सर्वेक्षण(विभिन्न अंक), वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कुरूक्षेत्र (विभिन्न अंक), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- योजना (विभिन्न अंक) योजना आयोग, नई दिल्ली।
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2016 विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।

- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा।
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ।
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा।
- सविता मोहन (2017), *उत्तराखण्ड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
- http://www.duiuk.org/pdfs/heavy_directory.pdf.
- http://www.ibef.org/Uttarakhand_190111.pdf.
- http://www.uttaranchalbiz.com/why_uttarakhand/key-investors.
- http://www.Uttaranchal_biz.com/industrial-estates.
- http://www.ibef.org/download/Uttarakhand_14oct_08.pdf.

8.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं ? उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
 2. औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तराखण्ड के गठन के पश्चात् स्वकृत औद्योगिक नीतियों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए।
 3. औद्योगिक संरचना से आप क्या समझते हैं ? उत्तराखण्ड की वर्तमान औद्योगिक संरचना पर प्रकाश डालिए ?
 4. उत्तराखण्ड की औद्योगिक प्रगति और उपलब्धियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
-